इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 अक्टूबर 2016—आश्विन 15, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2016

क्र. एफ 5-04-2015-एक (1).—उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री एम. के. मुदगल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्युटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं :—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	25 जुलाई से दिनांक 29 जुलाई 2016 तक	05	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2016

क्र. एफ 1(ए)-79-2011-ब-2-दो.—विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जून 2016 द्वारा श्री रघुवीर सिंह मीणा, भा. पु. से. को पुलिस मुख्यालय, भोपाल के आदेश दिनांक 16 जून 2016 द्वारा स्वीकृत 16 से दिनांक 30-6-2016 तक पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश की अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 द्वितीय ब्लाक वर्ष 2016-17 में गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा के तहत सपत्नीक रामेश्वरम् की अवकाश यात्रा के साथ 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की अनुमति प्रदान की गई थी. समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जून 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए, उक्त अवकाश यात्रा सुविधा हेतु उनकी पुत्री चित्रांशा एवं पुत्र आकाश का नाम सम्मिलित करते हुए अनुमति प्रदान की जाती है.

पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जून 2016 की शेष कण्डिकाएं यथावत् रहेगी.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

क्र. एफ 1(ए)-172-1997-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा मो. शाहिद अबसार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (प्रबंध) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 8 से 12 अगस्त 2016 तक कुल पांच दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर मो. शाहिद अबसार, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (प्रबंध) पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में मो. शाहिद अबसार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि मो. शाहिद अबसार, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्री दास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2016

फा. क्र. 2016-3297-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, श्री कैलाश सक्सेना, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, रायसेन को जिनकी जन्मतिथि 21 फरवरी 1954 है, 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर विधि विभाग नियमावली 2008 के नियम 20 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. वैद्य, सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2016

क्र. एफ 10-28-2010-तेईस-योआसां.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 संशोधित अधिनियम, 1999, की धारा 4 की उपधारा (3) (ग) तथा संशोधित अध्यादेश 2005 की धारा 4(1) में प्रदत्त अधिकारों के तहत नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्य को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट जिले की जिला योजना समिति में तत्कालन प्रभाव से आगामी दो वर्ष की कालावधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाना है :—

क्र.	अशासकीय सदस्य का नाम	जिला योजना समिति
(1)	(2)	(3)
1	श्री अजय पाण्डेय	सीधी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शकीला अख्तर, अवर सचिव.

विमुक्त, घुम्मकड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ 3-5-2016-62.—राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश राज्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण के विनियम—1995, की धारा 4.1 के प्रावधानांतर्गत मानीय ललिता यादव, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल को म. प्र. राज्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास अभिकरण में अध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अधिकतम 3 वर्ष अथवा आगामी आदेश तक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रतिभा ढोरे, उपसचिव.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2016

संशोधन

क्र. एफ 5-3-2016-अ-तेहत्तर.—राज्य शासन द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 16 अगस्त 2016 में संलग्न परिशिष्ट अंतर्गत सरल क्रमांक 12 एवं सरल क्रमांक 14 के मध्य कम्प्यूटर त्रुटिवश सरल क्रमांक 13 अंकित नहीं हो पाया.

(2) अतः राज्य शासन, एतद्द्वारा, सरल क्रमांक 12 एवं सरल क्रमांक 14 अंतर्गत उल्लेखित विषय के मध्य सरल क्रमांक 13 निम्न अनुसार प्रतिस्थापित किया जाता है.

क्र.	विषय	वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा जारी आदेश/ निर्देशों का क्रमांक तथा दिनांक
13	लोक सेवा क्र. 20.1 गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में.	एफ-20-18-10-बी-ग्यारह, दिनांक 19 फरवरी 2014.

(3) उक्त के अतिरिक्त जारी आदेश क्रमांक एफ 5-3-2016-अ-तेहत्तर, दिनांक 16 अगस्त 2016 यथावत रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2016

क्र. एफ-10-04-2014-बी-ग्यारह.—चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि वह प्रयोजन जिसके लिए **''मेसर्स प्लेथिकों फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड इन्दौर''** को राहत प्रदान की गई थी, अभी भी विद्यमान है और यह आवश्यक है कि उक्त उद्योग को सहायता उपक्रम के रूप में घोषणा के प्रवर्तन की कालावधि ''एक वर्ष'' के लिये बढ़ाई जाये.

अतएव, मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम अधिनियम-1978 (विशेष उपबंध) क्रमांक-32 सन् 1978 की धारा-3 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-10-04-2014-बी-ग्यारह, दिनांक 16 जून 2015 की प्रवर्तन कालावधि के दिनांक 16 जून 2016 से एक वर्ष की कालावधि के लिये निम्नलिखित शर्तों पर और बढ़ाती है कि—

(i) कम्पनी इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस की अवधि में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को उनके बकाया देयकों के लिए "One time settlement" हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी.

(ii) सहायता उपक्रम अवधि में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को कंपनी द्वारा नियमित रूप से ब्याज का भुगतान सुनिश्चित किया जावेगा.

साथ ही

उक्त प्रयोजन के लिए जारी अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के पैरा-2 में शब्द ''एक वर्ष'' के स्थान पर ''दो वर्ष'' प्रतिस्थापित किया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2016

क्र. एफ-10-04-2014-बी-ग्यारह.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 10-04-2014-बी-ग्यारह, दिनांक 19 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव.

Bhopal, the 19th September 2016

No. F-10-04-2014-B-XI.—WHEREAS, the State Govt. is satisfied that the purpose for which relief was given to: M/s PLETHICO PHARMACEUTICALS LIMITED, INDORE still continues and it is necessary to extend the period of operation of the declaration of the said industry to be a relief undertaking for a further period of one year.

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by the proviso to Section-3 of the Madhya Pradesh Sahayata Upkaram (Vishesh Upabandh) Sanshodhan act, 1978 (No. 32 of 1978) the State Government hereby extends the period of operation of the Notification No. F-N.-10-04-2014-B-XI, dated 16 June 2015 for further period of one year from 16 June 2016 on following conditions :—

(i) within 30 days from the date of issue of this notification, company shall submit "One time settlement" proposal to the Banks/Financial Institutions for their out-standing dues.

(ii) Company shall pay interest regularly to the Bankers/ Financial Institutions during period of relief undertaking.

and also

AMENDMENT

In the said notification in paragraph 2 for the words **"One year"** the words **"Two years"** shall be substitued.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh
V. K. BARONIA, Dy. Secy.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2016

क्र. 9480-एनआर-14-लोकपाल-3-2016.—पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 5381, दिनांक 21 जून, 2013 द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 32 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन जारी आदेश क्रमाकं जे-11011-21-2008 एन. आर. ई. जी. ए, दिनांक 7 सितम्बर, 2009 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार ''महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (लोकपाल की नियुक्ति, शक्तियां एवं कर्त्तव्य) मध्यप्रदेश नियम, 2013'' बनाए गए हैं.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (लोकपाल की नियुक्ति, शक्तियां एवं कर्त्तव्य) मध्यप्रदेश नियम, 2013 की धारा 4(1)(2)

में प्रावधानानुसार एवं लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश के पत्र क्र. 2270/स.स.समिति/चयन/2016, दिनांक 1 मार्च 2016 द्वारा श्री रमेश प्रसाद ठाकुर, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अध्यक्ष, संभागीय सतर्कता समिति, सागर के पद पर नियुक्त किए जाने के अनुक्रम में श्री रमेश प्रसाद ठाकुर, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, संभागीय सतर्कता समिति, सागर को "सागर एवं टीकमगढ़" जिलों के लिए एतद्द्वारा राज्य शासन मनरेगा लोकपाल नियुक्त करता है.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होंगे.

नीलम शमी राव, प्रमुख सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2016

क्र. एफ-15-15-2016-दस-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम, 2015 बनाये गये हैं. उक्त नियम के नियम 04 (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र घोषित करती है:—

अनुसूची

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमायें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बड़वाह	बड़वाह	सुरतीपुरा तालाब	आरक्षित वन— 276, 274	20.000	**पूर्व** —कक्ष क्रमांक 276 **पश्चिम**—कक्ष क्रमांक 274 **उत्तर**—कक्ष क्रमांक 274 एवं 276 **दक्षिण**—कक्ष क्रमांक 274 एवं 275.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2016

क्र. एफ-15-15-2016-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-15-2016-दस-2, दिनांक 27 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 27th September 2016

No. F-15-15-2016-X-2.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015, Under the sub-section 4 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following Schedule as **Wildlife Experience Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:—

SCHEDULE

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment No.	Area in (Hectares)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Badwah	Badwah	Surtipura Talab	RF-276, 274	20.000	**East**—Compartment No. 276 **West**—Compartment No. 274 **North**—Compartment No. 274 and 276 **South**—Compartment No. 274 and 275.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 19 सितम्बर 2016

क्र. 8112-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22-03-2016-17-ल.सि.-31-997, भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2016 के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-7 की उपधारा-1 के संबंध में मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4)-2014-सात-शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 म. प्र. के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	पाण्ढुर्णा	ग्राम—मरकावाडा उर्फ नजरपुररैयत, ब. नं.-21, प.ह.नं.-1, रा.नि.मं. नांदनवाडी.	रकबा 01.940 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-पाण्ढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा.	जामलापानी जलाशय के बांध निर्माण हेतु लघु सिंचाई योजना के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-पाण्डुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग पाण्डुर्णा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 8113-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. 22-03-2016-17-ल.सि.-31-997, भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2016के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-7 की उपधारा-1 के संबंध में मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-4)-2014-सात-शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 म. प्र. के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	पाण्डुर्णा	ग्राम—जामलापानी ब. नं.-152, प.ह.नं.-2/1, रा.नि.मं.- नांदनवाडी, तहसील-पाण्डुर्णा.	रकबा 05.800 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-तह—पाण्डुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा.	जामलापानी जलाशय के बांध निर्माण हेतु लघु सिंचाई योजना के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-पाण्ढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग पाण्ढुर्णा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 19 सितम्बर 2016

क्र. 2915-रीडर-2016-प्र.क्र. 25-अ-82-16-17.—चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री, गांधीसागर बांध, संभाग गांधीसागर की भानपुरा बांयी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिये ग्राम Main Canal भानपुरा, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप ''ख'' में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है.

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला—मंदसौर, तहसील भानपुरा, ग्राम—Main Canal भानपुरा, क्षेत्रफल—2.011, रकबा—0.248.

अनुसूची (1)

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	भानपुरा	0.248	0.000	0.248
	योग . .	**0.248**	**0.000**	**0.248**

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट-II

स.क्र.	कृषक का नाम	सर्वे नम्बर	कुल निजी रकबा हेक्टर	कुल अर्जित रकबा सिंचित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	विमल कुमार पिता प्यारचन्द जाति तम्बोली निवासी भानपुरा, भू-स्वामी.	1579/2	1.000	0.158
2.	गिरीराज, प्यारी बाई, जमना बाई, संतोष बाई, पिता मांगीलाल, जाति तम्बोली, निवासी भानपुरा, भू-स्वामी.	1579/3	1.011	0.090
		कुल योग . .	**2.011**	**0.248**

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2915-रीडर-2016-प्र.क्र. 26-अ-82-15-16.—चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री, गांधीसागर बांध, संभाग गांधीसागर की भानपुरा बांयी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिये ग्राम MR-3 सानडा, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप ''ख'' में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है.

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला—मंदसौर, तहसील भानपुरा, ग्राम—MR-3 Sanda, क्षेत्रफल—4.536, रकबा—0.662 है.

अनुसूची (1)

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सानडा	0.662	0.000	0.662
	योग . .	**0.662**	**0.000**	**0.662**

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट-II

स.क्र.	कृषक का नाम	सर्वे नम्बर	कुल निजी रकबा हेक्टर	कुल अर्जित रकबा		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	लक्ष्मीनारायण पिता जाति गुर्जर भूमि स्वामी निवासी सांनडा	2/मिन 5	0.256	0.038	0.000	0.038
2.	नन्दा, उदेराम, कैलाश पिता भंवरलाल जाति बाबा निवासी पता सानंडा, भूमि स्वामी	9	0.910	0.192	0.000	0.192
3.	हलीमा बाई पति गनीमोउद्दीन जाति मुसलमान पता सानडा, भूमि स्वामी	10	1.300	0.020	0.000	0.020
4.	बुसमिल्ला गेंदीबाई, छोटीबाई पिता सुभान जाति मुसलमान निवासी सानंडा, भूमि स्वामी	11	0.400	0.096	0.000	0.096
5.	हिरालाल, हरकचन्द्र, लक्ष्मीनारायण, रामेश्वर, आत्माराम, रामप्रसाद, देवबाई, सुमित्राबाई, जाति राव, निवासी सांनडा, भूमि स्वामी मोहनबाई पिता स्वरूप व सुन्दरबाई बैवा स्वरूप रामकिशन, ओमप्रकाश, मुकेश पिता बापुलाल भंवरीबाई बैवा बापुलाल जाति राव, भूमि स्वामी.	13	1.000	0.096	0.000	0.096
6.	धुरानाथ पिता भवाना नाथ जाति बाबा, निवासी पता सांनडा, भूमि स्वामी	14 मीन 1	0.670	0.118	0.000	0.118
7.	लक्ष्मण भगवान पिता कान्हा व भवानीबाई	15	0.460	0.010	0.000	0.010
	बैवा अमरलाल व श्यामलाल मदन सुन्दरबाई	16	0.300	0.092		0.092
	पिता अमरलाल व कारूलाल जदगीश सुरेश पिता शौभाराम व नानी बाई ना. बा. सुमित्रा बाई ना. बा. पिता शौभाराम अ. पा. कर्ता माताकुंवर बाई बैवा शौभाराम व कंकुबाई बैवा शोभाराम जाति गुर्जर पता सानडा भूमि स्वामी.					
	कुल योग . .		4.536	0.662	0.000	0.662

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2915-रीडर-2016-प्र.क्र. 27-अ-82-15-16.—चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री, गांधीसागर बांध, संभाग गांधीसागर की भानपुरा बांयी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिये ग्राम Main Canal भरतियाखेडी, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप ''ख'' में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है.

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय की कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला—मंदसौर, तहसील भानपुरा, ग्राम—Main Canal BhartiyaKhedi, **क्षेत्रफल—4.618, रकबा—1,334 है.**

अनुसूची (1)

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	भरतियाखेडी	1.334	0.000	1.334
	योग . .	**1.334**	**0.000**	**1.334**

अनुसूची (1)

स.क्र.	कृषक का नाम	सर्वे नम्बर	कुल निजी रकबा हेक्टर	कुल अर्जित रकबा सिंचित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अब्दुल हुसैन पिता ईस्लाईल जाति बोहरा निवासी पता भानपुरा, भूमि-स्वामी.	1/2	1.416	0.200
	अब्दुल हुसैन पिता ईस्लाईल जाति बोहरा निवासी पता भानपुरा, भूमि-स्वामी.	11	1.011	0.410
	अब्दुल हुसैन पिता ईस्लाईल जाति बोहरा निवासी पता भानपुरा, भूमि-स्वामी.	13	1.011	0.300
	अब्दुल हुसैन पिता ईस्लाईल जाति बोहरा निवासी पता भानपुरा, भूमि-स्वामी.	14	0.364	0.170
	अब्दुल हुसैन पिता ईस्लाईल जाति बोहरा निवासी पता भानपुरा, भूमि-स्वामी.	15/1	0.607	0.139
		Converstion land	6070 sqm	1390
				1.219
2.	भंवरलाल पिता मांगीलाल, महेश, राधेश्याम, घनश्याम, पिता भंवरलाल रामकन्याबाई, किरण पिता भंवरलाल जाति खटीक निवासी पता भानपुरा भूमि स्वामी.	61/1/3	0.209	0.115
	कुल रकबा भूमि . .		**4.618**	**1.334**

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2915-रीडर-2016-प्र.क्र. 28-अ-82-15-16.—चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री, गांधीसागर बांध, संभाग गांधीसागर की भानपुरा बांयी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिये ग्राम Main Canal कैथूली, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप ''ख'' में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है.

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला—मंदसौर, तहसील—भानपुरा, ग्राम—Main Canal कैथूली **क्षेत्रफल—5.483, रकबा—0.454**

अनुसूची (1)

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कैथूली	0.454	0.000	0.454
	योग . .	**0.454**	**0.000**	**0.454**

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट-II

स.क्र.	कृषक का नाम	सर्वे नम्बर	कुल निजी रकबा हेक्टर	कुल अर्जित रकबा असिंचित	कुल अर्जित रकबा सिंचित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अमीउदीन पिता फकीर मोहम्मद, जाति मुस्लमान पता केथुली.	485/2	0.804	0.000	0.052
2	सम्पतबाई पति वरदी लाल जाति धाकड़ निवासी भानपुरा.	13/1/4 13/1/5	0.809 0.809	0.000	0.108 0.108
3	राधेश्याम पिता मांगीलाल द्रोपतीबाई पति राधेश्याम जाति चमार पता निवासी भगवानपुरा भू-स्वामी.	13/2/1/2	1.352	0.000	0.023
4	धुरा पिता भेरा व गुजरीबाई बेवा धुरा जाति चमार पता निवासी कैथुली अह.	2./19	1.000	0.000	0.083
5	सज्जनबाई पिता काना जाति अहीर पता निवासी कैथूली भूस्वामी.	509	0.709	0.000	0.080
6	मांगीलाल नन्दलाल पिता गब्बा जाति चूमार बंजारा पता निवासी भगवानपुरा भूस्वामी.	2./10	0.809	0.000	0.000
		कुल रकबा. .	5.483	0.000	0.454

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2915-रीडर-2016-प्र.क्र. 29-अ-82-15-16.—चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री, गांधीसागर बांध, संभाग गांधीसागर की भानपुरा बांयी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिये ग्राम MR-6 कैथूली, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है.

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि की कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जायेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला—मंदसौर, तहसील—भानपुरा, ग्राम—MR-6 Khethuli, क्षेत्रफल—49.125, रकबा—3.713 है.

अनुसूची (1)

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कैथूली	3.713	0.000	3.713
	योग . .	**3.713**	**0.000**	**3.713**

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट-II

स.क्र.	कृषक का नाम	सर्वे नम्बर	कुल निजी रकबा हेक्टर	कुल अर्जित रकबा		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	विरेन्द्र कुमार सुरेन्द्र कुमार पंकज कुमार पिता रमेशचन्द्र व सुमित्रा बाई बैवा रमेशचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी पता कैथूली भूमि स्वामी.	759	0.081	0.012		0.012
		760/1	3.851	0.496		0.496
2	राधेश्याम पिता मुकुन्ददास जाति बैरागी पता निवासी ग्राम कैथूली भूस्वामी.	742/1	1.518	0.240		0.240
3	संजय कुमार पिता श्री किशन जाति अहिर पता निवासी कैथूली भूस्वामी.	758/2	3.844	0.070		0.070
4	सुमित्रा बाई पिता पुरूषोत्तम दुबे जाति ब्राहम्ण निवासी पता कैथूली भूमि स्वामी.	760/2	3.000	0.288		0.288
5	मधुबाला पति राजेश कुमार जाति अहीर निवासी पता कैथूली भूमि स्वामी.	785/2	1.291	0.160		0.160

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	लाडबाई पति संजय कुमार जाति अहीर निवासी पता कैथूली भूमि स्वामी.	785/3	1.291	0.160		0.160
7	सीमाबाई पति पंकज सुरेश कुमार जाति अहीर निवासी पता कैथूली भूमि स्वामी.	785/4	1.290	0.030		0.030
8	मनोज कुमार पिता महावीर जाति जैन निवासी पता भैसोदा भूमि स्वामी.	786/2/1	1.175	0.040		0.040
9	मांगुसिंह पिता दौलत सिंह जाति राजपूत निवासी पिता कैथूली भूमि स्वामी.	850/1	2.000	0.240		0.240
10	प्रहलाद सिंह पिता दौलत सिंह जाति राजपूत निवासी पता कैथूली भूमि स्वामी.	850/2	2.116	0.243		0.243
11	राहुल पिता महावीर जाति अग्रवाली निवासी पता रामगंजमण्डी, राजस्थान कृषक कैथूली.	787	1.918	0.005		0.005
12	झमकु बाई बैवा रामा मागीबाई कारीबाई पिता रामा जाति चमार निवासी पता कैथूली भूमि स्वामी.	853 847	0.735 2.023	0.076 0.048		0.076 0.048
13	नारायण पिता ठाकुर जाति माली निवासी पता कैथूली भूमि स्वामी.	857	1.797	0.281		0.281
14	हरिनिवाश पिता कन्हैयालाल जाति तेली निवासी पता भानपुरा भूमि स्वामी.	858	0.295	0.032		0.032
15	महावीर विष्णु मागीलाल शांति कांति रामप्यारी पिता सुखदेव, जाति अहीर निवासी पता कैथूली भूमि स्वामी.	860	5.795	0.361		0.361
16	सज्जन बाई पिता कान्हा जाति अहीर निवासी पता कैथूली भूमि स्वामी.	866 867	2.849 1.303	0.256 0.010		0.256 0.010
17	राजाराम पिता मथुरालाल जाति धाकड़ निवासी पता कैथूली भूमि स्वामी.	868	1.918	0.112		0.112
18	पुरसिंह सौदानसिंह अप्पूसिंह नन्दसिंह पिता जोरावर सिंह व गंगाबाई बैवा जोरावर सिंह व भवानीसिंह पिता बापुसिंह जाति राजपूत, निवासी पता नीमथूर भूमि स्वामी.	332	8.094	0.512		0.512
19	सोहनबाई पति कजोड, जाति माली निवासी पता औसारा भूमि स्वामी.	333	0.941	0.041		0.041
		कुल रकबा. .	49.125	3.713	–	3.713

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2915-रीडर-2016-प्र.क्र. 30-अ-82-15-16.—चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री, गांधीसागर बांध, संभाग गांधीसागर की भानपुरा बांयी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिये ग्राम MR-3 ढाबला माधोसिंह, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप ''ख'' में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है.

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला—मन्दसौर, तहसील भानपुरा, ग्राम—MR-3 Dhabla Madhosingh, क्षेत्रफल—43.088, रकबा—4.430 है.

अनुसूची (1)

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ढाबला माधोसिंह	4.430	0.000	4.430
	योग . .	**4.430**	**0.000**	**4.430**

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट-II

स.क्र.	कृषक का नाम	सर्वे नम्बर	कुल निजी रकबा (हेक्टर)	कुल अर्जित रकबा		
				असिंचित	सिंचित	कुल रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	खाना पिता पोखर जाति गुर्जर पता निवासी सानडा भूमि स्वामी.	72	3.177		0.240	0.240
2.	रमेश पिता जगन्नाथ जाति कलाल निवासी सानडा भूमि स्वामी.	73/1	1.023		0.290	0.290
3	इन्दरसिंह, करणसिंह, पिता बंशीलाल निवासी सानडा भूमि स्वामी.	94	1.424		0.100	0.100
4	शिवराज सिंह पिता मांगुसिंह राजपूत निवासी पता सानडा.	95	0.858		0.160	0.160
5	राधेश्याम पिता जगन्नाथ कलार निवासी सानडा भूमि स्वामी.	93	0.809		0.180	0.180
6.	बालाराम गोपाल पिता उदा जाति धाकड़ निवासी पता ढाबला भूमि स्वामी.	75/1/2	2.934		0.115	0.115

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	प्रभुलाल जानकीलाल उदेलाल हिरालाल पिता किशनलाल जाति धाकड़, निवासी पता ढाबला भूमि स्वामी.	75/1/3/1	5.431		0.282	0.282
8	हिरालाल पिता किशनलाल जाति धाकड़ निवासी पता ढाबला भूमि स्वामी.	77/2/1	1.161		0.160	0.160
9	कारूलाल शोभाराम रमेशचन्द्र पिता रतनलाल झुमाबाई बैवा रतनलाल जाति चमार निवासी पता ढाबला माधोसिंह भूमि स्वामी.	84/2	0.536		0.048	0.048
10	कंवरलाल पिता ग्यारसीलाल जाति चमार निवासी पता ढाबला माधोसिंह भूमि स्वामी.	84/1 215/3	0.536 0.350		0.055 0.084	0.139
11	शौभाराम पिता काना जाति चमार निवासी पता ढाबला माधोसिंह भूमि स्वामी.	216/2	0.800		0.112	0.112
12	काना पिता किशन जाति चमार निवासी ढाबला माधोसिंह भूमि स्वामी.	216/3	1.601		0.112	0.112
13	शोभाराम पिता कामड जाति चमार निवासी पता ढाबला माधोसिंह भूमि स्वामी.	217 218 221	0.445 0632 0.518		0.112 0.112 0.045	0.269
14	रतनलाल पिता नारायण जाति चमार निवासी पता ढाबला माधौसिंह भूमि स्वामी.	220/3	0.425		0.022	0.022
15	मांगीलाल पिता सेवा जाति चमार निवासी पता ढाबला माधोसिंह भूमि स्वामी.	232	0.526		0.147	0.147
16	कनीराम मोतीलाल राधेश्याम पिता बाल्या व जमकी बाई बैवा बाल्या जाति चमार निवासी पता ढाबला माधोसिंह भूमि स्वामी.	233	0.233		0.017	0.017
17	हीरालाल पिता किशनलाल जाति धाकड़ निवासी पता ढाबला भू-स्वामी.	463/2	0.289		0.050	0.050
18	रमेश पिता उदेलाल, जाति धाकड़ निवासी पता ढाबला भूमि स्वामी.	463/1/1 464/1	0.039 0.100		0.011 0.011	0.022
19	सत्यनारायण पिता हीरालाल जाति धाकड़ निवासी पता ढाबला भूमि स्वामी.	465/2	0.309		0.10	0.102
20	प्रहलाद पिता जानकीलाल जाति धाकड़ निवासी पता ढाबला भूमि स्वामी.	465/1	0.310		0.150	0.150
21	देवीलाल पिता रामजी जाति धाकड़ निवासी पता ढाबला भूमि स्वामी.	905	3.877		0.435	0.435

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22	बालाराम पिता बापू जाति धाकड़, ढाबला भू-स्वामी	907/1	0.049		0.005	0.005
23	रामचंद लालचंद गोकूल शोवराज, सूरजबाई पिता भेरू कारूलाल, बजरंग, नंदूबाई, ललेश बाई संजू पिता बालाराम कमलाबाई बेवा बालाराम जाति धाकड़, निवासी पता ढाबला भूमि स्वामी.	906 909/2	1.424 2.147		0.016 0.345	0.361
24	राधेश्याम, गोकूल राजू प्रहलाद पिता मथूरालाल जाति धाकड़, निवासी पता ढाबला भूमि स्वामी.	917	2.667		0.032	0.032
25	गोकूल पिता भेरू जाति धाकड़ निवासी ढाबला भूमि स्वामी.	910	1.197		0.005	0.005
26	देवीलाल पिता किशन जाति धाकड़ निवासी ढाबला भूमि स्वामी.	913/1	0.586		0.070	0.070
27	मदनलाल, श्यामलाल पिता देवीलाल जाति धाकड़, निवासी ढाबला भूमि स्वामी.	913/2	0.586		0.135	0.135
28	विनोद पिता गोपाल, कलाबाई बेवा गोपाल प्रहलाद पिता देवीलाल केसर बाई बेवा देवीलाल भूमि स्वामी.	911	1.319		0.009	0.009
29	कजोड पिता कारू जाति धाकड़ निवासी ढाबला भूमि स्वामी.	912/1	0.370		0.083	0.083
30	मोहन पिता कारू जाति धाकड़ निवासी पता ढाबला भू-स्वामी.	912/2	0.250		0.072	0.072
31	प्रहलाद पिता देवा व विनोद पिता गोपाल जाति धाकड़, निवासी पता ढाबला भूमि स्वामी.	912/3	0.382		0.105	0.105
32	रामचंद पिता चूंनीलाल जाति धाकड़ निवासी पता ढाबला.	884/2	2.238		0.185	0.185
33	रामा पिता बाला जाति नाई निवासी ढाबला भूमि स्वामी.	854/1571	0.749		0.131	0.131
34	रामचंद पिता नंदा जाति नाई निवासी ढाबला भूमि स्वामी.	855	1.157		0.005	0.005
35	रघुराज सिंह डूंगरसिंह उमरावसिंह पिता छतरसिंह जाति राजपूत, निवासी ढाबला भूमि स्वामी.	856	5.815		0.080	0.080
		कुल रकबा. .	43.088			4.430

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2915-रीडर-2016-प्र.क्र. 31-अ-82-15-16.—चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री, गांधीसागर बांध, संभाग गांधीसागर की भानपुरा बांयी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिये ग्राम:- Main Canal दूधली तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप ''ख'' में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है.

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला—मंदसौर, तहसील भानपुरा, ग्राम—Main Canal Dhudli, **क्षेत्रफल—2.370, रकबा—0.190**

अनुसूची (1)

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	दूधली	0.190	0.000	0.190
	योग . .	0.190	0.000	0.190

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट-II

स.क्र.	कृषक का नाम	सर्वे नम्बर	कुल निजी रकबा हेक्टर	कुल अर्जित रकबा असिंचित	कुल अर्जित रकबा सिंचित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सीताबाई पति गणपत जाति बंजारा निवासी दूंधली भूमि स्वामी	125/2	1.410	0.000	0.180
2.	गिरीराजसिंह पिता शंभूसिंह जाति राजपुत पता निवासी संनडा भूस्वामी	27/1	0.960	0.000	0.010
		कुल रकबा. .	2.370	0.000	0.190

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2915-रीडर-2016-प्र.क्र. 32-अ-82-15-16.—चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2016 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री, गांधीसागर बांध, संभाग गांधीसागर की भानपुरा बांयी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिये ग्राम:- Main Canal नीमथूर तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर के निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप ''ख'' में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है.

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा:-

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला—मंदसौर, तहसील भानपुरा, ग्राम—Main Canal Neemthour क्षेत्रफल—6.835 रकबा—1.051 है.

अनुसूची (1)

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	नीमथूर	1.051	0.000	1.051
	योग . .	1.051	**0.000**	1.051

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट-II

स.क्र.	कृषक का नाम	सर्वे नम्बर	कुल निजी रकबा हेक्टर	कुल अर्जित रकबा असिंचित	कुल अर्जित रकबा सिंचित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बाबूलाल पिता खेमाजी जाति बंजारा पता हरीपुरा भूमि स्वामी.	526/2/ मिन1	1.017	0.000	0.055
2.	द्वारकालाल पिता कवंरलाल जाति अहीर पता निवासी नीमथूर भूस्वामी.	284/1/2	0.495	0.000	0.075
3.	कन्हैया लाल पिता लक्ष्मण जाति गुजर पता निवासी भानपुरा भूस्वामी.	144/1/	0.051		
		148	2.383	0.000	0.276
		149	0.115		
4.	कालू भोपा रतन पिता जीवा जाति बंजारा पता वारू गोर की होडा तहसील गरोठ.	452	0.470	0.000	0.250
5.	रामेश्वर पिता माधुलाल जाति अहीर पता निवासी नीमथूर भूस्वामी.	493/2	0.617	0.000	0.210
6.	रमेश चन्द्र पिता काना जाति तेली पता निवासी नीमथूर भूस्वामी.	263/3	0.500	0.000	0.020
7.	शम्भुसिंह प्रहलाद सिंह शकुन्तला कुवर सरोज कुवर पिता महेरसिंह जाति राजपूत पता निवासी नीमथूर भूस्वामी.	81/3	1.122	0.000	0.100
8.	गोपाल पिता कन्हैयालाल जाति बलाई पता निवासी नीमथूर भूस्वामी.	257/4	0.065	0.000	0.065
		कुल रकबा. .	6.835	0.000	1.051

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2915-रीडर-2016-प्र.क्र. 33-अ-82-15-16.—चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री, गांधीसागर बांध, संभाग गांधीसागर की भानपुरा बांयी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिये ग्राम:- D-1 Minor नीमथूर तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है.

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा:-

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला—मंदसौर, तहसील भानपुरा, ग्राम—D-1 Minor नीमथूर क्षेत्रफल—15.824 रकबा—2.375 है.

अनुसूची (1)

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	नीमथूर	2.375	0.000	2.375
	योग . .	2.375	0.000	2.375

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट-II

स.क्र.	कृषक का नाम	सर्वे नम्बर	कुल निजी रकबा हेक्टर	कुल अर्जित रकबा	
				असिंचित	सिंचित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	शांतिबाई पति भेरूलाल पिता ब्राम्हण पता निवासी नीमथूर भूमि स्वामी.	263/1 263/2	0.198 0.900	- -	0.021 0.050
2	संगीता बाई पति कन्हैयालाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम औसरना भू-स्वामी.	381	1.680	-	0.229
3	दुर्गाशंकर, रमेश, देवकरण पिता नाथू जाति बलाई पता नीमथूर भू-स्वामी.	263/6	1.087	-	0.039
4	बसन्तीलाल, कन्हैयालाल, मोहनलाल,पीरचन्द्र, पिता हरलाल जानीबाई बेवा हरलाल जाति बलाई पता नीमथूर भू-स्वामी.	263/5	1.097	-	0.206
5	हरिशंकर पिता शालिगराम जाति कुल्मी निवासी पता औसरना भू-स्वामी.	391/1	1.071	-	0.009

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	रामकन्या बाई पिता चुन्नीलाल जाति गुर्जर पता नीमथूर भू-स्वामी.	361/2/1	1.070	–	0.176
8	धापूबाई बेबा शंकर, रामदयाल, रामचन्द्र पिता मांगीलाल जाति बलाई पता नीमथूर भू-स्वामी.	361/2/2	1.073	–	0.176
10	विनय कुमार पिता टिकमचन्द्र जाति महाजन पता नीमथूर भूस्वामी.	369/1	1.200		0.144
11	अनिल कुमार पिता टिकमचन्द्र जाति जैन पता नीमथूर भू-स्वामी.	369/2/3/1 369/2/3	1.249 0.698		0.160 0.011
12	देवीलाल पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर पता नीमथूर भू-स्वामी.	369/2/3/2	0.439		0.011
13	सम्पत बाई पति मांगीलाल जाति अहीर पता नीमथूर भू-स्वामी.	369/2/4	1.254		0.268
14	कारूलाल पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर पता नीमथूर भू-स्वामी.	369/4	0.836		0.005
15	कैलाश बाई पति मनोहर लाल जाति अहीर भू-स्वामी	384	0.721	–	0.200
17	भूवाना, किशनलाल पिता खेमा कन्हैयालाल पिता उदेराम बालचन्द्र पिता भोलाराम जाति लोहार नीमथूर भू-स्वामी	388	0.711	–	0.204
18	रतनबाई बेवा पूरीलाल रमेश, भवानीराम, मांगीलाल पिता पूरीलाल, रतनबाई बेवा गोपाल, राजू, मुकेश पिता गोपाल, बगदीराम पिता देवा जाति चमार, पता औसरना भू-स्वामी.	387	0.627	–	0.256
19	बालाराम पिता चतुर्भुज जाति अहीर पता नीमथूर भू-स्वामी.	382	2.958	–	0.210
		कुल रकबा. .	15.824	0	2.375

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2915-रीडर-2016-प्र.क्र. 34-अ-82-15-16.—चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री, गांधीसागर बांध, संभाग गांधीसागर की भानपुरा बांयी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिये ग्राम:- D-1 Minor मोखमपुरा, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है.

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जायेगा और ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा:-

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला—मंदसौर, तहसील भानपुरा, ग्राम—D-1 मोखमपुर क्षेत्रफल—33.250 रकबा—3.341 है.

अनुसूची (1)

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मोखमपुरा	3.341	0.000	3.341
	योग . .	**3.341**	**0.000**	**3.341**

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट-II

स.क्र.	कृषक का नाम	सर्वे नम्बर	कुल निजी रकबा हेक्टर	कुल अर्जित रकबा असिंचित	कुल अर्जित रकबा सिंचित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	हरिशंकर पिता गुलाब जाति कुल्मी निवासी पता औसरना भूमि स्वामी.	54	1.340	0.000	0.160
2	रामनारायण पिता मांगीलाल जाति कुल्मी निवासी पता औसरना भूमि स्वामी.	48	0.540	0.000	0.080
3.	भेरूलाल पिता अमरलाल जाति कुल्मी पता निवासी औसरना भूमि स्वामी.	47/1	1.340	0.000	0.147
4	गोमतीबाई पति ओमप्रकाश जाति पाटीदार निवासी पता औसनरा भूमि स्वामी.	49	0.840	0.000	0.024
5	ओमप्रकाश पिता अमरलाल जाति कुल्मी निवासी पता (मोखमपुरा) औसरना भूमि स्वामी.	47/2	1.330	0.000	0.048
6	सियाराम पिता अमरलाल जाति कुल्मी निवासी पता (मोखमपुरा) औसरना भूमि स्वामी.	47/3	1.340	0.000	0.024
7	रामलाल पिता कुशल राज जाति कुल्मी निवासी पता औसरना भूमि स्वामी.	29	1.240	0.000	0.208
8	भंवरलाल, भारतराम, कन्हैयालाल पिता नाथुलाल आ. पा. कार्ता. शंकरलाल पिता जयराम कुल्मी निवासी पता सम्मतखेडी भूमि स्वामी.	26	7.720	0.000	0.297

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	कन्हैयालाल, हुकुमचन्द्र, भारतराम, गोपाल पिता किशनलाल जाति कुम्हार, पता निवासी मोखमपुरा भूमि स्वामी.	23	0.790	0.000	0.336
10	मगेरसिंह पिता रामनारायण मीणा निवासी मोखमपुरा भूमि स्वामी.	182/मिन 6	0.940	0.000	0.243
11	मानसिंह पिता महादेव जाति मीणा निवासी मोखमपुरा भूमि स्वामी.	183/2	1.850	0.000	0.128
12	हरलाल पिता भवानीलाल नानी बाई, भवानीलाल जाति मीणा निवासी पता मोखमपुरा भूमि स्वामी.	183/1	1.850	0.000	0.128
13	मुन्नालाल पिता घनसीराम जाति कुम्हार निवासी पता मोखमपुरा भूमि स्वामी.	192/1	1.300	0.000	0.156
14	वरदीलाल पिता घनसीराम जाति कुम्हार निवासी पता मोखमपुरा भूमि स्वामी.	192/2	1.290	0.000	0.156
15	अशोक कुमार पिता भवानीशंकर जाति कुल्मी निवासी पता मोखमपुरा भूमि स्वामी.	204	1.830	0.000	0.286
16	राजेन्द्र कुमार पिता बिहारीलाल जाति मीणा निवासी पता मोखमपुरा भूमि स्वामी.	202	1.170	0.000	0.323
17	लालचन्द्र पिता लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी पता मोखमपुरा भूमि स्वामी.	222/1	0.550	0.000	0.077
18	बिहारीलाल पिता बापूलाल जाति मीणा निवासी पता मोखमपुरा भूमि स्वामी.	212	1.040	0.000	0.025
19	लालचन्द्र पिता महादेव जाति मीणा निवासी पता मोखमपुरा भूमि स्वामी.	213	1.940	0.000	0.055
20	अल्लाह एहसान, सफी मोहम्मद, ईसाक मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद मुसलमान भूमि स्वामी.	219	1.500	0.000	0.170
21	श्यामूबाई पिता रामनारायण जाति मीणा निवासी पता मोखमपुरा भूमि स्वामी.	214 217/1	0.860 0.540	0.000	0.010 0.120
22	परमानन्द पिता मोतीलाल जाति कुल्मी निवासी पता औसरना भूमि स्वामी.	215	1.510	0.000	0.140
		कुल रकबा. .	**33.250**	**0.000**	**3.341**

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़ (ब्यावरा), दिनांक 21 सितम्बर 2016

क्र. भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने लिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्र. क्र. 11-अ-82-2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ की ग्राम बीरमपुरा के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है. चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची (1)

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि

तहसील-राजगढ़

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बीरमपुरा	7.447	24.539	31.986
	कुल योग . .	7.447	24.539	31.986

अनुसूची (2)

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि—ग्राम बीरमपुरा

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	प्रस्तावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	कंचनबाई पिता श्रीलाल जाति लोड़ा	9/7	0.228	0.000	0.100	0.000
		25/7	0.160	0.000	0.160	0.160
		43/4	0.070	0.000	0.041	0.041
		44/7	0.170	0.000	0.055	0.055
		45/7	0.190	0.065	0.000	0.065
		79	0.100	0.000	0.063	0.063
		82/7	0.400	0.000	0.071	0.071
		83/1/7	0.210	0.000	0.048	0.048
	योग . .		1.528	0.065	0.538	0.603
2	किशनलाल पिता गोपीलाल जाति लोड़ा	5/4	0.500	0.000	0.010	0.010
		7/4	0.100	0.000	0.010	0.010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		84/4	0.310	0.000	0.036	0.036
		86/4	0.040	0.000	0.020	0.020
		107/4	0.010	0.000	0.008	0.008
		108/4	0.012	0.000	0.012	0.012
		111/1	0.010	0.000	0.010	0.010
		112/4	0.020	0.000	0.007	0.007
		113/4	0.080	0.000	0.004	0.004
		116/4	0.022	0.000	0.022	0.022
		27/4	0.051	0.000	0.051	0.051
		28/2	0.003	0.000	0.003	0.003
		29/1	0.012	0.000	0.012	0.012
		30/4	0.023	0.000	0.023	0.023
	योग . .		1.193	0.000	0.228	0.228
3	किशनलाल पिता रामसिंह, जाति लोड़ा	5/2	0.350	0.000	0.010	0.010
		7/2	0.140	0.000	0.010	0.010
		77/2	0.240	0.000	0.038	0.038
		84/2	0.410	0.000	0.047	0.047
		86/2	0.060	0.000	0.030	0.030
		107/2	0.017	0.000	0.008	0.008
		108/2	0.100	0.000	0.015	0.015
		110/2	0.070	0.000	0.013	0.013
		112/2	0.020	0.000	0.011	0.011
		113/2	0.025	0.000	0.006	0.006
		114/2	0.150	0.000	0.008	0.008
		27/2	0.067	0.000	0.067	0.067
		29/2	0.004	0.000	0.004	0.004
		30/2	0.032	0.000	0.032	0.032
	योग . .		1.685	0.000	0.299	0.299
4	गंगाराम पिता किशनलाल जाति लोड़ा	109	0.060	0.013	0.000	0.013
	योग . .		0.060	0.013	0.000	0.013
5	गोरेलाल पिता रतन, जाति लोड़ा	115/1/3	0.670	0.000	0.354	0.354
	योग . .		0.670	0.000	0.354	0.354
6	चेना पिता देवीराम जाति लोड़ा	5/6	0.500	0.000	0.050	0.050
		7/7	0.210	0.000	0.026	0.026
		84/7	0.170	0.000	0.035	0.035
		107/7	0.080	0.000	0.060	0.060
		108/7	0.010	0.000	0.010	0.010
		112/7	0.010	0.000	0.010	0.010
		113/7	0.020	0.000	0.005	0.005
		27/7	0.050	0.000	0.050	0.050

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		29/7	0.004	0.000	0.004	0.004
		30/7	0.024	0.000	0.024	0.024
	योग . .		1.078	0.000	0.274	0.274
7	प्रेमबाई बेवा बनेसिंह, जाति लोड़ा	5/3	0.330	0.000	0.010	0.010
		7/3	0.140	0.000	0.010	0.010
		84/3	0.410	0.000	0.047	0.047
		86/3	0.060	0.000	0.030	0.030
		107/3	0.016	0.000	0.008	0.008
		108/3	0.100	0.000	0.018	0.018
		110/3	0.100	0.000	0.013	0.013
		112/3	0.020	0.000	0.007	0.007
		27/3	0.067	0.000	0.067	0.067
		29/3	0.005	0.000	0.005	0.005
		30/3	0.033	0.000	0.033	0.033
	योग . .		1.281	0.000	0.248	0.248
8	भंवरलाल पिता रामसिंह जाति लोड़ा	5/1	0.340	0.000	0.010	0.010
		7/1	0.130	0.000	0.010	0.010
		84/1	0.240	0.044	0.000	0.044
		86/1	0.410	0.000	0.030	0.030
		107/1	0.120	0.000	0.008	0.008
		108/1	0.015	0.000	0.015	0.015
		110/1	0.100	0.000	0.012	0.012
		112/1	0.060	0.000	0.010	0.010
		113/1	0.020	0.000	0.006	0.006
		114/1	0.020	0.000	0.009	0.009
		27/1	0.067	0.000	0.067	0.067
		28/1	0.003	0.000	0.003	0.003
		30/1	0.032	0.000	0.009	0.009
	योग . .		1.557	0.044	0.189	0.233
9	मोड़सिंह मांगीलाल केशरसिंह पिता अमरसिंह जाति लोड़ा	14/1/4	0.050	0.000	0.042	0.042
		43/1	0.060	0.041	0.000	0.041
		47/4	0.460	0.000	0.307	0.307
		68/4	0.660	0.000	0.038	0.038
		71	0.500	0.000	0.030	0.030
		82/4	0.400	0.000	0.070	0.070
		83/1/4	0.210	0.000	0.049	0.049
		25/4	0.199	0.000	0.199	0.199
		44/4	0.054	0.000	0.054	0.054
		45/4	0.065	0.000	0.065	0.065
		46/4	0.174	0.174	0.000	0.174
		47/4	0.307	0.307	0.000	0.307
		54/4	0.177	0.000	0.177	0.177
	योग . .		3.316	0.522	1.031	1.553

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	रोड़या पिता गोरीलाल जाति लोड़ा	140/5/4	0.190	0.000	0.063	0.063
		144/4	0.096	0.000	0.040	0.040
		25/1/1	0.049	0.000	0.049	0.049
		44/1/3	0.014	0.000	0.014	0.014
		47/1/3	0.077	0.000	0.077	0.077
		54/1/2	0.044	0.000	0.044	0.044
	योग . .		0.470	0.000	0.287	0.287
11	रतनलाल पिता देवीराम लोड़ा	84/5	0.180	0.000	0.036	0.036
		86/5	0.310	0.000	0.030	0.030
		107/5	0.080	0.000	0.008	0.008
		108/5	0.012	0.000	0.012	0.012
		111/2	0.010	0.000	0.010	0.010
		112/5	0.010	0.000	0.008	0.008
		113/5	0.020	0.000	0.005	0.005
		27/5	0.051	0.000	0.051	0.051
		29/5	0.003	0.000	0.003	0.003
		30/5	0.024	0.000	0.024	0.024
	योग . .		0.700	0.000	0.187	0.187
12	लालसिंह, केशरसिंह, राजाराम पिता जगन्नाथ जाति लोड़ा.	5/5	1.000	0.000	0.020	0.020
		7/5	0.100	0.000	0.010	0.010
		7/6	0.100	0.000	0.010	0.010
		84/6	0.180	0.036	0.000	0.036
		86/6	0.310	0.000	0.089	0.089
		107/6	0.010	0.000	0.008	0.008
		108/6	0.012	0.000	0.012	0.012
		111/3	0.010	0.000	0.009	0.009
		112/6	0.020	0.000	0.008	0.008
		113/6	0.080	0.000	0.005	0.005
	योग . .		1.822	0.036	0.171	0.207
13	अयोध्याबाई बेवा श्री लाल रमेश पिता श्रीलाल जाति चमार.	18/1	0.104	0.000	0.104	0.104
		127/1	0.124	0.000	0.124	0.124
		128/1	0.015	0.000	0.015	0.015
		152/1	0.357	0.357	0.000	0.357
	योग . .		0.600	0.357	0.243	0.600
14	बद्रीलाल पिता हरिसिंह जाति चमार	18/2	0.104	0.000	0.104	0.104
		123/2	0.146	0.000	0.146	0.146
		127/2	0.123	0.000	0.123	0.123
		128/2	0.126	0.000	0.016	0.016
		50/1/2	0.657	0.000	0.657	0.657
		152/2	0.358	0.000	0.358	0.358
	योग . .		1.514	0.000	1.404	1.404

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	कंचरलाल पिता भोनीसिंह जाति लोड़ा	25/5/3	0.060	0.000	0.040	0.040
		43/2/3	0.150	0.000	0.014	0.014
		44/5/1	0.150	0.000	0.018	0.018
		45/5/3	0.230	0.021	0.000	0.021
		82/5/3	0.230	0.023	0.000	0.023
		83/1/5/3	1.160	0.000	0.017	0.017
	योग . .		1.980	0.044	0.089	0.133
16	कन्हैयालाल पिता भंवरलाल जाति लोड़ा	50/6/2	0.696	0.415	0.000	0.415
		153/2	0.080	0.000	0.042	0.042
		154/2	0.080	0.000	0.017	0.017
		155/2	0.020	0.000	0.131	0.131
		156/2	0.520	0.000	0.034	0.034
		157/2	0.520	0.000	0.300	0.300
		159/13/2	0.930	0.050	0.000	0.050
		159/14/1	0.555	0.551	0.000	0.551
	योग . .		3.401	1.016	0.524	1.540
17	बद्रीलाल करणसिंह पिता कालु जाति लोड़ा	138/2	2.310	0.000	0.860	0.860
		149/2	0.060	0.000	0.060	0.060
		31/2	0.170	0.000	0.048	0.048
		33/2	0.360	0.000	0.092	0.092
		136/2	0.030	0.000	0.006	0.006
		137/2	0.090	0.000	0.019	0.019
	योग . .		3.020	0.000	1.085	1.085
18	गंगाराम भवासिंह, शंकर, प्रंम दोली, सोरम पिता घीसा, जाति लोड़ा	50/7	2.238	0.000	1.896	1.896
	योग . .		2.238	0.000	1.896	1.896
19	गंगाराम पिता श्रीलाल भुमि स्वामी, जाति लोड़ा	25/6	0.195	0.000	0.040	0.040
		43/3	0.041	0.000	0.041	0.041
		44/6	0.054	0.000	0.010	0.010
		45/6	0.065	0.000	0.013	0.013
		82/6	0.071	0.014	0.000	0.014
		83/1/6	0.048	0.048	0.000	0.048
	योग . .		0.474	0.062	0.104	0.166

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20	मांगीलाल पिता गंगाराम भूमि स्वामी	25/6/1	0.040	0.000	0.040	0.040
		43/3/1	0.080	0.000	0.080	0.080
		44/6/1	0.011	0.000	0.011	0.011
		45/6/1	0.013	0.000	0.013	0.013
		82/6/1	0.014	0.000	0.014	0.014
		83/1/6/1	0.090	0.000	0.090	0.090
		83/2/1	0.110	0.000	0.110	0.110
		योग . .	0.358	0.000	0.358	0.358
21	प्रभुलाल पिता गंगाराम भूमि स्वामी	25/6/2	0.040	0.000	0.040	0.040
		43/3/2	0.080	0.000	0.080	0.080
		44/6/2	0.011	0.000	0.011	0.011
		45/6/2	0.013	0.000	0.013	0.013
		82/6/2	0.014	0.000	0.014	0.014
		83/1/6/2	0.091	0.000	0.091	0.091
		83/2/2	0.110	0.000	0.110	0.110
		योग . .	0.359	0.000	0.359	0.359
22	रमेश पिता गंगाराम भूमि स्वामी	25/6/3	0.039	0.000	0.039	0.039
		43/3/3	0.080	0.000	0.080	0.080
		44/6/3	0.011	0.000	0.011	0.011
		45/6/3	0.013	0.000	0.013	0.013
		82/6/3	0.014	0.000	0.014	0.014
		83/1/6/3	0.091	0.000	0.091	0.091
		83/2/3	0.110	0.000	0.110	0.110
		योग . .	0.358	0.000	0.358	0.358
23	रामबगस पिता गंगाराम भूमि स्वामी	25/6/4	0.039	0.000	0.039	0.039
		43/3/4	0.090	0.000	0.090	0.090
		44/6/4	0.011	0.000	0.011	0.011
		45/6/4	0.013	0.000	0.013	0.013
		82/6/4	0.015	0.000	0.015	0.015
		83/1/6/4	0.091	0.000	0.091	0.091
		83/2/4	0.110	0.000	0.110	0.110
		योग . .	0.369	0.000	0.369	0.369
24	गोरधन मांगीलाल रंगलाल हेमराज पिता मनीराम जाति लोड़ा	41	0.190	0.000	0.051	0.051
		68/3	0.660	0.000	0.038	0.038
		83/1/3	0.400	0.000	0.049	0.049
		योग . .	1.250	0.000	0.138	0.138

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25	घीसालाल पिता लालसिंह जाति लोड़ा	34/1	0.070	0.000	0.019	0.019
		68/1/3	0.170	0.000	0.010	0.010
		73/166/1/3	0.040	0.000	0.010	0.010
		82/1/2	0.100	0.000	0.017	0.017
		83/1/1/4	0.060	0.000	0.012	0.012
		144/1	0.410	0.000	0.410	0.410
		25/1/4	0.050	0.000	0.050	0.050
		44/1/4	0.013	0.000	0.013	0.013
		47/1/4	0.077	0.000	0.077	0.077
		54/1/2	0.044	0.000	0.044	0.044
	योग . .		1.034	0.000	0.662	0.662
26	देवचन्द पिता दवीलाल, जाति लोड़ा	34/2	0.060	0.000	0.019	0.019
		68/1/4	0.170	0.000	0.013	0.013
		82/1/3	0.100	0.000	0.017	0.017
		83/1/1/1	0.060	0.000	0.012	0.012
		144/2	0.410	0.000	0.041	0.041
	योग . .		0.800	0.000	0.102	0.102
27	नारायण पिता भंवरलाल जाति लोड़ा	153/3	0.160	0.042	0.000	0.042
		154/3	0.130	0.000	0.017	0.017
		155/1	0.250	0.000	0.131	0.131
		156/3	0.170	0.034	0.000	0.034
		157/3	0.530	0.000	0.300	0.300
		159/15/2	4.000	0.000	0.550	0.550
	योग . .		5.240	0.076	0.998	1.074
28	पुभुनारायण कन्हैयालाल पिता भंवर लाल	16	0.060	0.000	0.030	0.030
	हि. 1/2 करनसिंह, बापू रीताबाई पिता	17	1.000	0.000	0.253	0.253
	मांगीलाल बरजी बेवा मांगीलाल भागीरथ	36	2.190	0.316	0.000	0.316
	भूमि स्वामी, राजुबाई फूलसिंह म.बा.स.र.प.	40	0.620	0.000	0.164	0.164
	भाई करनसिंह जाति लोड़ा	78	0.690	0.101	0.000	0.101
	योग . .		4.560	0.417	0.447	0.864
29	प्रभु नारायण कन्हैया शैतानबाई पिता	19	1.690	0.000	0.304	0.304
	भंवरलाल हि, बराबर जाति लोड़ा	46/1	0.174	0.174	0.000	0.174
	योग . .		1.864	0.174	0.304	0.478
30	प्रभुलाल पिता भंवरलाल जाति लोड़ा	50/6/1	1.391	0.695	0.000	0.695
		153/1	0.126	0.000	0.042	0.042
		154/1	0.500	0.000	0.017	0.017
		155/3	0.370	0.000	0.130	0.130
		156/1	2.250	0.000	0.033	0.033
		157/1	0.520	0.000	0.300	0.300

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		159/13/1	0.960	0.000	0.050	0.050
		159/14/2	1.220	0.500	0.000	0.500
		159/15/1	1.000	0.000	0.120	0.120
		योग . .	8.337	1.195	0.692	1.887
31	बंशीलाल पिता देवीराम जाति लोड़ा	34/3	0.060	0.000	0.019	0.019
		68/1/1	0.160	0.000	0.009	0.009
		73/166/1/1	0.050	0.000	0.008	0.008
		82/1/1	0.100	0.000	0.018	0.018
		83/1/1/2	0.050	0.000	0.012	0.012
		144/3	0.400	0.000	0.400	0.400
		1/33	1.010	0.000	1.010	1.010
		44/1/2	0.014	0.000	0.014	0.014
		25/1/2	0.050	0.000	0.050	0.050
		47/1/2	0.076	0.000	0.076	0.076
		54/1/3	0.044	0.000	0.044	0.044
		योग . .	2.014	0.000	1.660	1.660
32	बजेसिंह पिता भुनीसिंह जाति लोड़ा	25/5/2	0.060	0.000	0.040	0.040
		43/2/2	0.020	0.000	0.013	0.013
		44/5/2	0.050	0.018	0.000	0.018
		45/5/2	0.022	0.000	0.022	0.022
		82/5/2	0.140	0.024	0.000	0.024
		83/1/5/2	0.070	0.000	0.016	0.016
		योग . .	0.362	0.042	0.091	0.133
33	रामचरण पिता हरीसिंह जाति चमार	18/3	0.104	0.000	0.104	0.104
		123/3	0.145	0.000	0.145	0.145
		125/3	0.004	0.000	0.004	0.004
		127/3	0.123	0.000	0.123	0.123
		128/3	0.015	0.000	0.015	0.015
		129/3	0.098	0.000	0.098	0.098
		151/3	0.041	0.000	0.041	0.041
		152/3	0.357	0.000	0.357	0.357
		योग . .	0.887	0.000	0.887	0.887
34	दुलीचंद पिता हरिसिंह जाति चमार	18/4	0.105	0.000	0.105	0.105
		123/4	0.145	0.000	0.145	0.145
		125/4	0.003	0.000	0.003	0.003
		127/4	0.123	0.000	0.123	0.123
		128/4	0.015	0.000	0.015	0.015
		151/4	0.041	0.000	0.041	0.041
		152/4	0.357	0.000	0.357	0.357
		योग . .	0.789	0.000	0.789	0.789

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
35	मदन पिता किसना जाति लोड़ा	31/3	0.170	0.000	0.047	0.047
		33/3	0.360	0.000	0.092	0.092
		136/3	0.030	0.000	0.006	0.006
		137/3	0.120	0.000	0.019	0.019
	योग . .		0.680	0.000	0.164	0.164
36	रामसिंह पिता घीसा जाति लोड़ा	159/30	1.190	0.696	0.000	0.696
	योग . .		1.190	0.696	0.000	0.696
37	रामप्रसाद राधेश्याम रमेश आ. मांगीलाल जाति लोड़ा	31/1	0.350	0.000	0.095	0.095
		22/1	0.430	0.000	0.430	0.430
		137/1	0.190	0.000	0.038	0.038
	योग . .		0.970	0.000	0.563	0.563
38	शंकर पिता जालम, गोरधन बद्रीलाल तुलसीराम मांगीलाल भेरूलाल बापुलाल पिता रामलाल जाति लोड़ा	5/7	2.000	0.000	0.150	0.150
		84/8	1.410	0.000	0.288	0.288
		86/8	2.470	0.000	0.400	0.400
		108/8	0.030	0.000	0.100	0.100
		112/8	0.370	0.000	0.067	0.067
		113/8	0.090	0.000	0.045	0.045
		139	0.310	0.000	0.038	0.038
		27/8	0.406	0.000	0.406	0.406
		28/8	0.007	0.000	0.007	0.007
		29/8	0.007	0.000	0.007	0.007
		30/8	0.187	0.000	0.187	0.187
	योग . .		7.287	0.000	1.695	1.695
39	रमकूबाई बेवा बापूलाल जाति लोड़ा नि. ग्राम भू-स्वामी.	1/31/1	1.012	0.000	1.012	1.012
	योग . .		1.012	0.000	1.012	1.012
40	कन्हैयालाल पिता बापूलाल जाति लोड़ा नि. ग्राम भू-स्वामी.	1/31/2	2.514	0.000	2.514	2.514
	योग . .		2.514	0.000	2.514	2.514
41	अंकुश गुप्ता पिता बद्रीलाल गुप्ता जाति महाजन नि. ग्राम भू-स्वामी.	1/31/3	2.514	2.514	0.000	2.514
	योग . .		2.514	2.514	0.000	2.514

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
42	देवचंद पिता देवीलाल, बंशीलाल पिता देवीराम, घीसालाल पिता लालसिंह रोड़जी पिता गोरीलाल.	45/1	0.065	0.000	0.065	0.065
		46/1	0.174	0.000	0.174	0.174
	योग . .		0.239	0.000	0.239	0.239
43	गोरधन, मांगीलाल, रंगलाल, हेमराज पिता मनीराम जाति लोड़ा, नि. ग्राम भू-स्वामी.	25/3	0.199	0.000	0.199	0.199
		44/3	0.054	0.000	0.054	0.054
		45/3	0.065	0.000	0.065	0.065
		46/3	0.174	0.174	0.000	0.174
		47/3	0.307	0.000	0.307	0.307
		54/3	0.177	0.000	0.177	0.177
	योग . .		0.976	0.174	0.802	0.976
44	लालसिंह पिता देवीराम जाति लोड़ा नि. ग्राम भू-स्वामी.	27/6	0.051	0.000	0.051	0.051
		29/6	0.003	0.000	0.003	0.003
		30/6	0.024	0.000	0.024	0.024
	योग . .		0.078	0.000	0.078	0.078
45	देवचंद पिता देवीलाल जाति लोड़ा नि. ग्राम भू-स्वामी.	25/1/3	0.013	0.000	0.013	0.013
		44/1/1	0.050	0.000	0.050	0.050
		54/1/3	0.044	0.000	0.044	0.044
	योग . .		0.107	0.000	0.107	0.107
	कुल योग . .		74.735	7.447	24.539	31.986

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरूण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन), जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 22 सितम्बर 2016

क्र. 350-मण्डी-निर्वाचन-2016-17.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. सुदाम खाडे, कलेक्टर, जिला सीहोर मंडी अधिनियम की धारा 11(1)(घ) के अनुक्रम में म. प्र. कृषि उपज मंडी (लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन) नियम 2010 के अंतर्गत सीहोर जिले की कृषि उपज मंडी समिति आष्टा के लिये नियमानुसार एतद्द्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं :—

क्रमांक	मण्डी का नाम	नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम एवं पता	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आष्टा	श्री मानसिंह ठाकुर, आ. श्री रतनसिंह ठाकुर आयु 46 वर्ष निवासी—ग्राम इलाही पोस्ट-जसमत तह. आष्टा जिला सीहोर (म. प्र.)	धारा 11(1) (घ) के अन्तर्गत सांसद प्रतिनिधि

डॉ. सुदाम खाडे, कलेक्टर,
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन)

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन)—60 अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश

अलीराजपुर, दिनांक 20 जुलाई 2016

क्र. 1765-मंडी निर्वा.-2016.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति अलीराजपुर—60, जिला अलीराजपुर के लिये निम्नानुसार उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया है :—

क्रमांक	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	पदनाम जिसके लिये निर्वाचित हुए	पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती रेलकी बाई पति श्री रूमालसिंह	उपाध्यक्ष	ग्राम—आमला, तहसील सोण्डवा, जिला अलीराजपुर

???????, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी).

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2016

क्र. -2016-विपप्र-ओएसडी.—सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1-2015-1-9, दिनांक 27 मार्च 2015 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है. 1 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा 2014 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरान्त विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 9 से 13 अगस्त, 2016 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया. इस आयोजित परीक्षा के विषय-1. प्रशासनिक विधि एवं प्रक्रिया, 2. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया, 3. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया, 4. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन) 5. सिविल विधि एवं प्रक्रिया, 6. मध्यप्रदेश स्थानीय शासन—में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती नेहा मीणा	सहायक कलेक्टर

क्र. -2016-विपप्र-ओएसडी.—सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1-2015-1-9, दिनांक 27 मार्च 2015 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है. 1 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा 2014 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरान्त विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 9 से 13 अगस्त, 2016 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया. इस आयोजित परीक्षा के विषय-1. प्रशासनिक विधि एवं प्रक्रिया, 2. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया, 3. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन) 4. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया, 5. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन) 6. सिविल विधि एवं प्रक्रिया, 7. मध्यप्रदेश स्थानीय शासन—में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	श्री क्षितिज सिंघल	सहायक कलेक्टर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं
नोडल अधिकारी विभागीय परीक्षा.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

"निर्वाचन भवन"

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, (मध्यप्रदेश)—462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2016

क्र. एफ. 87-90-15-ग्यारह-437.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार **अध्यक्ष** के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह

निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2014" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2014 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद् हिण्डोरिया,** जिला दमोह, के आम निर्वाचन में **श्रीमती वैजयन्ती सिंह** भी अध्यक्ष पद के निर्वाचन में अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद् हिण्डोरिया जिला दमोह के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 7 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 06 जनवरी 2015 तक, **श्रीमती वैजयन्ती सिंह** को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला दमोह के पास दाखिल किया जाना था, परन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दमोह के आयोग को प्रेषित पत्र दिनांक 10 जनवरी 2015 के संलग्न परिशिष्ट-36 के अनुसार श्रीमती वैजयन्ती सिंह द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा ही प्रस्तुत नहीं किया गया.

विहित समयावधि में अभ्यर्थी, श्रीमती सिंह द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने की जानकारी कलेक्टर एवं जिला अधिकारी, दमोह से आयोग को प्राप्त होने के उपरान्त आयोग की ओर से इस संबंध में अभ्यर्थी, **श्रीमती वैजयन्ती सिंह** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 25 फरवरी 2015 जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

उपस्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी, **श्रीमती सिंह** को कारण बताओ नोटिस की तामीली दिनांक 18 मार्च 2015 को हुई. इस हिसाब से उनके द्वारा अपना अभ्यावेदन/जवाब दिनांक 2 अप्रैल 2015 तक प्रस्तुत करना था, जो उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया.

कारण बताओ नोटिस की तामीली अभ्यर्थी, **श्रीमती वैजयन्ती सिंह** को हो जाने के उपरान्त आयोग की ओर से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला दमोह से पुनः ज्ञापन दिनाक 7 अप्रैल 2015 द्वारा अभ्यर्ती **श्रीमती वैजयन्ती सिंह** द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत करने संबंधी जानकारी चाही गई.

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला दमोह के ज्ञापन दिनांक 28 सितम्बर 2015 के संलग्न प्रेषित रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया कि चूंकि अभ्यर्थी, **श्रीमती वैजयन्ती सिंह** द्वारा जवाब व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नोटिस के तारतम्य में कार्यवाही अपेक्षित है.

जिले से उक्ताशय की जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा सूचना पत्र दिनांक 2 सितम्बर 2015 जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अभ्यर्थी, **श्रीमती वैजयन्ती सिंह** को आयोग कार्यालय में दिनांक 1 दिसम्बर 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आहूत किया गया. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी, **श्रीमती वैजयन्ती सिंह** को यथासमय हो चुकी थी. परन्तु न तो **श्रीमती वैजयन्ती सिंह** आयोग कार्यालय में आयोजित व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित हुईं और न ही इस संबंध में उनके द्वारा कोई अभ्यावेदन ही आयोग को भेजा गया.

अतः उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी, **श्रीमती वैजयन्ती सिंह** द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत ही नहीं किया गया. अतः इससे आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत अभ्यर्थी **श्रीमती वैजयन्ती सिंह** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद्, हिण्डोरिया, जिला दमोह (म. प्र.) का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये आदेश जारी होने की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुनीता त्रिपाठी)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

पर्यटन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2016

क्र. एफ 10-62-2016-तैंतीस.—राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन नीति 2016 का अनुमोदन करता है. यह नीति दिनांक 1 अक्टूबर, 2016 से प्रभावी होंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, सचिव.

पर्यटन नीति

1. **दृष्टि वक्तव्य** (VISION STATMENT)

"संतुलित एवं समेकित पर्यटन की ऐसी अभिवृद्धि जिससे सामाजिक एवं आर्थिक विकास संभव हो तथा मध्यप्रदेश समग्र पर्यटन अनुभव प्रदान करने वाला गन्तव्य बन सके

(To promote such balanced and sustainable tourism which enables socio economic development and establishes Madhya Pradesh as a destination that provides a complete tourism experience.)

2. सिद्धांत -

नीति के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यवाही बिन्दु (Points of Action) मुख्यत: निम्न सिद्धांतों (Principles) पर आधारित हैं :-

2.1 ऐसी संस्थागत व्यवस्था स्थापित करना, जिससे शासन द्वारा निर्धारित दिशा में निजी निवेश प्रोत्साहित हो।

2.2 समेकित पर्यटन (sustainable tourism) के लिये प्रभावी नियामक प्रक्रिया की स्थापना हो ।

2.3 पर्यटक स्वागत, सूचना, सुविधा, सुरक्षा, संरचना तथा सफाई के लिये सभी उपाय किये जायें।

2.4 धरोहरों का संरक्षण एवं पर्यटन में उपयोग किया जाये ।

2.5 ईको पर्यटन (Eco Tourism) आम-जन में पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करने का कारक बने।

2.6 शासकीय विभागों, स्वयं सेवी संस्थाओं, समुदाय तथा पर्यटन उद्योग के हितधारी पक्षों के मध्य समन्वित सक्रिय भागीदारी स्थापित हो।

2.7 पर्यटन क्षेत्र में पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप पर आधारित पर्यटक परियोजनाओं का समुचित विकास हो ।

2.8 नीति प्रभावशीलता अवधि- यह नीति जारी होने के दिनांक से प्रथमतः पॉच वर्ष की अवधि तक प्रभावशील रहेगी तथा इस अवधि में प्रारंभ/स्थापित (उत्पादन प्रारंभ/विस्तार) पर्यटन परियोजनाओं को इस नीति के प्रावधानों के अनुसार लाभ/ छूट/ रियायतें प्राप्त करने की पात्रता होगी। तथापि इस नीति के पूर्व

स्थापित होने वाली पर्यटन परियोजनाओं को लाभ/ छूट/ रियायतें तत्समय प्रचलित नीति के अनुसार प्राप्त होगी।

3. रणनीति-

उपर्युक्त सिध्दांतों तथा पर्यटन दृष्टि-वक्तव्य के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये रणनीति (**Strategy**) निम्नानुसार होगी -

3.1 निजी निवेश को आकर्षित करने के लिये स्पष्ट, पारदर्शी तथा मानक प्रक्रिया को स्थापित किया जायेगा ।

3.2 गन्तव्य के विपणन के लिये अपेक्षित अनुसंधान तथा डाटा-बेस तैयार किया जायेगा ।

3.3 पर्यटन के क्षेत्र में प्रमाणिक सांख्यिकीय डाटा-बेस तैयार करने तथा पर्यटकों से फीडबैक प्राप्त कर व्यवस्थागत सुधार की दृष्टि से युक्तियुक्त प्रणाली विकसित की जायेगी ।

3.4 अधोसंरचना यथा सड़क, पेयजल, ऊर्जा, स्वच्छता, परिवहन तथा ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन का निरंतर संधारण तथा प्रोन्नयन किया जायेगा ।

3.5 स्थानीय निकायों को पर्यटन के प्रति संवेदशील बनाकर उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी ।

3.6 मेले, स्थानीय व्यंजन, संस्कृति, वेशभूषा, उत्पाद, कला, हस्तकला तथा विरासत के विपणन के लिये ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित किया जायेगा ।

3.7 ईको पर्यटन के गन्तव्यों में प्राकृतिक संसाधनों एवं सौन्दर्य की सुरक्षा तथा संरक्षण का सर्वोपरि ध्यान रखा जायेगा।

3.8 आध्यात्मिक पर्यटन के लिये चिन्हित स्थानों के विकास की समग्र योजना तैयार की जायेगी ।

3.9 वृहद जलाशयों पर पर्यटन सुविधाओं का योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित किया जायेगा ।

3.10 पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश के विभिन्न शहरों को सड़क मार्ग (बस सेवा) तथा वायु सेवा से जोड़ने हेतु प्रभावी उपाय किये जायेंगे एवं निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जायेगा।

3.11 स्थानीय प्रशासन के सहयोग तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण से साहसिक पर्यटन के लिये आवश्यक व्यवस्थायें स्थापित की जायेगी।

३.।2 पर्यटन उद्योग के सभी क्षेत्रों में नियोजित मानव संसाधन का ऐसा प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जायेगा ताकि प्रदेश की पर्यटन अनुकूल (Tourism friendly) छवि बन सके एवं युवाओ को रोजगार के अवसर भी मिल सकें।

3.13 निजी निवेश से पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देने के लिये उपयुक्त स्थल चयन कर लैण्ड बैंक को (Land Bank) निरंतर बढ़ाया जायेगा।

3.14 प्रदेश में पर्यटकों को पर्याप्त एव स्तरीय आवास सुविधा प्रदान करने के लक्ष्य से स्टैंडर्ड (Standard) एवं डीलक्स (Delux) श्रेणी के होटलों की निजी निवेश से स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा।

3.15 शासन के अन्य सुसंगत विभागों की कार्य योजना में "पर्यटन योजना" को सम्मिलित करने का प्रयास किया जायेगा।

3.16 निजी निवेश से हेरिटेज होटल की स्थापना को बढ़ावा देने के लिये अनुदान/ रियायतें दी जायेगी ।

3.17 Mice (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश में निजी निवेश से कन्वेंशन सेंटर स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा।

3.18 प्रदेश में होटल रिसोर्ट सहित विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु अनुदान/ रियायतें उपलब्ध करायी जायेगी।

ध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम-

प्रदेश में पर्यटन नीति को क्रियान्वित करने के लिये मैदानी स्तर पर ग्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ा की भूमिका निम्नानुसार होगी :-

4.1 निगम पर्यटन सेवायें प्रदान करते हुये संपूर्ण प्रदेश में निजी निवेश से पर्यटन सेवाओं की स्थापना, विस्तार एवं विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

4.2 निगम यथा आवश्यकता अपनी इकाईयों को संचालन हेतु प्रबंधकीय अनुबंध अथवा दीर्घ अवधि की लीज पर निजी क्षेत्र को सौप सकेगा।

4.3 पर्यटन उद्योग से जुडे हितधारियों से संपर्क एवं समन्वय रखते हुये पर्यटन संवर्धन, प्रबंधन एवं संचालन संबंधी समस्या समाधान हेतु प्रभावी कदम उठाये जायेगें।

4.4 पर्यटन संभावित अविकसित नवीन क्षेत्रों में निवेश कर पर्यटन परियोजनाएं स्थापित की जायेगी तथा निजी निवेश का मार्ग प्रशस्त कर निवेशकों को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

4.5 निगम यथा आवश्यकता अपनी इकाईयों का विस्तार करेगा एवं प्राप्त लाभ से नवीन क्षेत्रों का विकास करेगा।

4.6 प्रदेश में सत्कार प्रशिक्षण, फूड क्राफ्ट, पर्यटन प्रबंधन आदि क्षेत्रों में उच्च शिक्षा एवं अन्य कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों यथा मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटीलिटी एंड ट्रेनिंग, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटीलिटी एंड केटरिग टेक्नोलॉजी आदि का यथा आवश्यक विस्तार एवं सुदृढीकरण किया जायेगा।

4.7 भारत शासन, राज्य शासन एवं वित्तीय संस्थाओं से पर्यटन परियोजनाओं के लिये ऋण एवं अनुदान प्राप्त करने हेतु समस्त कार्यवाही करेगा।

4.8 पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने, इन्वेस्टर्स फेसिलीटेशन, निवेशकों को नीति अनुसार अनुदान एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा पर्यटन परियोनाओं के आकल्पन, क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिये विभाग द्वारा पर्यटन विकास निगम में एक पृथक प्रभाग "पर्यटन संवर्धन एवं योजना प्रभाग" का गठन किया जायेगा। इस प्रभाग हेतु विधिवत सेटअप का निर्धारण विभाग द्वारा किया जायेगा। प्रभाग में सेटअप अनुसार आवश्यक मानव संसाधन निगम द्वारा पदस्थापित किये जायेंगे। इस प्रभाग को कार्यशील रखने के लिये आवश्यक वित्तीय संसाधन शासन द्वारा निगम को पृथक से उपलब्ध करायें जायेंगे।

5. पर्यटन परियोजनायें -

इस नीति के अंतर्गत विभिन्न सुविधायें/छूट प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित गतिविधियों को पर्यटन परियोजना माना जायेगा। परियोजनाओं की परिभाषा, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार अथवा पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी।

5.1 होटल (स्टार, डीलक्स एवं स्टेण्डर्ड श्रेणी)
5.2 हेल्थ फार्मस्/ रिसोर्ट/हेल्थ एंड वेलनेस रिसोर्टस्
5.3 रिसोर्ट, केम्पिंग साइट एवं स्थायी टेंटिंग इकाईयां
5.4 मोटल एवं वेसाइड एमेनिटीज
5.5 हेरिटेज होटल
5.6 कन्वेंशन सेन्टर (MICE)
5.7 म्यूजियम/ एक्वेरियम/ थीम पार्कस्
5.8 बेड एण्ड ब्रेकफास्ट/होमस्टे इकाई
5.9 गोल्फ कोर्स
5.10 रोप-वे (Ropeway)
5.11 वाटर पार्क और वाटर स्पोर्टस
5.12 एम्यूजमेंट पार्क
5.13 केरेवॉन टूरिज्म
5.14 क्रूज टूरिज्म
5.15 हॉउस वोट
5.16 फिल्म स्टूडियो एवं फिल्म निर्माण हेतु अधोसंरचना निर्माण एवं उपकरणों की स्थापना।
5.17 एडवेन्चर स्पोर्टस्
5.18 लाईट एंड साउन्ड शो/ लेजर शो
5.19 अन्य पर्यटन संबंधी गतिविधियां जिन्हें केंद्र/राज्य शासन का पर्यटन विभाग अपनी नीति अंतर्गत अधिसूचित करे।

6. पर्यटन परियोजनाओं हेतु अनुदान-

इस पर्यटन नीति की प्रभावशीलता अवधि में स्थापित होकर प्रारंभ होने वाली पात्र पर्यटन परियोजनाओं को उनके द्वारा किये गये स्थायी पूंजीगत व्यय पर निम्नानुसार श्रेणीवार पूंजीगत अनुदान की पात्रता होगी :-

क्र	अनुदान योजना	न्यूनतम परियोजना लागत (रूपये लाख में)	स्थायी पूंजीगत व्यय पर अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की अधिकतम सीमा (रूपये लाख में)	अन्य शर्तें
6.1	निजी स्वामित्व के हेरिटेज होटलों हेतु पूंजीगत अनुदान	300 लाख	15 प्रतिशत	200 लाख	अनुदान का भुगतान हेरिटेज होटल निर्माण के पश्चात् एक वर्ष तक संचालन करने तथा ***HRACC (Hotel and Restaurant Approval and Cclassifications Committee)*** द्वारा हेरिटेज होटल के रूप में वर्गीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत देय होगा।
6.2	पर्यटन विभाग द्वारा लीज पर दी गई हेरिटेज सम्पत्तियों पर हेरिटेज होटल स्थापना हेतु पूंजीगत अनुदान	1000 लाख	15 प्रतिशत	500 लाख	कंडिका 6.1 अनुसार
6.3	डीलक्स/ थ्री स्टार अथवा उच्च श्रेणी के नवीन होटल एवं रिसार्ट की स्थापना हेतु पूंजीगत अनुदान	1000 लाख	15 प्रतिशत	500 लाख	किराये पर देने योग्य एयरकंडिशंड कक्षों की न्यूनतम संख्या 50 होना आवश्यक है।
6.4	स्टेण्डर्ड श्रेणी के नवीन होटल की स्थापना हेतु पूंजीगत अनुदान	200 लाख	15 प्रतिशत	50 लाख	किराये पर देने योग्य कक्षों की न्यूनतम संख्या 25 होना आवश्यक है।

6.5	नवीन रिसार्ट एवं वेलनेस सेंटर (आयुर्वेद योग, नेचरोपेथी चिकित्सा सुविधायुक्त रिसार्ट सहित) की स्थापना हेतु पूंजीगत अनुदान	500 लाख	15 प्रतिशत	200 लाख	भारत/राज्य शासन द्वारा मान्य परिभाषा एवं मापदंडों/ मानकों के अनुसार इकाई की स्थापना आवश्यक है।
6.6	पूर्व स्थापित स्टार/ डीलक्स/ स्टेण्डर्ड श्रेणी के होटल/ रिसोर्ट/ हेरिटेज होटल के विस्तार पर पूंजीगत अनुदान ।	100 लाख	15 प्रतिशत	500 लाख	अनुदान हेतु पूर्व स्थापित इकाई में ऐसा विस्तार पात्र होगा, जिसमें आवासीय क्षमता पूर्वक्षमता से 50 प्रतिशत या अधिक बढ़ायी गयी हो।
6.7	**MICE (meetings, incentives, conference, exhibitions)** अंतर्गत 500 या अधिक सीट क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर/कन्वेंशन सेंटर सह होटल की स्थापना पर पूंजीगत अनुदान	2000 लाख	15 प्रतिशत	1000 लाख	यह आवश्यक होगा कि परियोजना की स्थापना कन्वेंशन सेंटर हेतु भारत शासन पर्यटन मंत्रालय द्वारा निर्धारित मापदंडों/ मानकों के अनुरूप की गयी हो। अकेले मुख्य कन्वेंशन हॉल की सीट क्षमता 500 या अधिक होना आवश्यक है।
6.8	फिल्म स्टूडियो एवं फिल्म निर्माण हेतु स्थायी अधोसंरचना निर्माण एवं उपकरणों की स्थापना/ म्यूजियम, एक्वेरियम, थीम पार्क, स्थापना पर पूंजीगत अनुदान	300 लाख	15 प्रतिशत	500 लाख	

6.9	एडवेंचर टूरिज्म, वाटर टूरिज्म, वाटर स्पोर्टस, क्रूज/हाउस बोट, नौवहन अधोसंरचना, एम्यूजमेंट पार्क, लाईट एंड साउंड शो/लेजर शो कैम्पिंग (टेन्ट सहित) हेतु स्थायी सुविधायें एवं अधोसंरचनाओं की यंत्रोपकरण सहित स्थापना	100 लाख	15 प्रतिशत	300 लाख	स्थाई सुविधा/ अधोसंरचना से आशय, प्लेटफॉर्म/ जेट्टी/ उपकरण पार्किंग साइट/ बिजली सुविधा/ जल प्रदाय/ टॉयलेट आदि जन-सुविधाओं से है।
6.10	ग्रीन फील्ड/फ्रेंचाईजी माडल पर मार्ग सुविधा (डब्ल्यू.एस.ए) की स्थापना जिसमें स्थायी पूंजीगत व्यय रूपये 50 लाख से अधिक	50 लाख	15 प्रतिशत	20 लाख	विभाग की मार्ग सुविधा केन्द्र नीति 2016 के अनुरूप निर्धारित स्थानों पर स्थापित एवं संचालित इकाईयों को पात्रता
6.11	पर्यटन विभाग से लीज पर ली गयी भूमि/ हेरिटेज परिसंपत्ति पर मूल अधोसंरचना यथा विद्युत प्रदाय, जलप्रदाय एवं सड़क सम्पर्क, सीवेज एवं जल मल निकासी अधोसंरचनाओं के निर्माण हेतु पूंजीगत अनुदान	100 लाख	25 प्रतिशत	300 लाख	
6.12	दुर्गम पर्यटन स्थलों/ वन पर्यटन क्षेत्रो में परिवहन हेतु रोप-वे अधोसंरचना का निर्माण	100	40 प्रतिशत	500	

7. वीक एण्ड टूरिज्म को बढ़ावा देना-

प्रदेश एवं देश के अन्य राज्यों के पर्यटकों को प्रोत्साहित करने एवं 'वीक एण्ड टूरिज्म' को बढ़ावा देने के लिये पर्यटकों के अपेक्षानुरूप पर्यटक सुविधाओं का उन्नयन एवं वृद्धि हेतु जिला पर्यटन संवर्द्धन परिषद (DTPC) को संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे।

8. पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क में छूट-

8.1 नई हेरिटेज पर्यटक परियोजनाओं की स्थापना के लिये प्रश्नाधीन हेरिटेज भवन के निर्मित क्षेत्रफल तथा उससे लगी अधिकतम एक हेक्टेयर भूमि के मूल्य पर पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी। यदि भवन के साथ एक हेक्टेयर से अधिक भूमि हो तो उस अतिरिक्त भू-भाग पर नियमानुसार पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क देय होगा। पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क की छूट की राशि होटल प्रारंभ होने के बाद पर्यटन विभाग द्वारा होटल स्वामी को प्रतिपूर्ति के रूप में दी जावेगी।

8.2 पर्यटन विभाग द्वारा जो शासकीय भूमि (लैंड-पार्सल, हेरिटेज प्रॉपर्टी के साथ की अनुषांगिक भूमि एवं मार्ग सुविधा केन्द्र की भूमि) पर्यटन परियोजनाओं के लिये लीज/विकास अनुबंध पर दी जाये उन पर पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क देय नहीं होगा।

9. निजी निवेश के माध्यम से पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमियों/ हेरिटेज परिसंपत्तियों का आवंटन -

9.1 पर्यटन उद्देश्यों की पूर्ति एवं निजी निवेश से पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना के लिये पर्यटन विभाग को शासकीय भूमि/हेरिटेज परिसंपत्ति नि:शुल्क आवंटित कर अंतरित की जायेगी।

9.2 उपरोक्त अंतरित भूमियों/ हेरिटेज परिसंपत्तियों के निवर्तन हेतु पर्यटन विभाग की ओर से मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड अधिकृत होगा।

9.3 चिन्हित शासकीय भूमियां/ भूमि जिस पर परिसंपत्तिया निर्मित है एवं जो पर्यटन विभाग को हस्तांतरित है अथवा की जायेगी को 90

अथवा 30 वर्ष की लीज पर देने अथवा विकास अनुबंध के माध्यम से विकसित करने के संबंध में अंतिम निर्णय पर्यटन विभाग द्वारा लिया जायेगा।

9.4 निवर्तन हेतु नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका की सीमा के अंतर्गत) क्षेत्रों में एवं प्लान एरिया में भूमि का आरक्षित मूल्य रूपये 10.00 लाख प्रति हेक्टेयर एवं उपरोक्त के अलावा अन्य क्षेत्रों में रूपये 5.00 लाख प्रति हेक्टेयर होगा।

9.5 हेरिटेज महत्व के भवनों एवं उससे लगी आनुषांगिक भूमि के निवर्तन हेतु आरक्षित मूल्य रूपये 1.00 लाख होगा। निवर्तन हेतु ऐसे हेरिटेज भवनों एवं आनुषांगिक भूमि का चिन्हांकन एवं चयन इस नीति के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति द्वारा किया जायेगा।

9.6 नीति के अंतर्गत भूमियों एवं हेरिटेज परिसंपत्तियों का निवर्तन खुली निविदा पद्धति से किया जायेगा एवं आरक्षित मूल्य पर सर्वाधिक मूल्य के प्रस्ताव को आवंटन हेतु चुना जायेगा।

9.7 उपरोक्तानुसार प्राप्त अधिकतम मूल्य की राशि एकमुश्त प्रीमियम के रूप में देय होगी तथा इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष इस प्रीमियम राशि के एक प्रतिशत के बराबर राशि लीज रेंट के रूप मे देय होगी।

9.8 लीज पर दी गई भूमियों से प्राप्त होने वाली निविदा राशि (प्रीमियम) एवं वार्षिक लीज रेंट की राशि, म0प्र0 पर्यटन विकास निगम द्वारा शासन से प्राप्त राशि के रूप में पृथक मद "शासकीय भूमियों का निवर्तन एवं अधोसंरचना विकास" में रखी जायेगी। यह राशि भूमियों के सर्वे, हस्तांतरण, निविदा प्रक्रिया, विद्युत/सड़क/जल प्रदाय, ऐरिया प्लानिंग, ऐरिया डेवलपमेंट, परिसंपत्तियों की सुरक्षा व अन्य आवश्यक अधोसंरचना विकास में निगम द्वारा व्यय की जा सकेगी। उक्त राशि के व्यय के संबंध में शासन द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएँगें।

9.9 पर्यटन विभाग को हस्तांतरित शासकीय भूमियां/ भूमियां जिन पर परिसंपत्तियां (यथा हेरिटेज परिसंपत्ति आदि) का निजी निवेशकों को पर्यटन परियोजना स्थापना हेतु निवर्तन इस नीति के **परिशिष्ट -1** में वर्णित प्रक्रिया अनुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।

10. ईको तथा साहसिक पर्यटन-

10.1 वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अधिसूचित अभ्यारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित वन क्षेत्र को छोडकर संपूर्ण राज्य के वन क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा "म०प्र० वन (मनोरंजन एवं वन्य प्रणी अनुभव) नियम-2015" के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों का संचालन किया जायेगा। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम एवं वन विभाग से संबंधित उपक्रम द्वारा संयुक्त रूप से पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारित कर समुचित प्रयास किए जाएँगे।

10.2 कंडिका 10.1 में वर्णित अधिसूचित क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य संभावित स्थानों पर भी ईको एडवेंचर पर्यटन से संबंधित गतिविधियों एवं उनका स्वरूप निर्धारण करने के लिये पर्यटन विभाग अधिकृत होगा। किसी भी स्थल पर संचालित होने वाली गतिविधियों का निर्धारण स्थानीय संभावनाओं (Potential)/ आवश्यकता के अनुरूप किया जा सकेगा। इसमें कैम्पिंग, ट्रेकिंग, एंगलिंग, जलक्रीड़ा, एलिफेन्ट सफारी, सायकल सफारी, राइडिंग ट्रेल, फोटो सफारी, केनोईंग सफारी, व्हाइट वाटर राफ्टिंग, रॉक क्लाईबिंग/माउण्टेनीयरिंग, पैरा-सेलिंग/पैरा ग्लाइडिंग, हॉट एयर बलूनिंग आदि गतिविधियां शामिल की जा सकेंगी।

10.3 ईको/साहसिक पर्यटन में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिये पर्यटन विभाग भूमि लीज पर अथवा लायसेन्स पर दे सकेगा।

10.4 ईको/साहसिक पर्यटन हेतु भूमि लीज पर देने हेतु इस नीति की कंडिका- 9 अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

10.5 यदि भूमि पर कोई व्यापक या स्थायी स्वरूप का निर्माण आवश्यक नही है तो ऐसी भूमि लायसेंस पर भी दी जा सकेगी।

10.6 सामान्यतः लायसेंस पर दिये जाने के पूर्व भूमि पर्यटन विभाग को हस्तांतरित की जावेगी। परंतु जहां ऐसा संभव नहीं हो, वहां उसे भूमि का स्वामित्व धारण करने वाले विभाग की सहमति

(ऐसी शर्तों के साथ, जो वह विभाग निर्धारित करे) प्राप्त कर लायसेंस दिया जा सकेगा।

10.7 भूमि को लायसेंस पर दिये जाने के लिये लायसेंस की अवधि, शर्तें तथा फीस का निर्धारण, इस नीति के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति द्वारा किया जाएगा। लायसेंस की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष से कम तथा 15 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

10.8 एक ही स्थान पर या एक से अधिक गतिविधियों के लिये विभिन्न आवेदकों को लायसेंस दिये जा सकेंगे।

10.9 ईको/साहसिक पर्यटन गतिविधियों के लायसेंस देने की प्रक्रिया आदि हेतु पर्यटन विभाग विस्तृत दिशा निर्देश तय करेगा।

11. फिल्म टूरिज्म-

11.1 फिल्म निर्माताओं को स्थानीय स्तर पर शूटिंग की अनुमति प्राप्त करने के लिये विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। पर्यटन विभाग इन निर्माताओं को शासकीय विभागों से विधि मान्य अनुमतियां प्राप्त करने के लिये आवश्यक समन्वय करेगा। यह सेवा सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर (**On Best Effort Basis**) संबंधित निर्माता/कम्पनी को दी जा सकती है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाहियां करने के लिये पर्यटन विभाग को अधिकृत करने संबंधी आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया जायेगा।

11.2 फिल्म स्टूडियो एवं फिल्म निर्माण हेतु स्थायी अधोसंरचना निर्माण एवं उपकरणों की स्थापना पर पूंजीगत अनुदान दिया जायेगा।

11.3 मध्यप्रदेश को फिल्म शूटिंग के आदर्श गंतव्य के रूप में स्थापित करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

12. राज्य पर्यटन संवर्द्धन परिषद/जिला पर्यटन संवर्द्धन परिषद की स्थापना

12.1 राज्य स्तर पर राज्य पर्यटन **संवर्द्धन** परिषद स्थापित की जायेगी। यह परिषद माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पर्यटन क्षेत्र

के स्टेक होल्डर्स के नामांकन से गठित होगी । परिषद का गठन, उसकी कार्य पद्धति तथा सदस्यता निर्धारित करने की कार्यवाही पृथक से की जायेगी।

12.2 प्रदेश में निजी निवेशकों को आकर्षित करने तथा स्थानीय स्तर पर गंतव्य प्रबंधन में जिला स्तर के जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रदेश के कई हिस्सों में स्थानीय स्तर पर सांस्कृतिक एवं पर्यटन संबंधी कार्यक्रम आयोजित होते हैं। अत: प्रत्येक जिलास्तर पर जिलापर्यटन संवर्द्धन परिषद (DTPC) का गठन किया जाएगा। इस परिषद के कार्यकलाप, अधिकार, संरचना आदि के संबंध में पर्यटन विभाग विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा।

13. जल पर्यटन-

13.1 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं जल संसाधन विभाग एवं मध्यप्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाले जल क्षेत्रों में पर्यटन सम्भाव्यत के समुचित उपयोग की दृष्टि से पर्यटन गतिविधियों के संचालन हेतु पर्यटन विभाग अधिकृत होगा।

13.2 इन जल क्षेत्रों में स्थित तटीय एवं टापूओं की उपलब्ध भूमि पर्यटन विभाग द्वारा संबंधित विभाग से हस्तांतरित करायी जाकर निजी निवेशकों को विभागीय नीति अनुसार आवंटित की जायेगी।

13.3 इन जल क्षेत्रों में वहन क्षमता (**Carrying Capacity**) को ध्यान में रखते हुए निजी निवेशकों को हाउस बोट, क्रूज, मोटर बोट एवं जल क्रीड़ा गतिविधियों के लिए लायसेंस दिए जा सकेंगे। लायसेंस देने हेतु म0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम अधिकृत होगा। जल क्षेत्र की वहन क्षमता, लायसेंस की प्रक्रिया शर्तें एवं फीस आदि निर्धारित करने हेतु इस नीति के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति अधिकृत होगी।

13.4 जल क्षेत्रों के समग्र पर्यटन नियोजन एवं अधोसंरचना विकास हेतु पर्यटन विभाग आवश्यक कार्यवाही करेगा।

14. सम्पोषणीय पर्यटन (Sustainable Tourism)-

पर्यटन स्थलों का विकास एवं प्रबंधन ऐसा होना चाहिये कि वहां पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, स्थानीय परम्पराएं, संस्कृति एवं उत्पादों का प्रभावी संरक्षण हो। इसके लिये पर्यटन विभाग विभिन्न क्षेत्रों में की जा रही विभिन्न गतिविधियों का गहन विश्लेषण कर ऐसी गतिविधियों को चिन्हित करेगा, जिनका समेकित पर्यटन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा हो तथा उन्हें रेग्युलेट करने अथवा रोकने के उपाय भी करेगा। जिन गतिविधियों का

सकारात्मक प्रभाव हो उन्हें प्रोत्साहित करने के उपाय भी किये जायेंगे। इस हेतु समुदाय की सहभागिता तथा स्थानीय स्तर पर सूचना, संचार एवं शिक्षा (Information, Education & Communication) के विभिन्न कारकों का प्रभावी उपयोग किया जायेगा। इसमें राज्य शासन के विभिन्न विभागों की संयुक्त भागीदारी की आवश्यकता होगी, जो राज्य स्तरीय पर्यटन संवर्द्धन परिषद के माध्यम से की जा सकेगी।

15. युवाओं के लिये रोजगारोन्मुखी/ कौशल विकास शिक्षण एवं प्रशिक्षण-

15.1 युवाओं के लिये रोजगारोन्मुखी/ कौशल विकास शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु पर्यटन विभाग द्वारा स्थापित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी मैनेजमेन्ट (SIHM), मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ हास्पीटेलिटी ट्रेनिंग (MPIHT) एवं फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट(FCI) के माध्यम से युवाओं को पर्यटन उद्योग हेतु आवश्यक ट्रेड/ क्षेत्रों में शिक्षित/प्रशिक्षित किया जायेगा।

15.2 भारत शासन की कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम सतत संचालित कर युवाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा।

15.3 राज्य के पर्यटन उद्योग की प्रशिक्षण आवश्यकता का आंकलन कर हॉस्पिटीलिटी, एडवेन्चर टूरिज्म, केटरिंग एंड फूड क्राफ्ट, प्रबंधन एवं कौशल विकास आदि क्षेत्रों में पाठ्यक्रम तैयार कर वित्त प्रतिपोषण किया जायेगा।

15.4 मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ हास्पीटेलिटी ट्रेनिंग (MPIHT) द्वारा सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा कोर्स राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों की सहभागिता से कराये जायेंगे। मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पीटेलिटी ट्रेनिंग (MPIHT) को हॉस्पीटेलिटी प्रशिक्षण के क्षेत्र मे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान के रूप में विकसित किया जायेगा तथा इस संस्थान द्वारा कौशल विकास अंतर्गत प्रशिक्षितों का प्रमाणीकरण किया जायेगा।

15.5 टूरिस्ट गाइड का चयन, प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण भी MPIHT द्वारा किया जायेगा।

16. निवेशक सहायता (Investor facilitation)-

16.1 इस नीति के अंतर्गत समस्त कार्यवाहियों हेतु मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

16.2 निवेश संवर्धन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसीलिटेशन कार्पोरेशन (MPTRIFAC) के सहयोग से कार्य किया जायेगा।

16.3 जिला स्तर पर निवेश संवर्धन गतिविधियों के क्रियान्वयन, समन्वय, निवेशकों को पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु जिला स्तर पर प्रदाय की जाने वाली अनुमतियों/ पंजीयन/ अनापत्ति/लायसेन्स आदि के फेसिलिटेशन हेतु महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जो "एमपी इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन एक्ट 2008" के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय साधिकार समिति के सचिव हैं, को नोडल एजेंसी नामांकित किया जायेगा।

16.4 महाप्रबंधक द्वारा पर्यटन संबंधी निवेश प्रस्ताव कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित उपरोक्त समिति के माध्यम से निराकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इस हेतु आवश्यक सहयोग पर्यटन विभाग/मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

17. मार्ग सुविधा केन्द्रों का विकास-

प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों एवं अन्य प्रमुख मार्गों पर योजना बनाकर लगभग प्रति 40 से 50 कि०मी० की दूरी पर उच्च स्तरीय पर्यटक सुविधाओं का विकास, पर्यटन विभाग द्वारा जारी "मार्ग सुविधा केन्द्रों (Way Side Amenities) की स्थापना एवं संचालन की नीति-2016" के अनुसार किया जायेगा।

18. पर्यटन को उद्योग का दर्जा-

प्रदेश में पर्यटन इकाईयों को उद्योगों के समान निम्नानुसार सुविधायें प्रदान की जायेगी :-

18.1 पर्यटन परियोजनाओं को विद्युत प्रदाय हेतु औद्योगिक श्रेणी में रखने हेतु प्रयास किया जायेगा।

18.2 प्रदेश में वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित/ विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों/ औद्योगिक पार्कों/ इंडस्ट्रीयल सिटी/ आई०टी० पार्कस में एमेनिटीज हेतु आरक्षित भूमि पर्यटन इकाईयों की स्थापना हेतु विभागीय नीति के अंतर्गत औद्योगिक दरों पर सेवा क्षेत्र की इकाईयों के रूप मे आवंटित की जायेगी।

18.3 पर्यटन परियोजनाओं हेतु भूमियों के व्यपवर्तन पर औद्योगिक दरों पर डायवर्सन शुल्क लिया जायेगा।

18.4 पर्यटन परियोजनाओं को जल संसाधन विभाग द्वारा प्राकृतिक जल स्रोतों से औद्योगिक दरों पर जल उपयोग की अनुमति प्रदान की जायेगी।

18.5 पर्यटन परियोजनाओं हेतु निर्मित भवनों एवं भूमियों पर स्थानीय निकायों द्वारा औद्योगिक दरों पर संपत्ति कर/ विकास शुल्क आरोपित किया जायेगा।

19. समग्र पर्यटन विकास हेतु विशेष प्रयास -

19.1 मध्यप्रदेश के पर्यटन उत्पादों के विपणन एवं विज्ञापन तथा ब्रांडिंग के लिये राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय पर्यटक बाजारों तक पहुंच बनायी जायेगी।

19.2 नये पर्यटन उत्पाद विकसित करने मे गैर-सरकारी संस्थाओं, व्यावसायिक संस्थानों एवं विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा एवं उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।

19.3 डिजीटल एवं सोशल मीडिया प्लेटफार्म सहित संचार के सभी माध्यमों का विपणन, प्रचार एवं ब्रांडिंग में योजना बनाकर उपयोग किया जायेगा।

19.4 निजी क्षेत्र के सफल पर्यटन उद्यमियों की विशेषज्ञता एवं श्रेष्ठता का लाभ उठाया जायेगा एवं ऐसे उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

19.5 निजी ट्रासपोर्ट ऑपरेटर्स को पर्यटन क्षेत्रों से सम्बद्ध करते हुये गुणवत्ता पूर्ण परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

19.6 स्थानीय निकायों विशेषकर नगर पालिकाओं एवं नगर निगमों को हेरिटेज परिसंपत्तियों एवं अन्य पर्यटन महत्ता के स्थलों के संरक्षण एवं गुणवत्ता पूर्ण जन सुविधाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा तथा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

19.7 देशी एवं विदेशी पर्यटकों के लिये पूर्व नियत प्रवास पैकेज (फिक्स टूर्स) विकसित किये जायेंगे एवं विपणन किया जायेगा।

19.8 विकसित/विकास संभावित पर्यटन क्षेत्रों का समुचित एवं संतुलित विकास मास्टर प्लॉन बनाकर किया जायेगा।

19.9 नई पीढ़ी में पर्यटन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिये शालाओं एवं महाविद्यालयों में विविध गतिविधियां संचालित की जायेगी तथा उत्कृष्ट विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

19.10 पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के सम्मान एवं प्रोत्साहन हेतु विभिन्न श्रेणियों मे "मध्यप्रदेश पर्यटन पुरस्कार" प्रदान किये जायेंगे।

20. पर्यटन नीति का क्रियान्वयन-

पर्यटन नीति-2016 के अंतर्गत वांछित सुविधाएं/ रियायतें/अनुज्ञप्तियां आदि देने के लिये संबंधित विभाग आवश्यक दिशा-निर्देश/अधिसूचनाएं/ नियम जारी करेंगे। इस संबंध में मत-भिन्नता अथवा कठिनाई होने पर अथवा नीति के स्पष्टीकरण/व्याख्या/ विवाद-निराकरण के प्रकरणों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा -

- प्रमुख सचिव, वित्त
- प्रमुख सचिव, पर्यटन
- प्रमुख सचिव, वन
- प्रमुख सचिव, संस्कृति
- प्रकरण से संबंधित विभागों के प्रभारी सचिव

- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम

इसके सदस्य सचिव होंगे।

यह समिति प्रचलित नीति के अनुरूप निर्णय ले सकेगी। यह निर्णय अंतिम होगा तथा संबंधित विभाग द्वारा इसका क्रियान्वयन अनिवार्यतः किया जायेगा। यह समिति इस नीति के अंतर्गत यथा उल्लेखित दायित्वों का निर्वहन करेगी।

21. निरसन-

21.1 नवीन नीति के लागू होने के दिनांक से "पर्यटन नीति-2010 (यथा संशोधित-2014)" निरसित मान्य की जायेगी तथापि पूर्व नीति के लागू रहने की अवधि में विभिन्न अनुदानों एवं सुविधाओं हेतु पात्र इकाईयां पूर्व नीति के प्रावधानों के अंतर्गत यथा प्रस्तावित प्रक्रिया अनुसार लाभ प्राप्त कर सकेंगी।

21.2 नवीन नीति के लागू होने के दिनांक से " मध्यप्रदेश में पर्यटन विकास हेतु, पर्यटन विभाग को आवंटित शासकीय भूमियों का नीलामी द्वारा निवर्तन की नीति-2008 (यथा संशोधित-2014)" निरसित मान्य की जायेंगी।

परिशिष्ट-1

पर्यटन विभाग को आवंटित शासकीय भूमियों का नीलामी द्वारा निवर्तन की प्रक्रिया

पर्यटन नीति में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति व पर्यटन विकास के लिए, पर्यटन विभाग को आवंटित नजूल, बाह्य नजूल अथवा ग्रामीण क्षेत्र की भूमियों/हैरिटेज परिसंपत्तियों का नीलामी द्वारा निवर्तन निम्नानुसार प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा :-

1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदेश में प्रचलित पर्यटन नीति में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति व पर्यटन विकास के लिए पर्यटन विभाग को शासकीय भूमि/ हैरिटेज परिसंपत्ति निःशुल्क आवंटित कर अन्तरित की जाएगी।

1.1 तद्नुसार अंतरित एवं आवंटित भूमि/ हैरिटेज परिसंपत्ति के निवर्तन हेतु, पर्यटन विभाग का उपक्रम मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि० (जिसे आगे निगम कहा जावेगा), प्रोसेस मैनेजर होगा। प्रोसेस मैनेजर के रूप में निगम द्वारा मुख्यतः व्यावसायिक सलाहकारों का चयन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (D.P.R.) तैयार करना, अभिरूचियॉ आमंत्रित करना (E.O.I) पारदर्शी रूप से नीलामी प्रक्रिया संचालित करना आदि शामिल होगा। प्रोसेस मैनेजर (निगम) द्वारा निवर्तन हेतु आवश्यकतानुसार निविदा दस्तावेज (RFP) एवं शर्तें अथवा अभिरूचि अभिव्यक्ति (E.O.I) के दस्तावेज भी तैयार करवाए जावेंगे। निगम द्वारा उक्त दायित्वों का निर्वहन निम्नानुसार किया जाएगाः-

1.1.1 निगम को पर्यटन विभाग को अंतरित भूमि/ हैरिटेज परिसंपत्ति की पहचान, चिन्हाकन एवं उसके संबंध में निर्धारित दस्तावेजों को तैयार करने के लिये अधिकृत किया जाता है। निगम इन दस्तावेजों को तैयार करने के लिये आवश्यकतानुसार जानकारी संबंधित जिले के कलेक्टर से प्राप्त करेगा।

1.1.2 निगम द्वारा अन्तरित भूमि का स्वामित्व पर्यटन विभाग के पक्ष में राजस्व विभाग के अभिलेखों में दर्ज होने की पुष्टि उपरान्त, इस भूमि के चिन्हांकन, भू-उपयोग, रकबा, कब्जा पत्रक आदि बाबत् जानकारी तैयार कर वांछित प्रतिवेदन (परिशिष्ट-क) पर्यटन विभाग को भूमि के निवर्तन हेतु प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करने के लिये प्रेषित किया जायेगा।

1.1.3 आवश्यकता होने पर व्यावसायिक सलाहकार का चयन निगम द्वारा किया जावेगा तथा इसके उपरान्त व्यावसायिक सलाहकार के माध्यम से प्रश्नाधीन अन्तरित भूमि पर पर्यटन विकास संबंधी गतिविधि हेतु आवश्यकता अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (D.P.R.), निविदा दस्तावेज एवं शर्तें अथवा अभिरूचि अभिव्यक्ति आमंत्रण (E.O.I.) संबंधी दस्तावेज तैयार करवाया जायेगा।

1.1.4 निगम उपरोक्तानुसार तैयार किए दस्तावेजों में जहां आवश्यक हो, यह भी अनुशंसित कर सकेगा, कि सफल निविदाकर्ता को आधिपत्य प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर कौन-कौन से कार्य भौतिक तौर पर संपादित करना अनिवार्य रहेगा। परियोजना क्रियान्वयन हेतु आवश्यक अनुमतियां, अनापत्ति आदि निवेशक को प्राप्त करना होगा।

1.2 आरक्षित मूल्य, प्रीमियम एवं भू-भाटक :-

1.2.1 नगरीय निकायों (नगर निगम एवं नगर पालिका की सीमा के अंतर्गत क्षेत्रों में रूपये 10.00 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से आरक्षित मूल्य की गणना की जायेगी।

1.2.2 हैरीटेज महत्व के भवनों के निवर्तन के लिए भवन एवं आनुषांगिक भूमि का कुल आरक्षित मूल्य रूपये एक लाख रखा जावेगा। निवर्तन के लिए हैरिटेज भवनों एवं आनुषांगिक भूमि का चिन्हांकन एवं चयन पर्यटन नीति अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति द्वारा किया जावेगा।

1.2.3 उपरोक्त कंडिका 1.2.1 में उल्लेखित भूमियों को छोड़कर शेष अन्य स्थलों पर भूमि के आरक्षित मूल्य की गणना रूपये 5.00 लाख प्रति हेक्टेयर के दर से की जायेगी।

1.2.4 मार्ग सुविधा केंद्रों की भूमि एवं भवन का निवर्तन "मार्ग सुविधा केंद्रों (Way Side Amenities) की स्थापना एवं संचालन की नीति- 2016" अनुसार किया जावेगा।

1.2.5 उक्त भूमि का भू-भाटक (Lease Rent), भूमि आवंटन हेतु स्वीकार किये गए प्रीमियम का एक प्रतिशत वार्षिक होगा।

1.2.6 भूमि पर भू-भाटक, पट्टा विलेख के निष्पादन की तारीख के बाद आने वाले मार्च महीने की 31 तारीख तक प्रथम वार्षिक लीज रेंट के रूप में लिया जायेगा, उसके पश्चात् आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम माह अप्रैल की 1 तारीख से पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिये देय होगा।

2. पर्यटन विभाग से उक्त भूमि/ हैरिटेज परिसंपत्ति के निवर्तन की अनुमति प्राप्त कर, निगम के प्रबंध संचालक, अभिरूचि अभिव्यक्ति आमंत्रण (Expression of Interest)/निविदा आमंत्रण का विज्ञापन प्रसारित करेंगे। अभिरूचि अभिव्यक्ति आमंत्रण /निविदा आमंत्रण सूचना में प्रस्ताव जमा करने के लिए न्यूनतम 30 दिन का समय दिया जावेगा। यह कार्यवाही निम्नानुसार की जावेगीः-

2.1 निविदा आमंत्रण/अभिरूचि अभिव्यक्ति आमंत्रण-भूमि/ हैरिटेज परिसंपत्ति नीलामी द्वारा निवर्तन की सूचना का प्रकाशन निगम द्वारा आवश्यकतानुसार देश/प्रदेश के मुख्य समाचार -पत्रों में किया जाएगा। व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए सूचना का प्रकाशन दोहराया भी जा सकेगा। अन्य विश्वसनीय तरीके से इस तथ्य का व्यापक प्रचार-प्रसार निगम द्वारा कराया जाएगा कि भूमि की बिक्री नीलामी द्वारा की जानी है। सूचना का प्रकाशन निगम/विभाग की बेवसाईट पर भी किया जाएगा।

निविदा की सूचना का प्रारूप "परिशिष्ट-ख" में संलग्न है। इस प्रारूप में परियोजना के अनुसार आवश्यक संशोधन, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जा सकेगा।

2.2. प्राप्त निविदाओं का परीक्षण

2.2.1 अभिरूचि अभिव्यक्ति आमंत्रण (E.O.I.) अथवा निविदा आमंत्रण के आधार पर प्राप्त प्रस्तावों पर तकनीकी अर्हताओं का परीक्षण निम्नानुसार गठित परीक्षण समिति के द्वारा किया जायेगा:-

(i) संचालक पर्यटन संवर्धन इकाई

(ii) महाप्रबंधक (वित्त)

(iii) निगम के चार्टर्ड अकांउटेंट

(iv) व्यावसायिक सलाहकार (यदि कोई हो, तो)

2.2.2 तकनीकी अर्हताओं के परीक्षण उपरांत पात्र पाये गये निविदाकारों की वित्तीय निविदा के मूल्यांकन हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है:-

(i) प्रबंध संचालक (अथवा प्रबंध संचालक द्वारा नामांकित अपर प्रबंध संचालक / कार्यपालक निदेशक)
म0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम -अध्यक्ष

(ii) लेखा अधिकारी आयुक्त् पर्यटन कार्यालय- सदस्य

(iii) निगम के चार्टर्ड अकांउटेंट -सदस्य

(iv) व्यावसायिक सलाहकार(यदि कोई हो तो) -सदस्य

(v) संचालक पर्यटन संवर्धन इकाई -सदस्य सचिव

2.3. अभिरूचि अभिव्यक्ति आमंत्रण (E.O.I.) के आधार पर प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण हेतु उक्त समिति द्वारा इस परियोजना विशेष हेतु नियुक्त व्यावसायिक सलाहकार का अभिमत प्राप्त

कर **Pre-condition/Eligibility Criterion** के मापदण्ड निर्धारित करेगी। इन मापदण्डों के आधार पर मूल्यांकन समिति (**E.O.I.**) के तहत प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण उपरान्त पात्र इच्छुक आवेदकों के मध्य निर्धारित निविदा शर्तों एवं प्रावधानों के तहत वित्तीय प्रस्ताव बुलाए जाने की कार्यवाही करेगी। इस परीक्षण के तहत पात्र पाए गए इच्छुक आवेदकों को **Request For proposal** दस्तावेज प्रेषित किया जाकर, इन पात्र आवेदकों के मध्य सीमित प्रतिस्पर्धा के तहत निर्धारित निविदा शर्तों एवं प्रावधानों के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त किए जा सकेंगे।

2.4. (**E.O.I.**) अथवा सीधे निविदा आमंत्रण से प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों का आवश्यक परीक्षण उक्त "मूल्यांकन समिति" करेगी तथा उपरोक्त वित्तीय प्रस्ताव अपनी अनुशंसा सहित प्रशासकीय विभाग को परिशिष्ट-3 में अपना प्रतिवेदन निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगी।

2.5 "मूल्यांकन समिति" के वित्तीय प्रस्ताव प्राप्ति के 45 दिन के भीतर प्रशासकीय विभाग प्रस्ताव स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेकर पर्यटन निगम को सूचित करेगी अन्यथा उच्चतम प्रस्तावदाता को यह अधिकार होगा कि उसके द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि वापस लेते हुए निविदा से बाहर हो जाए।

2.6 प्रथम उच्चतम के अलावा शेष प्रस्तावदाताओं की धरोहर राशि निगम द्वारा भेजे गये वित्तीय प्रस्ताव पर राज्य सरकार से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त होने के तत्काल बाद वापस कर दी जायेगी।

2.7 निगम द्वारा राज्य शासन से निविदा स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर निगम सफल निविदाकार को इस स्वीकृति की सूचना देगा। उक्त सूचना प्राप्त होने के 90 दिन के भीतर (धरोहर राशि समायोजन पश्चात्) शेष राशि उच्चतम प्रस्तावदाता को जमा करना आवश्यक होगा। 90 दिन के भीतर राशि न जमा कराने पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से न्याय हित में अधिकतम 3 माह का समय और दिया जावेगा।

2.8 यदि निर्धारित समयावधि में उच्चतम प्रस्तावदाता द्वारा शेष राशि जमा नहीं की जाती है तो युक्ति-युक्त कारण के साथ राशि जमा करने हेतु एक अवसर विशेष अनुमति स्वरूप एक माह का अंतिम समय दिया जायेगा। यदि उक्त समय में भी शेष राशि जमा नहीं की जाती तो धरोहर राशि राजसात करते हुए आबंटन कार्यवाही निरस्त कर दी जाएगी और भूमि की पुनः नीलामी की जाएगी। ऐसी स्थिति में ऐसा निविदाकार पुन: नीलामी में व्यक्तिगत, भागीदारी या कंर्सोशियम के सदस्य के रूप में भाग नहीं ले सकेगा।

2.9 चिन्हित शासकीय भूमियां/ भूमि जिस पर परिसंपत्तियां निर्मित हैं एवं/ जो पर्यटन विभाग को हस्तांतरित है अथवा की जायेगी को 90/30 वर्ष की लीज पर देने अथवा विकास अनुबंध के माध्यम से विकसित करने के संबंध में अंतिम निर्णय पर्यटन विभाग द्वारा लिया जायेगा।

2.10 लीज पर दी गई भूमियों से प्राप्त होने वाली निविदा राशि एवं वार्षिक (प्रीमियम) लीज रेंट की राशि, भूमियों के निवर्तन एवं अधोसंरचना विकास हेतु निगम द्वारा पृथक मद "शासकीय भूमियों का निवर्तन एवं अधोसंरचना विकास" में रखी जायेगी।

यह राशि, भूमियों के सर्वे, हस्तांतरण, विद्युत/सड़क/जल प्रदाय, ऐरिया प्लानिंग, ऐरिया डेवलपमेंट, परिसंपत्तियों की सुरक्षा व अन्य आवश्यक अधोसंरचना विकास में निगम द्वारा व्यय की जा सकेगी।

2.11 सफल निविदाकर्ताओं से परियोजना लागत के 10 प्रतिशत के समकक्ष परफार्मेंस बैंक गारंटी प्राप्त की जायेगी, जोकि परियोजना के सफल संचालन के 3 वर्ष पश्चात् लौटाई जायेगी।

2.12 समस्त राशियां प्राप्ति उपरांत पर्यटन विभाग द्वारा उच्चतम प्रस्तावदाता के पक्ष में पट्टा विलेख निष्पादित किया जाएगा, जिसे प्रस्तावदाता स्वयं के व्यय पर भारतीय मुद्रांक अधिनियम के प्रावधानानुसार 90 दिन के भीतर पंजीकृत करवाएगा। पंजीकृत पट्टा विलेख की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि पर्यटन विभाग को प्रस्तुत किए जाने पर भूमि का कब्जा निगम द्वारा सफल निविदाकर्ता को सौंपा जाएगा।

2.13 राज्य सरकार को किसी भी प्रस्ताव को बिना कोई कारण बताए स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार होगा। इस संबंध में राज्य सरकार का अंतिम निर्णय प्रस्तावदाताओं को मान्य होगा।

2.14 निगम द्वारा निविदा दस्तावेज/E.O.I आदि में इस बात का उल्लेख किया जाएगा कि परियोजना पूर्ण करने की अवधि क्या होगी। आधिपत्य प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष के भीतर स्थल पर सफल प्रस्तावकर्ता द्वारा आवश्यक अनुमतियां/ अनापत्तियां आदि प्राप्त कर कार्य प्रारंभ किया जायेगा। परियोजना समयावधि में पूर्ण न होने की दशा में युक्ति-युक्त कारण एवं प्रभावी कदमों के आधार पर प्रस्तावकर्ता द्वारा

आवेदन देने पर दो बार एक -एक वर्ष की अवधि के लिये समय-सीमा बढायी जा सकेगी। उक्त अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी कार्य पूर्ण न होने की दशा में परफार्मेंस बैंक गारंटी राजसात की जा सकेगी तथा पट्टा निरस्त किया जा सकेगा और समस्त जमा राशियॉ राजसात हो जावेगी।

2.15 पट्टा विलेख निष्पादित करने के लिए पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि के रूप में प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम अधिकृत होंगे।

2.16 निविदा धरोहर राशि (बिड सिक्योरिटी) सामान्यत: आरक्षित मूल्य के 10 प्रतिशत के समकक्ष किन्तु अधिकतम रूपये 20.00 लाख तक होगी। विशेष मामलों में यह धरोहर राशि तय करने हेतु प्रबंध संचालक अधिकृत होंगे।

2.17 पट्टा विलेख में संशोधन हेतु प्रचलित पर्यटन नीति के अन्तर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति अधिकृत होगी।

परिशिष्ट-क

<u>प्रबंध संचालक, म०प्र० पर्यटन विकास निगम, भोपाल का प्रस्ताव</u>

(संदर्भ कंडिका 1.1.2)

क्रमांक..... दिनांक.....

पर्यटन विभाग को प्रदेश में प्रचलित पर्यटन नीति में, उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति एवं पर्यटन विकास के लिए खसरा नम्बर/नजूल शीट नम्बर..... रकबा.....

तहसील.....जिला .....पर प्रतिस्थापित होने वाली भूमि/हैरिटेज परिसंपत्ति नि:शुल्क आवंटित की गई है। कलेक्टर जिला,.....के द्वारा इस भूमि का अन्तरण पर्यटन विभाग को किया गया है। पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यटन विकास निगम को प्रोसेस मैनेजर नियुक्त किया गया है, तद्नुसार निगम द्वारा निवर्तन संबंधी सम्पूर्ण प्रक्रिया/ संपन्न करने हेतु प्रशासकीय विभाग को अनुमोदन हेतु यह प्रस्ताव प्रेषित है।

2. समस्त अभिलेखो के परीक्षण एवं उपलब्ध जानकारी के आधार पर पर्यटन विभाग को आवंटित निम्नानुसार भूमियों के/ हैरिटेज परिसंपत्तियों चक (ब्लॉक) को निजी निवेश के माध्यम से नीलामी द्वारा निवर्तन के लिये उपयुक्त पाया गया:-

स.क्र.	राजस्व ग्राम जहां भूमि का चक स्थित है।	इस चक में शामिल खसरा नं. एवं रकबा	क्षेत्रफल एवं नोईयत(खसरा पांच साला, P-II form के कालम नम्बर 2की प्रविष्टि) (खसरा नम्बर वार)	भूमि के चक की चतुर सीमा/ एवं उस पर स्थित हैरिटेज परिसंपत्ति का ब्यौरा	कब्जेदार/भूमि स्वामी का नाम एवं विवरण (खसरा पांच साला, P-II form के कालम नम्बर 3की प्रविष्टि)	कैफियत विवरण (कालम नं. 12 की प्रविष्टि)	भूमि/ हैरिटेज परिसंपत्ति की वर्तमान में, मौके की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8

3. उपरोक्त बिन्दु 2 में उल्लेखित भूमियों के चक का/ हैरिटेज परिसंपत्ति का प्रदेश में प्रचलित पर्यटन नीति में उल्लेखित उद्देश्यो की पूर्ति एवं पर्यटन विकास हेतु, नीलामी से निवर्तन बाबत् उपयुक्तता के संबंध मे विश्लेषणात्मक टीप निम्नानुसार है:-

3.1	प्रदेश में प्रचलित पर्यटन नीति में उल्लेखित किस उद्देशयों की पूर्ति हेतु, किस प्रकार की पर्यटन विकास संबंधी गतिविधि प्रशनाधीन भूमि पर संचालित की जाना प्रस्तावित है:-	.....
3.2	भूमि/हैरिटेज परिसंपत्ति के चक में आने वाले खसरा नं. का नगर विकास योजना में चिन्हांकित भू-उपयोग..... (यदि हो तो)	.....
3.3	भूमि/ हैरिटेज परिसंपत्ति पट्टा विलेख की अवधि	.....
3.4	भूमि/ हैरिटेज परिसंपत्ति का आरक्षित मूल्य	....
3.5	भूमि पर वसूल योग्य वार्षिक भू-भाटक/भू-राजस्वः	....
3.6	सीमांकन, स्टेशन सर्वे उपरान्त, मौके पर भूमि की चतुर सीमाओं का चिन्हितिकरण किया गया है या नहीं।	
3.7	भूमि की/ हैरिटेज परिसंपत्ति की लोकेशन, क्षेत्रफल एवं महत्व को देखते हुए, इसके आवंटन हेतु निविदा में भाग लेने वाले आवेदकों/निविदाकारों की प्रस्तावित नेटवर्थ रूपये	

	में (प्रति हेक्टेयर रूपये एक करोड अधिकतम के मान से)	
3.8	निविदा दस्तावेज एवं निविदा शर्तों का प्रारूप संलग्न है अथवा नहीः	
3.9	निविदा आमंत्रण (**NIT**) सूचना का प्रारूप संलग्न है अथवा नहीं:-	
3.10	संलग्न निविदा दस्तावेज की तकनीकी निविदा में उल्लेखित प्रमुख प्रावधानों एवं प्रमुख निविदा शर्तों का विवरण संलग्न है या नहीं	
3.11	अन्य सुसंगत दस्तावेज यदि कोई हो तो उनका उल्लेख	

4. उक्त भूमियों के परीक्षण के दौरान नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से भू-उपयोग संबंधी जानकारी, विस्तृत सीमांकन प्रतिवेदन, भूमि का स्पष्ट नजरी नक्शा (लोकेशन प्लान,) खसरा नकल एवं नक्शा, अक्स एवं अन्य अभिलेख/सहपत्र (अगर कोई हो तो) संलग्न है।

5. अतः उपरोक्तानुसार बिन्दु क्रमांक 2 की तालिका में उल्लेखित भूमि/हैरिटेज परिसंपत्ति सभी विवादों से मुक्त होकर पर्यटन विभाग के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमियॉ/परिसंपत्तियां है। इन भूमियों/परिसंपत्तियों का पर्यटन संबंधी गतिविधियों के तहत नीलामी से निवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

भोपाल- प्रबंध संचालक

दिनांक- मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमि.

भोपाल

परिशिष्ट-ख

कार्यालय प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम,लि० भोपाल

(देखे कंडिका 2.1)

भूमि/ हैरिटेज परिसंपत्ति के निवर्तन हेतु निविदा की सूचना

म०प्र० शासन की नीति अनुसार नीचे दर्शाए गए विवरण अनुसार पर्यटन विभाग के स्वामित्व की भूमि/हैरिटेज परिसंपत्ति की प्रतिस्पर्धात्मक निविदा पद्धति से नीलाम किया जाना है:-

1. जिला .....
2. तहसील.....
3. पटवारी हल्का नं.....
4. वार्ड क्रमांक (नगरीय क्षेत्र में).....
5. स्थल.....

भूमि/हैरिटेज परिसंपत्ति का विवरण

स.क्र.	खसरा क्रमांक/नजूल शीट क्रमांक एवं भूमि क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्गमीटर) / एवं निर्मित /हैरिटेज परिसंपत्तियां	प्रयोजन	लीज की अवधि	आरक्षित मूल्य	वार्षिक लीज रेंट
1	2	3	4	5	6	7

8. निविदा शुल्क .....

9. धरोहर राशि.....

निविदा संबंधी विवरण शर्तें प्रक्रिया आदि वेब-साइट ..... से डाउनलोड किये जा सकते है।

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
भोपाल

परिशिष्ट- ग

निविदा दस्तावेजों का परीक्षण एवं वित्तीय निविदा मूल्यांकन प्रतिवेदन
(संदर्भ कंडिका 2.2.2 एवं 2.4)

पर्यटन विभाग के स्वामित्व की भूमि/हैरिटेज परिसंपत्ति जो जिला ..... तहसील ..... ग्राम..... के खसरा नम्बर/ नजूल शीट क्रमांक ..... एवं रकवा ..... पर प्रतिस्थापित है, पर पर्यटन विकास संबंधी ..... गतिविधियों हेतु, तैयार की गई परियोजना के तहत, नीलामी से निवर्तन की अनुमति मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग के पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा प्राप्त हुई हैं। तद्नुसार निर्धारित पर्यटन संबंधी गतिविधि हेतु उक्त भूमि/हैरिटेज परिसंपत्ति की नीलामी के लिए परियोजना का उल्लेख करते हुए निविदा आमंत्रण सूचना (एन०आई०टी०) दिनांक..... को पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित प्रारूप में, समाचार पत्रों ..... में प्रकाशित की गई। (अगर E.O.I के तहत् पात्र इच्छुक आवेदकों के मध्य सीमित

प्रतिस्पर्धा के तहत् R.F.P. दस्तावेज दिए जाकर, निविदाएँ प्राप्त की गई हों, तो तद्नुसार इस पैरा एवं अगले पैरा में आवश्यक संशोधन किए जावें। इसमें, E.O.I के तहत् प्राप्त प्रस्तावों का, किन मापदण्डों के तहत् पात्रता/अपात्रता का निर्धारण किया गया है, उसका विस्तृत विवरण दिया जावे।)

2. नीलामी सूचना का प्रकाशन राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के प्रमुख समाचार पत्रों में कराया गया साथ ही निगम की वेबसाईट..... पर अपलोड किया गया तथा निविदा दस्तावेज बेवसाईट..... पर डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। निविदा प्राप्ति के लिए 30 दिवस के पश्चात् की तारीख नियत की गई।

3. (क) निविदा की प्राप्ति के लिए नियत की गई तारीख ..... को ..... बजे तक निम्नलिखित निविदाकारों की निविदायें प्राप्त हुयी:-

1.....
.....

2.....
.....

3.....
.....

(ख) उपरोक्त निविदाओं की तकनीकी पात्रता परीक्षण हेतु दिनांक ..... को ..... के कार्यालय में आयोजित परीक्षण समिति की बैठक में उपस्थित निविदाकरों के समक्ष धरोहर राशि एवं पात्रता संबंधी शर्त का परीक्षण किया गया। इस समिति की बैठक में निम्नानुसार अधिकारी उपस्थित हुए:-

1.....

.....

2.....

.....

3.....

.....

प्रत्येक निविदाकार द्वारा प्रस्तुत पात्रता संबंधी जानकारी एवं धरोहर राशि का कालमवार तुलनात्मक पत्रक, समिति द्वारा प्रमाणित इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। इस तुलनात्मक पत्रक के आधार पर निम्न निविदाकार तकनीकी पात्रता संबंधी शर्तों के तहत पात्र पाये गये:-

1.....

.....

2.....

.....

3.....

.....

इसी प्रकार निविदा के तकनीकी पात्रता के परीक्षण के तहत अपात्र पाये गये निविदाकरों की जानकारी मय अपात्रता के कारण सहित निम्नानुसार संलग्न है:-

स.क्र.	अपात्र पाये गये निविदाकारों का नाम एवं विवरण	अपात्रता का कारण
1	2	3

(ग) उक्त कंडिका ख में निविदाओं की तकनीकी पात्रता के परीक्षण उपरान्त पात्र पाये गये निविदाकारों का वित्तीय प्रस्ताव दिनांक ..... को, ... के कार्यालय में मूल्यांकन समिति के निम्नलिखित सदस्यों के समक्ष खोला गया। इस समय निविदाकार अथवा उनके प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

1.....

.....

2.....

.....

3.....

.....

कंडिका "ख" के तहत पात्र निविदाकारों के वित्तीय प्रस्ताव खोले जाने उपरान्त निम्नानुसार आफर मूल्य प्राप्त हुआ:-

सरल क्रमांक	निविदाकार का नाम एवं विवरण	भूमि/हैरिटेज परिसंपत्ति के लिये आरक्षित किया गया मूल्य (अपसेट प्राईज)	निविदाकार द्वारा ऑफर किया गया मूल्य	रिमार्क
1	2	3	4	5

4. उक्त कंडिका 3 "ख" में अपात्र पाये गयें निविदाकारों का वित्तीय प्रस्ताव नहीं खोला गया। पात्र निविदाकारों के उपरोक्त वित्तीय ऑफर के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निविदाकार .....(नाम एवं विवरण) के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि/हैरिटेज परिसंपत्ति, जो खसरा नम्बर/नजूल शीट क्रमांक एवं भूमि क्रमांक ..... कुल रकबा ..... पर प्रतिस्थापित होकर राजस्व ग्राम..... पर स्थित है, पर निर्धारित पर्यटन विकास संबंधी गतिविधि करने हेतु भूमि/हैरिटेज परिसंपत्ति का अधिकतम ऑफर मूल्य ..... रूपये ..... दिया है। अतः मूल्यांकन समिति सर्वसम्मति से अधिकतम ऑफर मूल्य के निविदाकार ..... (नाम एवं विवरण) के पक्ष में यह निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने की अनुशंसा करती है। (अस्वीकृति के आधार स्पष्ट कर दें)

हस्ताक्षर **प्रबंध संचालक अथवा** **नामांकित प्रतिनिधि** **म०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम**	**हस्ताक्षर** **लेखा अधिकारी,** **आयुक्त पर्यटन कार्यालय**
हस्ताक्षर **व्यावसायिक सलाहकार**	**हस्ताक्षर** **महाप्रबंधक (वित्त)**
निगम के चार्टर्ड **अकांउटेंट**	**संचालक** **(पर्यटन संवर्धन इकाई)**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2016

क्र. एफ 2-12-2016-अ-तेहत्तर.—राज्य शासन द्वारा परिशिष्ट-एक पर संलग्न म. प्र. इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति, 2016 जारी की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एल. कान्ता राव, प्रमुख सचिव.

I. परिचय

मध्य प्रदेश, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जो वर्ष 2014-15 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 10.2 प्रतिशत के साथ सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से है। राज्य में हाल के वर्षों में निवेश और आर्थिक विकास में काफी इजाफा हुआ है। राज्य में एक मजबूत बुनियादी ढांचा, अनुकूल नीतिगत माहौल और औद्योगिक विकास केन्द्र विकसित हुए है, जिससे औद्योगीकरण के विकास में तेजी लाई गई है।

विनिर्माण उद्योग के लिए उच्च संभावनाओं के दृष्टिगत, मध्य प्रदेश ने उच्च तकनीक उद्योगों यथा हैवी इंजीनियरिंग, आईटी, ईएसडीएम, दूरसंचार, ऑटोमोबाईल के साथ साथ मौजूदा कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, सीमेंट, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों के लिए पूरे राज्य में समर्पित औद्योगिक क्लस्टरों की स्थापना कर स्वयं को एक अनुकूल गंतव्य के रूप में स्थापित किया है। इस औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप राज्य में युवा उद्यमियों के लिए इंक्यूबेशन, प्लग और प्ले सुविधाओं की मांग उत्पन्न हुई है।

इसके अलावा, कई प्रमुख तकनीकी, प्रबंधन और अन्य व्यवसायिक संस्थानों जैसे आईआईटी इंदौर, आईआईआईटीएम ग्वालियर, आईआईएम इंदौर, मैनिट भोपाल, IIITDM जबलपुर, आईआईएसईआर भोपाल, निफ्ट भोपाल, 224 इंजिनीयरिंग कॉलेज, 114 पॉलीटेक्नीक, 415 आईटीई 135 कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र(SDC) एवं अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की उपस्थिति के कारण मध्य प्रदेश स्टार्टअप केन्द्रों के लिए एक आदर्श स्थल है। राज्य सरकार ने इन स्टार्टअप हेतु पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापार पूंजी निधि निर्मित की है।

इसलिए, मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की 'स्टार्टअप इण्डिया' विजन के साथ तालमेल रखते हुए एक अनुकूल, अभिनव और तकनीकी उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र की परिकल्पना 'म.प्र. इंक्यूबेशन और स्टार्टअप पॉलिसी 2016' की रचना के माध्यम से राज्य के भीतर स्टार्टअप संस्कृति को पोषित एवं बढ़ावा देने हेतु की है।

II. विजन, मिशन और उद्देश्य

विजन

स्टार्टअप एवं इंक्यूबेशन केन्द्रों हेतु मध्यप्रदेश को एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य में उद्यमशीलता की संस्कृति विकसित करने हेतु एक अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र उपलब्ध कराना।

मिशन

- 'स्टार्टअप इण्डिया' अंतर्गत भारत सरकार के प्रमुख पहल के साथ मध्य प्रदेश का तालमेल बनाने के लिए।
- राज्य में नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण के एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए।

लक्ष्य

- उद्यमिता कौशल के पोषण द्वारा राज्य में स्टार्टअप संस्कृति को मजबूत करना
- राज्य में मौजूदा इन्क्यूबेशन केन्द्रों को मजबूत बनाने के साथ साथ नई प्रौद्योगिकी व्यापार इन्क्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करना
- मध्य प्रदेश में नवीन विचारों को विकसित करने हेतु युवाओं को प्रोत्साहित और प्रेरित करना
- मध्यप्रदेश के राज्य भर में टिकाऊ और समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास को सक्षम करने के लिए मध्यप्रदेश के युवाओं में उद्यमशीलता गतिविधियों को बढ़ावा देना
- मध्य प्रदेश राज्य के भीतर युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना और विकसित करना

III. नीति अंतर्गत केन्द्रित क्षेत्र

एक स्टार्टअप को उद्यम के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक 3 कोर नीति केन्द्रित क्षेत्रों के दृष्टिगत 'म. प्र. इंक्यूबेशन और स्टार्टअप पॉलिसी 2016' तैयार की गई है। ये नीति केन्द्रित क्षेत्र निम्नानुसार है :-

i. 'प्लग और प्ले' इन्क्यूबेशन सुविधा की उपलब्धता

ii. पूंजी सहायता और अनुदान

iii. स्टार्टअप हेन्डहोल्डिग

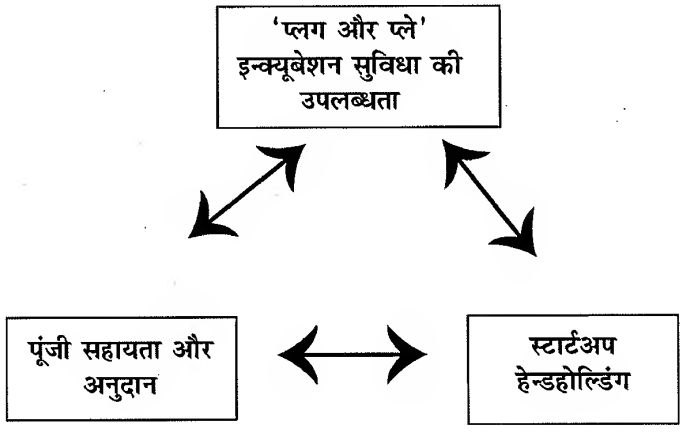

स्टार्टअप/उद्यमशीलता की संस्कृति को राज्य में प्रोत्साहित करने के लिए म. प्र. इंक्यूबेशन और स्टार्टअप पॉलिसी 2016 में उपरोक्त नीति अंतर्गत केन्द्रित क्षेत्रों के आधार पर, निम्नानुसार राज्यव्यापी नेटवर्क की परिकल्पना की गई है :-

अ. अभिनव इंक्यूबेशन नेटवर्क

- राज्य सरकार युवा उद्यमिओं/छात्रों को 'प्लग एण्ड प्ले' सुविधा उपलब्ध करने के लिए सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों, प्रबंधन संस्थानों और व्यावसायिक कॉलेजों के भीतर इन्क्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना हेतु विशेष प्रयास करेगी।
- ये इन्क्यूबेशन केन्द्र एक अभिनव इंक्यूबेशन नेटवर्क विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किए जाएगे, जो होस्ट संस्थानों/इंक्यूबेटरों के मध्य एक सहयोगात्मक मंच का निर्माण करेंगा, जिसे स्टार्टअप/उद्यमिओं की जरूरतों को समझनें के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

- चुने हुए संस्थानों को उनके विषयों या विशेषज्ञता के क्षेत्र में इन्क्यूबेटरों की मेजबानी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एक ऑनलाइन पोर्टल सभी राज्य आधारित इन्क्यूबेटरों को एक नेटवर्क मंच पर लाने के लिए विकसित किया जाएगा।
- यह नेटवर्क शिक्षा या उद्योग क्षेत्र के राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सलाहकारों की पहचान कर उन्हें एक मंच भी प्रदान करेगा।
- यह इंक्यूबेशन नेटवर्क पूंजी सहायता, सरकार से कानूनी अनुपालन और नियामक समर्थन हेतु सहायता की पहचान करने में स्टार्टअप को हेण्डहोल्डिंग उपलब्ध कराने हेतु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

ब. एंजल निवेशक/पूंजीवादी व्यापार नेटवर्क

- एक एंजल निवेशक/पूंजीवादी व्यापार की पहचान और चयन किसी स्टार्टअप की यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए राज्य सरकार राज्यव्यापी एंजल निवेशक/पूंजीवादी व्यापार को एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी, जिससे वह स्टार्टअप और उनके प्रारंभिक चरण के लिए आवश्यक धन की सहायता के बीच के अंतर को समाप्त कर सके।
- यह राज्य के भीतर अनुकूल और टिकाऊ स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में मदद करेगा।
- यह नेटवर्क राज्य में स्टार्टअप के लिए एक 'त्वरक' की भूमिका भी निभाएगा।

IV. प्रोत्साहन

मध्यप्रदेश के स्टार्टअप और इंक्यूबेटरों के लिए 'म. प्र. इंक्यूबेशन और स्टार्टअप पॉलिसी 2016' अंतर्गत प्रोत्साहनों के प्रावधान 1 अक्टूबर, 2016 से 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लागू होगें।

मध्यप्रदेश सरकार और भारत सरकार की अन्य नीतिओं/योजनाओं के अन्य लागू प्रोत्साहन (यदि पात्र हो तो) के लिए भी स्टार्टअप और इन्क्यूबेटर हकदार होगें। यह ध्यान दिया जाय कि नीचे उल्लेखित प्रोत्साहन भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन के अतिरिक्त होगें। हालांकि समान प्रकृति के प्रोत्साहन मध्यप्रदेश सरकार की किसी अन्य नीतिओं/योजनाओं अंतर्गत दावा नहीं किए जाएगें।

म.प्र. शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), विभाग इंक्यूबेटरों, स्टार्टअप, संवेगों को बढ़ावा देने के लिए और मेजबान संस्थाओं को राज्य के भीतर उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए 'उद्योग संचालनालय म.प्र." को नोडल एजेन्सी के रूप में नामित करेगा।

अ. इन्क्यूबेटरों को प्रोत्साहन

सरकार, सरकारी संस्थाओं के साथ-साथ पात्र निजी संस्थानों को, प्रमुख उद्योग संगठनों सहित इंक्यूबेटरों की स्थापना हेतु सुविधाए देगी। मेजबान संस्थाओं को इंक्यूबेटरों की स्थापना हेतु राज्य सरकार से अनुदान प्राप्ति हेतु नोडल संस्था में पंजीकरण करेगी। इंक्यूबेटरों की स्थापना का आशय व्यक्त करने वाली मेजबान संस्थाओं के चयन का निर्णय राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा लिया जाएगा।

इन्क्यूबेटरों के रूप में चयनित मेजबान संस्था स्टार्टअप के लिए बुनियादी 'प्लग एंड प्ले' प्रदान सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी; जैसे

- कंप्यूटर और इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के साथ कार्य स्थल
- सामान्य व्यापार, प्रशासनिक और इंक्यूबेशन सुविधाएं
- प्रशिक्षण और सलाह (तकनीकी, वित्तीय, विपणन और कानूनी) इत्यादि

इंक्यूबेटरों के लिए राज्य सहायता प्रारंभिक 3 सालों के लिए प्रदान की जाएगी, जो कि प्रदर्शन के आधार पर 2 साल और बढ़ाई जा सकेगी, जिसके अंत में इनक्यूबेटर के आत्मनिर्भर होने की उम्मीद हो।

i. पूंजी अनुदान

- पात्र मेजबान संस्थाओं को इंक्यूबेटर की स्थापना हेतु किए गए स्थायी पूंजी निवेश (यंत्र, संयंत्र और उपकरणों में किया गया निवेश परंतु भूमि व भवन में किए गए निवेश को छोड़कर) के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत का पूंजी अनुदान प्रदान किया जाएगा जो अधिकतम 50 लाख रूपए होगा।
- पूर्व स्थापित इंक्यूबेटरों को उनकी क्षमता का विस्तार करने के लिए भी उक्त सीमा तक अनुदान दिया जाएगा बशर्ते पूर्व स्थापित इंक्यूबेटरों द्वारा 2 वर्ष में क्षमता का उपयोग कर लिया जाय।

ii. संचालन सहायता

- पात्र इन्क्यूबेटरों को आवर्ती व्यय के लिए सहायता देने हेतु प्रति वर्ष वास्तविक व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रूपए प्रति वर्ष की सीमा तक संचालन सहायता के रूप प्राप्त होगा।

iii. स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन

- पात्र इन्क्यूबेटरों को उनका संचालन आरंभ होने पर क्रय/भूमि की लीज/ कार्य स्थल/ आईटी भवन पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी।

iv. सलाह हेतु सहायता

औद्योगिक मार्गदर्शकों (सीएक्सओ), प्रितष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों या संस्थानों के प्रोफेसरों से इंक्यूबेटी स्टार्टअप को सलाह प्राप्त करने हेतु, पात्र इन्क्यूबेटरों को सलाह हेतु सहायता की प्रतिपूर्ति प्रति वर्ष 2 लाख रूपए तक की सीमा तक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।

v. स्टार्टअप प्रतियोगिता सहायता

नवाचार को बढ़ावा देने और एक कैरियर विकल्प के रूप में उद्यमिता में छात्रों को लामबंद करने के लिए, मेजबान संस्थाओं/इंक्यूबेटरों को वार्षिक स्टार्टअप प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मध्यप्रदेश में स्थापित पात्र राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, राज्य के विश्वविद्यालयों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों को स्टार्टअप प्रतियोगिता समारोह आयोजित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें राज्य सरकार प्रति समारोह 1 लाख रूपए की सीमा तक सहायता प्रदान करेंगी।

ब. स्टार्टअप/उद्यमिओं को प्रोत्साहन

इंक्यूबेटरों में संचालित होने वाले उद्यमिओं/स्टार्टअप को प्रोत्साहनों का लाभ पाने के पूर्व कंपनी के रूप में या एमएसएमईडी एक्ट, भारत सरकार के तहत पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

i. ब्याज अनुदान

- पात्र स्टार्टअप को अनुसूचित बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण के भुगतान हेतु ब्याज दर पर 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष हेतु 4 लाख रूपए प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा तक ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।

ii. लीज़ किराया अनुदान

- इंक्यूबेटरों में संचालित राज्य की स्टार्टअप इकाइयॉ लीज किराए के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति के लिए, 3 साल की अवधि हेतु अधिकतम 3 लाख रूपए प्रति वर्ष की सीमा के अधीन इंक्यूबेटर को किराया अदा करने की दिनांक से पात्र होंगी।

iii. पेटेंट/गुणवत्ता संवर्धन अनुदान

- पेटेण्ट/गुणवत्ता प्रमाणपत्र सफलतापूर्वक प्राप्त करने पर प्रति पेटेण्ट/गुणवत्ता प्रमाणपत्र हेतु लागत की प्रतिपूर्ति घरेलु हेतु 2 लाख रूपए और अंतर्राष्ट्रीय हेतु 5 लाख रूपए की सीमा तक की जाएगी।
- 5 साल की नीति की अवधि के भीतर, प्रत्येक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय श्रेणी में 2 पेटेण्ट/गुणवत्ता प्रमाणपत्र पर विचार किया जाएगा।

iv. स्टार्टअप विपणन सहायता

- पात्र स्टार्टअप को बाजार में उनके उत्पाद/सेवा को शुरू करने के लिए, स्टार्टअप द्वारा एक पंजीकृत एंजल/वैंचर फण्ड/पंजीकृत इंक्यूबेटर सें न्यूनतम 25 प्रतिशत पूंजी हासिल करने पर एक बार अधिकतम 10 लाख रूपए की स्टार्टअप विपणन सहायता दी जाएगी।

v. क्रेडेंशियल विकास सहायता

- राज्य सरकार के विभागों, निगमों और राज्य एजेन्सीओं द्वारा की जाने वाली सरकारी खरीदी में स्टार्टअप को एक मंच प्रदान करने के लिए राज्य सरकार इस बात कर विचार करेगी और संभावनाओं को तलाशेगी कि किस प्रकार सेवा एवं सामग्री से संबंधित शासकीय क्रय में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाए।

V. नीति की उपयुक्तता

म. प्र. इंक्यूबेशन और स्टार्टअप पॉलिसी 2016 निम्नानुसार क्षेत्रों में लागू होगी; यथा :-

- इंटरनेट संबंधी (IOT) / ई कॉमर्स/ मोबाईल प्रौद्योगिकी
- सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/आईटीईएस/बीपीएम/सॉफ्टवेयर विकास
- ईएसडीएम सहित निर्माण/रोबोटिक्स/3 डी मुद्रण
- हेल्थकेयर, फार्मास्यूटिकल और कृषि प्रसंस्करण
- बॉयोकेमिकल, कृषि, खाद्य प्रौद्योगिकी एवं वस्त्र
- हरित ऊर्जा/स्वच्छ प्रौद्योगिकी/पानी और पुर्नचक्रण
- शिक्षा, सामाजिक एवं ग्रामीण उद्यमिता
- या कोई भी अभिनव विचार/ प्रौद्योगिकी जो राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा अनुमोदित हों

VI. नीति का क्रियान्वयन

'म.प्र. इंक्यूबेशन और स्टार्टअप पॉलिसी 2016' को राज्य में क्रियान्वित करने के लिए म.प्र. शासन एमएसएमई, विभाग द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में '"उद्योग संचालनालय म.प्र." को नोडल एजेन्सी के रूप में इस नीति के क्रियान्वयन हेतु नामित किया जाएगा।

अ. स्टार्टअप -इंक्यूबेटर (एसआई) सेल

नोडल एजेंसी के भीतर एक 'स्टार्टअप-इंक्यूबेशन (एसआई) सेल' बनाया जाएगा, जो स्टार्टअप/इन्क्यूबेटरों/मेजबान संस्थाओं को म.प्र. इंक्यूबेशन और स्टार्टअप नीति 2016 के तहत लाभ प्रदान करने हेतु सुगमता और हेण्डहोल्डिंग प्रदान करेंगा।

यह पेशेवर तरीकें से संचालित इकाई सभी स्टार्टअप/उद्यमी/इंक्यूबेटर/मेजबान संस्थान की जिज्ञासाओं, सरकार के पदाधिकारियों के साथ संपर्क, नीति क्रियान्वयन योजना में सहायता के लिए 'एक स्थान पर समाधान' के रूप में कार्य करेगी और म.प्र. इंक्यूबेशन और स्टार्टअप नीति 2016 के विपणन व ब्रांडिंग हेतु प्रतिबद्ध रहेगी।

पात्र स्टार्टअप/उद्यमी/इंक्यूबेटर/मेजबान संस्था अपना आवेदन नोडल एजेन्सी के 'स्टार्टअप-इंक्यूबेशन सेल (एसआई)' में अपने व्यापार की योजना के साथ प्रस्तुत करेंगी। नोडल एजेन्सी स्टार्टअप/उद्यमी/इंक्यूबेटर/मेजबान संस्था से प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी। नोडल एजेन्सी राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति के अनुमोदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

ब. राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति

इस नीति के तहत सहायता की स्वीकृति हेतु निम्नानुसार सदस्यों को समाविष्ट करते हुए एक राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति (SLIC) गठित की जाएगी:

प्रमुख सचिव एमएसएमई	-	अध्यक्ष
सचिव, वित्त विभाग	-	सदस्य
उच्च शिक्षा विभाग के नामिती	-	सदस्य
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के नामिती	-	सदस्य
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के नामिती	-	सदस्य
प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रायफेक के नामिती	-	सदस्य
आवेदक से संबंधित म. प्र. शासन के विभाग के नामिती	-	सदस्य
उद्योग/उद्योग संघो से नामिती	-	सदस्य
अभिनव/निवेशक/इंक्यूबेटर नेटवर्क से अन्य नामिती, जो कि म.प्र. शासन द्वारा नामांकित किए जाएगें	-	सदस्य
उद्योग आयुक्त	-	सदस्य सचिव

- सदस्य सचिव निर्धारित समय के भीतर एक निश्चित तिथि को राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक का आयोजन करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

स. राज्य स्तरीय साधिकार समिति

इस नीति के तहत सदस्यों को निम्नानुसार संदस्यों को समाविष्ट करते हुए एक राज्य स्तरीय साधिकार समिति का गठन किया जाएगा जिसमें :

मुख्य सचिव, म. प्र. शासन	-	अध्यक्ष
प्रमुख सचिव, वित्त	-	सदस्य
प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर	-	सदस्य
प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	-	सदस्य
प्रमुख सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी	-	सदस्य

प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार	-	सदस्य
उद्योग आयुक्त	-	सदस्य
प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रायफेक	-	सदस्य
प्रमुख सचिव, एमएसएमई	-	सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय साधिकार समिति SLIC के लिए अपील समिति होगी, जिसका किसी भी मामले में निर्णय अंतिम होगा।

साधिकार समिति का चार्टर निम्नानुसार होगा:

- परिवीक्षक और प्रासंगिक आदेशों/अधिसूचनाओं और आवश्यक संशोधन को समय पर जारी किया जाना सुनिश्चित करना
- नीतिगत मामलों के संबंध में इस नीति के किसी भी मुद्दे की व्याख्या, अंतर विभागीय समन्वय
- विभागों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं के लिए परियोजनाओं, रूपरेखा, क्रियान्वयन के तौरतरीको को स्वीकृत करना
- म. प्र. इंक्यूबेशन और स्टार्टअप पॉलिसी 2016 का समय-समय पर महत्वपूर्ण संकेतको पर मूल्यांकन और सभी स्तरों पर क्रियान्वयन संबंधी मुद्दों को सुलझाना

VII. शब्दकोष

1. **स्टार्टअप** : किसी इकाई को 'स्टार्टअप' के रूप मान्य किया जाएगा -
   - अपने निगमन/पंजीकरण की दिनांक से 5 वर्ष तक
   - यदि किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उसका कारोबार 25 करोड़ से अधिक न हो
   - इकाई नवाचार और नए उत्पादों व सेवाओं का विकास की दिशा में कार्य करती हो, जो प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा के द्वारा संचालित हो।

   इसके अलावा, डीआईपीपी, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दी गई स्टार्टअप की परिभाषा को मान्य किया जाएगा।
2. **इंक्यूबेटर** : इंक्यूबेटर एक संगठन है जो भौतिक स्थान, अधोसंरचना, वित्त पोषण नेटवर्क, सलाह/प्रशिक्षण और अन्य सामान्य सुविधाओं जैसी सुविधाओं के माध्यम से

व्यापार की सहायता हेतु स्टार्टबप के लिए एक मंच प्रदान करता है। पात्र इंक्यूबेटर मध्यप्रदेश में स्थित हो और नीति क्रियान्वयन एजेन्सी के साथ पंजीकृत हो।

3. **मेजबान संस्था (एचआई)** : मध्यप्रदेश में स्थित प्रसिद्ध इंजिनीयरिंग/प्रोद्योगिकी, प्रबंधन, व्यवसायिक संस्था और अनुसंधान व विकास संस्था, प्रमुख उद्योग संघों सहित मेजबान संस्था होगें जो इंक्यूबेशन, नवाचार, एवं उद्यमिता विकास गतिविधिओं पर ध्यान केन्द्रित करेगे।

4. **एंजल निवेशक** : एंजल निवेशक सेबी/अनुसूचित बैंक/ या प्रतिष्ठित संस्था जैसे आईआईटी/आईआईएम/डीएसटी या म. प्र. शासन से मान्यता प्राप्त इंक्यूबेटरों के साथ पंजीकृत होगा। एंजल निवेशक वह होगा, जो उद्यमिओं/स्टार्टअप को प्रारंभिक चरण हेतु स्थापना पूंजी उपलब्ध कराए।

5. **उद्यम पूंजी** : उद्यम पूंजी फण्ड द्वारा फण्ड का प्रबंध, निवेशक को उभरते विकास संभावनाओं वाले स्टार्टअप एवं लघु-मध्यम उद्यमों में हिस्सेदारी द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार के निवेश को उच्च जोखिम और उच्च वापसी का माना जाता है।

6. **राष्ट्रीय महत्व के संस्थान** : इस श्रेणी में ऐसे संस्थान होगें, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के साथ पंजीकृत है, जैसे आईआईटी, एनआईटी, स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, भारतीय विज्ञान शिक्षा संस्थान और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान आदि।

7. **निर्गम अनुच्छेद** : किसी भी इंक्यूबेटी को निर्गम का रास्ता संबंधित इंक्यूबेटर द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो कि डीआईपीपी, भारत सरकार द्वारा परिभाषित मापदंडो की तर्ज पर आधारित होगा।

I. Introduction

Madhya Pradesh, the second largest state of India, is among the fastest growing states with a 10.2% GSDP growth rate in year 2014-15.The state has gained significantly in investment and economic growth in recent years. The state has developed a robust infrastructure, conducive policy environment & industrial growth centres which has expedited the growth of industrialization.

Realizing the high potential for manufacturing industry, Madhya Pradeshhas positioned itself as a favorable destination for high tech industries including heavy engineering, IT, ESDM, telecommunications, automobiles along with existing textiles, pharmaceuticals, cement, agro & food processing based industries by establishing dedicated Industrial Clusters across the state. This industrial growth has been resulted in demand for Incubation, Plug& Play facilities for young entrepreneurs in the state.

Furthermore, the presence of numerous prominent technical, management and other professional institutes such as IIT Indore, IIITM Gwalior, IIM Indore, MANIT Bhopal, IIITDM Jabalpur, IISER Bhopal, NIFT Bhopal,224 Engineering Colleges, 114 Polytechnics, 415 ITIs, 135 Skill Development Centres (SDC) and other Vocational Training Centresmake Madhya Pradesh an ideal destination for startup hubs. The State Government has also setup a Venture Capital fund to ensure access to capital for these startups.

Therefore, aligning with Government of India's 'Startup India' vision,Government of Madhya Pradesh has envisaged creation of a conducive, innovative and technological entrepreneurial ecosystem through 'MP Incubation & Startup Policy 2016' to nurture and promote Startup culture within the state.

II. Vision, Mission & Objective

Vision

"To establish Madhya Pradesh as apreferred destination for Startups&Incubation Centres by providing an enabling ecosystem to support entrepreneurial culture in the State"

Mission

- To align Madhya Pradesh with the 'Startup India' flagship initiative of the Government of India.
- To build a sustainable ecosystem of Innovation, R&D and Manufacturing in the State.

Objective

- To strengthen the Startup culture in the State by nurturing entrepreneurial skills
- To encourage setting up of new Technological Business Incubation Centres along with strengthening existing Incubation Centres in the state
- To encourage and inspire youth to develop innovative ideas in Madhya Pradesh
- To promote entrepreneurship activities among the youth of MP to enable sustainable and inclusive socio-economic development across the state of Madhya Pradesh
- To promote and develop employment opportunities for the youth within the State of Madhya Pradesh

III. Policy Focus Areas

MP Incubation &Startup Policy 2016 is formulated with 3 core policy focus areas which are required for a startup to grow as an enterprise. These are as follows:

i. Availability of 'Plug & Play' Incubation Facility
ii. Funding Support & Incentives
iii. Startup Handholding

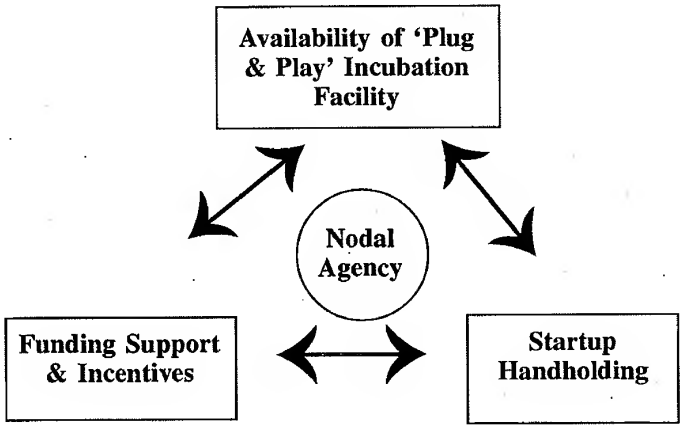

On the basis of these policy focus areas, MP Incubation &Startup Policy 2016 envisaged below mentioned Statewide Network to encourage Startup/Entrepreneurial culture within the state.

A. Innovative Incubation Network

- The state government would provide thrust on establishing Incubation Centres within Engineering Colleges, Management Institutes and Professional Colleges across Madhya Pradesh to provide 'Plug & Play' model facilities to young entrepreneurs/students.
- These Incubation Centres shall be promoted to develop anInnovative Incubation Network to build a collaborative platform among Host Institutions/Incubators which can be used to learn the best practices and understand the requirements of startups/entrepreneurs.
- Selected Institutes shall be encouraged to host incubators in their area of discipline or expertise. An online portal shall be developed to bring all the state based Incubators on a single network platform.
- This network shall also provide a platform to identify National/ International mentors from academia or Industry.
- This Incubation Network shall play a vital role in providing handholding to startups in identifying funding support, assistance in legal compliance and regulatory support from Government.

B. Angel Investors/Venture Capitalist Network

- The identification and selection of an Angel Investor/Venture Capitalist plays a critical role in the journey of any Startup. Therefore,state government shall encourage statewide Angel Investors/Venture Capitalist to form a network so that it can bridge the divide between startup and their early stage required funding support.
- This shall help in building conducive and sustainable startup ecosystem within the state.
- This Network shall also play a role of an 'Accelerator' for Startups in the state.

IV. Incentives

The incentives provisioned in 'MP Incubation & Startup Policy 2016' shall be applicable to Startups&Incubators in Madhya Pradesh from 1st Oct 2016 to period ending on 31st Mar 2021.

Startups &Incubators canalso be entitled for other applicable incentives (if eligible) under other policies/schemes of Govt. of Madhya Pradesh and Govt. of India. It may be noted that the below mentioned incentives shall be in addition to the incentives provided from Govt. of India.However, the same incentives cannot be claimed from any other policies/schemes of Govt. of Madhya Pradesh.

Department of Micro, Small, Medium Enterprise (MSME), Govt. of Madhya Pradesh shall nominate 'Directorate of Industries, Madhya Pradesh' as nodal agency to promote Incubators, Startups, Accelerators and to encourage Host Institutions to build entrepreneurial ecosystem within the state.

A. Incentives to Incubators

Government shall facilitate setting up of incubators in Government Institutions as well as eligible private institutions along with prominent Industry associations. TheHost Institutions in quest of grant from state government to setup Incubators shall has to be registered with the nodal agency. The selection of Host Institutions expressing intent to establish Incubators shall be decided by the State Level Implementation Committee.

Selected Host Institutions as incubators shall be responsible to provide basic 'plug & play' facilities to startups such as:

- Work space with computer and Internet Broadband Connectivity
- Common business, administrative& incubation facilities
- Training & Mentoring (Technical,Financial, Marketing & Legal) etc.

State support would be provided to incubators for initial 3 years, extendable to further 2 years based on performance at the end of which Incubator is expected to be self-sufficient.

i. Capital Assistance

- Eligible Host Institutions shall be provided capital grant of max 50% for Fixed Cost Investment (Investment made in plant, machinery &equipment but shall excludeland & building) for setting up incubator, subject to max of INR 50 lacs.

- The same limit shall be extended to existing Incubators for capacity expansion subject to the capacity utilization of the existing incubator for 2 years.

ii. Operational Assistance

- Eligible incubators shall get the support for recurring expenses as operational assistance upto 50% of actual expenses to the limit of INR 5 lacs per year.

iii. Stamp Duty & Registration

- Eligible Incubators shall be provided 100% Stamp duty& registration fee reimbursementon purchase/lease of land/Office space/IT building on commencement of their operation.

iv. Mentoring Assistance

- To provide mentorshipto incubatee startups from industry leaders (CXOs), academicians and professors of reputed national & international universities or institutes, Eligible incubators shall be provided mentoring assistance support on reimbursement basis upto a limit of INR 2 lacs per year for a period of 3 years.

v. Startup Competition Assistance

- To promote innovation and mobilize students into entrepreneurship as a career option, Host Institutions/Incubators shall be encouraged to organize annual startup competition challenges. Eligible institutes of national importance, state universities & central universities based in MP shall be supported by state government to organize startup competition fest in which state shall provide assistance upto a limit of INR 1 lacs per event.

B. Incentives to Startups/Entrepreneurs

Entrepreneurs/Startups running in the incubatorsneed to be registered as company or under MSMED Act, Govt. of India before availing incentives.

i. Interest Subsidy

- Eligible startups shall be provided interest subsidy of 8% per annum for a period of 3 years on the rate of interest paid on loans obtained from scheduled banks/financial institutions subject to the maximum limit of INR 4 lacs per year.

ii. Lease Rental Subsidy

- Reimbursement of 25% of lease rental subsidy to startup units established in the state operating from Incubators shall be eligible for a period of 3 years subject to the ceiling of INR 3 lacs per yearfrom the date of rent payment to Incubator.

iii. Patent/Quality Promotion Subsidy

- Cost reimbursement for Patent/Quality certification per unitup to a limit of INR 2 lacs for Domestic & INR 5 lacs for International Patent/Quality Certification upon successfully receivingthem.
- Within policy period of 5 years, 2 Patent/Quality Certification in each domestic and international category shall be considered.

iv. Startup Marketing Assistance

- One time startup marketing assistance of Max INR 10 lacs to eligible startups for their product/service launch in the market upon securing of min funding of 25% from a registered angel/venture funds/registered incubators by startup.

v. Credential Development Assistance

- In order to provide a platform to Startups in public procurement by State Government Departments, Corporations and State Agencies, the state government shall consider and evaluate the possibilities as tohow startups would be encouraged in govt. procurements related to services & goods. The State Government shall consider this endeavor and come up with a separate policy.

V. Policy Applicability

The MP Incubation &Startup Policy 2016 shall be applicable to following domains such as:

- Internet of Things (IoT)/ E-commerce /Mobile Technology
- Information Technology (IT)/ITeS/BPM/Software development
- Manufacturing including ESDM/Robotics/ 3-D Printing
- Healthcare, Pharmaceutical & Agri Processing
- Biochemical, Agriculture, Food technology & Textile
- Green energy/clean technology/water & recycling
- Education, Social& Rural Entrepreneurship
- Or any innovative idea/technology as approved by State Level Implementation Committee

VI. Policy Implementation

In order to implement 'MP Incubation & Startup Policy 2016' in the state, Department of MSME, Govt. of Madhya Pradesh shall nominate 'Directorate of Industries, Madhya Pradesh' as Nodal agency to implement this policy.

A. Startup-Incubator(SI) Cell

Within Nodal Agency, a 'Startup-Incubator(SI) Cell' shall be setup which shall facilitate and provide handholding to Startups/Incubators/Host Institutions to avail benefits under MP Incubation & Startup Policy 2016. Thisprofessionally run unit shallact as 'One stop solution' for all Startup/Incubators queries, liaison with Government functionaries, assist in policy implementation plan and engaged with marketing & branding of 'MP Incubation & Startup Policy 2016'.

Eligible Startup/Entrepreneur/Incubator/Host Institution shall submit its application along with its business plan to 'Startup-Incubator (SI) Cell' in Nodal agency. Nodal agency shall evaluate the proposals obtained from startups/Incubators/Host Institution. The Nodal agency shall submit a reportalong with required documentsto the State Level Implementation Committee for approval.

B. State Level Implementation Committee

Under this policy, A State Level Implementation Committee (SLIC) committee comprising following members shall be constituted for sanction of assistance:

PS MSME	-	Chairperson
Nominee of Finance	-	Member
Nominee of Higher Education	-	Member
Nominee of Technical Education &Skill Development	-	Member
Nominee of Science & Technology	-	Member
Nominee of Managing Director, TRIFAC	-	Member
Nominee of applicant's related Department of GoMP	-	Member
Nominee(s) from Industry/Industry association	-	Member
Other Nominee(s) from Innovation/Investor/Incubator Network to be nominated by Govt. of Madhya Pradesh	-	Member
Industries Commissioner, Madhya Pradesh	-	Member Secretary

- Member secretary shall be responsible to organize the SLIC meeting on a fixed date within stipulated time.

C. State Level Empowered Committee

A State Level Empowered Committee comprising following members shall be constituted under this policy:

Chief Secretary, GoMP	-	Chairperson
Principal Secretary, Finance	-	Member
Principal Secretary, Commercial Tax	-	Member
Principal Secretary, Technical Education & Skill development	-	Member
Principal Secretary, Science & Technology	-	Member
Principal Secretary, Commerce, Industry & Employment	-	Member
Industrial Commissioner	-	Member
MD MPTRIFAC	-	Member
PS MSME	-	Member Secretary

The State Level Empowered Committee shall be Appeals Committee for SLIC whose decision in any matter shall be final.

The charter of the Empowered Committee shall be:

- Monitor and ensure timely release of relevant orders/ notifications and amendment required
- Any issue of interpretation of this policy, Inter departmental co-ordination with respect to policy matters
- Approve the projects, framework, modalities of implementation for projects proposed by the department
- Time to time evaluation of MP Incubation & Startup Policy 2016 on key indicators and resolve implementation issues at all levels

VII. Glossary

1 **Startup:**An entity shall be considered as 'Startup'-

- Up to 5 years from the date of its incorporation/registration
- If its turnover for any financial years has not exceeded INR 25 Cr.
- Entity works towards innovation and development of new products & services driven by technology or Intellectual property.

Further, the definition of Startup shall be considered as decided by DIPP, Govt. of India from time to time.

2 **Incubator:**Incubator is an organization which provides a platform to startups for business support through facilities like physical space, infrastructure, funding network, mentoring/training and other common facilities.Eligible Incubators shall be based in MP and registered with policy implementing agency.

3 **Host Institutions(HI):** Host Institutions are renowned Engineering/Technology, Management, Professional Institutes and R&D Institutes including renowned Industry Associations in the state of MP which focus on incubation, innovation and entrepreneurial development activities.

4 **Angel Investors:** The Angel Investors shall be registered with SEBI/Scheduled Bank/or reputed Institution like IITs/IIMs/DST or GoMP approved Incubators. Angel Investors are who provide early stage seed funding to entrepreneurs/startups.

5 **Venture Capitals:**Venture Capitals fund manage fund from investors seeking equity stake in startups and small-medium enterprises with emerging growth potential. These type of investments are considered to be high risk & high return.

6 **Institute of National Importance:**Institutes which are registered with the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India under this category such as IIT, NIT, School of Planning and Architecture, Indian Institutes of Science Education and Research&All India Institute of Medical Sciences etc.

7 **Exit Clause:** The exit clause for any Incubatee shall be determined by respective Incubators subject to in line with the criteria defined by DIPP, GoI for startup exit clause.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 10 अगस्त 2016

पत्र क्र. 2027-प्रशा-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बहुती नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	खोडरी	1.500	कार्यपालन यंत्री, पक्का बाँध संभाग देवलोंद, जिला शहडोल.	बहुती नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. पी. राही, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 20 सितम्बर 2016

क्र. भू-अर्जन (अ-82) 2016-2017-1260.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार

सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	जारासुरंग रै. प.ह.नं. . . .	335	0.320	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	डिण्डौरी मध्यम परियोजना शीर्ष कार्य.
			332	0.340		
			329	0.350		
			327	0.400		
			356	0.420		
			326	0.500		
			376/1	0.540		
			376/2	0.550		
			360/2	0.560		
			364	0.580		
			303	0.520		
			370	0.590		
			366	0.680		
			306	0.720		
			391/2	0.500		
			369	0.870		
			339	0.970		
			361/1	1.030		
			361/2	1.030		
			309/1	1.240		
			309/2	1.250		
			345	1.250		
			354	0.210		
			385	0.800		
			355	0.200		
			367	0.880		
			371	0.08		
			333	0.490		
			334	1.370		
			390	1.870		
			318	0.460		
			320	0.740		
			323	0.170		
			328	0.150		
			363	0.360		
			374	1.580		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			305/2	1.000		
			375/2	1.000		
			308	2.020		
			309	2.490		
			360/1	0.570		
			301	0.420		
			365	0.570		
			368	0.880		
			377	1.600		
			324	2.150		
			305/1	0.400		
			307	1.360		
			346	0.440		
			375/1	1.130		
			343	4.760		
			311	0.280		
			312	0.800		
			313	0.800		
			315	0.430		
			340	0.830		
			344	0.150		
			348	0.710		
			349	0.850		
			389	1.200		
			376/2	0.550		
			364	0.580		
			303	0.650		
			374	1.980		
			305/2	1.000		
			375/2	1.000		
			166	0.570		
			305/1	0.400		
			346	0.440		
			375/1	1.130		
			343	4.760		
			योग . .	54.470		
			शासकीय भूमि . .	27.050		
			कुल योग . .	81.520		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन (अ-82) 2016-2017-1261.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में ''समाजिक समाघात रिपोर्ट'' से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	जुगदई रै. प.ह.नं. . . .	63	0.080	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	डिण्डौरी मध्यम परियोजना शीर्ष कार्य.
			23	0.130		
			312/1	0.120		
			312/2	0.140		
			312/3	0.180		
			221	0.250		
			24	0.260		
			29/5	0.150		
			305/3	0.400		
			219/2	0.370		
			219/3	0.140		
			19/2	0.080		
			225/1	0.320		
			58/1	0.290		
			59/1	0.280		
			77/1	0.020		
			167/1	0.200		
			59/2	0.270		
			77/2	0.030		
			167/2	0.200		
			59/3	0.270		
			77/3	0.030		
			167/3	0.200		
			59/4	0.280		
			77/4	0.030		
			167/4	0.190		
			19/1	0.080		
			19/5	0.090		
			47/4	0.160		
			225/5	0.320		
			19/3	0.080		
			47/1	0.170		
			225/4	0.350		
			305/4	0.600		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			305/2	0.620		
			225/7	0.710		
			2/3	0.750		
			13/2	0.320		
			18/2	0.800		
			17/2	1.000		
			224	1.070		
			17	1.150		
			240/2	0.680		
			18/4	1.200		
			13/1	0.520		
			61	1.220		
			305/1	1.220		
			222	1.260		
			18/1, 67/2	0.630		
			22	0.500		
			39	0.600		
			311	0.650		
			324	0.060		
			346	0.790		
			32/1	0.690		
			66/1	0.680		
			182/2	1.520		
			28	0.190		
			36/5	0.680		
			62	1.670		
			60	1.220		
			310	1.020		
			2/1	0.690		
			5/2	0.360		
			38/2	1.240		
			35	0.890		
			8	1.770		
			304/3/क	0.190		
			304/4	0.920		
			3	1.980		
			6/1	1.670		
			27	0.150		
			225/6	2.030		
			227	2.080		
			7	0.970		
			688/650	1.210		
			64	2.260		
			313	0.310		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			243, 309	0.320		
			2/2	0.690		
			2/4	0.750		
			5/1	0.360		
			6/2	2.260		
			20	0.440		
			38/1	1.240		
			16	2.130		
			101	2.410		
			226/3	0.930		
			229/3	1.060		
			230/3	0.620		
			231/3	1.120		
			232/3	0.350		
			226/2	0.940		
			229/2	1.050		
			230/2	0.620		
			231/2	1.120		
			232/2	0.340		
			226/1	0.940		
			229/1	1.050		
			230/1	0.620		
			231/1	1.120		
			232/1	0.200		
			458	0.280		
			481/3	1.400		
			549/2	0.090		
			589	0.530		
			29	1.950		
			94	0.505		
			757	1.100		
			758	1.100		
			27	0.450		
			306	0.130		
			455	0.610		
			योग . .	77.305		
			शासकीय भूमि . .	15.680		
			कुल योग . .	92.985		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन (अ-82) 2016-2017-1262.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाधात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा, इस आशय, की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	चुहचुही माल प.ह.नं. . . .	92/4	0.150	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	डिण्डौरी मध्यम परियोजना शीर्ष कार्य.
			47/2	0.200		
			34	0.220		
			55	0.240		
			83	0.270		
			92/5	0.300		
			92/3	0.320		
			4	0.340		
			92/1	0.350		
			92/2	0.350		
			98	0.210		
			99	0.170		
			58	0.250		
			24	0.130		
			26	0.390		
			5	0.080		
			42	0.190		
			56	0.130		
			57	0.250		
			6	0.090		
			41	0.190		
			59	0.260		
			61	0.130		
			48	0.710		
			88	0.24		
			20	0.250		
			49	0.470		
			87	0.72		
			18	0.400		
			76	0.330		
			13	0.800		
			54	0.880		
			14	0.570		
			77	0.400		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			30	0.400		
			31	1.100		
			75	0.800		
			97	0.032		
			35	0.180		
			43	0.190		
			64	0.230		
			67	0.370		
			70	0.570		
			36	0.180		
			44	0.190		
			65	0.230		
			66	0.370		
			71	0.570		
			29	1.060		
			16/1	0.800		
			45/1	0.900		
			28	1.210		
			27	1.740		
			45/3	0.250		
			16/2	0.800		
			45/2	1.220		
			91	2.050		
			46	1.510		
			85	0.700		
			2	0.670		
			73	0.940		
			80	0.840		
			11	1.630		
			47/1	0.430		
			53	0.540		
			8	0.940		
			37	0.040		
			38	0.360		
			50	0.950		
			60	0.260		
			62	0.140		
			21	2.330		
			68	0.510		
			17	2.330		
			23	0.510		
			32	3.620		
			69	0.450		
			19	2.230		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			51	1.900		
			52	2.490		
			88	0.710		
			87	0.720		
			97	0.400		
			योग . .	54.770		
			शासकीय भूमि . .	35.260		
			कुल योग . .	90.030		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन (अ-82) 2016-2017-1263.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से खाने (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अत: भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	चुहचुही रैयत प.ह.नं. . . .	223	0.050	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	डिण्डौरी मध्यम परियोजना शीर्ष कार्य.
			202/3	0.060		
			240/1	0.100		
			113/1	0.150		
			154	0.180		
			174/2	0.180		
			192	0.200		
			226	0.140		
			236	0.060		
			228	0.200		
			86/3	0.200		
			50	0.210		
			96/2	0.250		
			209/1	0.260		
			209/2	0.260		
			189	0.270		
			123	0.330		
			134/1	0.34		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			231	0.35		
			62	0.36		
			116	0.370		
			115/2	0.380		
			114/1	0.400		
			143	0.400		
			73/1	0.400		
			114/4	0.400		
			221	0.410		
			114/2	0.400		
			202/1	0.040		
			106/2	0.440		
			54	0.450		
			78	0.460		
			114/3	0.400		
			202/2	0.060		
			153	0.460		
			44	0.500		
			34	0.520		
			1/2	0.280		
			100/2	0.240		
			117	0.370		
			152	0.170		
			128/1	0.560		
			128/2	0.560		
			155	0.590		
			126	0.620		
			134/3	0.670		
			119	0.330		
			197	0.160		
			208	0.180		
			134/2	0.670		
			174/4	0.680		
			120	0.330		
			196	0.170		
			206	0.180		
			118	0.330		
			198	0.180		
			113/2	0.210		
			114/5	0.400		
			174/3	0.170		
			175	0.790		
			73/2	0.390		
			114/6	0.400		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			222	0.810		
			156	0.840		
			229	0.130		
			233	0.780		
			168	0.930		
			95/2	0.230		
			105/2	0.750		
			95/3	0.230		
			105/3	0.750		
			32	0.220		
			102	0.810		
			160	0.970		
			170	0.260		
			171	0.600		
			172	0.200		
			52	0.370		
			213	0.910		
			37	1.520		
			53/2	0.260		
			93	0.170		
			145/2	0.850		
			42	1.610		
			101	0.810		
			141	0.810		
			19	0.440		
			49	0.220		
			63/2	0.500		
			74/2	0.350		
			76/2	0.320		
			167	0.930		
			216	0.930		
			20	0.540		
			40	0.540		
			71	1.510		
			69	0.760		
			166	0.540		
			232	0.920		
			161	0.600		
			164	1.150		
			215	0.660		
			97	1.100		
			99	0.160		
			127	0.870		
			139	0.200		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			38	0.160		
			130	0.800		
			131	0.240		
			185	0.120		
			220	1.010		
			225	0.240		
			162	0.530		
			165	1.150		
			214	0.720		
			227	0.290		
				0.020		
			121	1.800		
			182	0.820		
			45/2	0.250		
			48/2	0.460		
			51/2	0.090		
			56/2	0.450		
			65	0.280		
			74/3	0.330		
			107/2	0.230		
			108/2	0.230		
			29	0.170		
			30	1.690		
			70	0.540		
			193	0.150		
			91	0.260		
			103	0.910		
			157	0.590		
			159	0.960		
			173	0.200		
			179	1.280		
			194	0.230		
			112	1.780		
			158	1.100		
			178	0.300		
			239	0.240		
			45/1	0.250		
			48/1	0.450		
			51/1	0.090		
			56/1	0.450		
			63/1	0.500		
			64	0.280		
			74/1	0.330		
			108/1	0.240		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			109/1	0.210		
			110/1	0.210		
			111/1	0.210		
			53/1	0.260		
			68	0.160		
			95/1	0.470		
			105/1	1.500		
			133	0.570		
			145/1	0.860		
			22	0.100		
			88	1.060		
			129	1.460		
			60	0.330		
			86/1	0.630		
			86/2	0.240		
			87	0.100		
			104	1.430		
			106/1	0.950		
			149	1.760		
			163	1.070		
			230	0.830		
			238	0.190		
			247	0.370		
			58	1.600		
			75	1.400		
			80	0.380		
			89	0.090		
			115/1	0.690		
			138	1.210		
			35	1.780		
			57	1.390		
			140	0.580		
			177	0.870		
			190	0.560		
			204	0.440		
			92	0.170		
			132	0.960		
			135	2.820		
			144	1.710		
			21	2.100		
			39	0.410		
			55	1.090		
			59	1.840		
			81	0.270		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			43	1.060		
			176	0.780		
			181	0.810		
			186	1.110		
			205	0.260		
			212	1.250		
			234	0.540		
			235	0.180		
			122	3.320		
			148	2.800		
			31	4.540		
			36	0.460		
			72	1.040		
			83	0.310		
			46	3.350		
			146	2.170		
			150	0.970		
			151	1.780		
			184	0.730		
			188	0.230		
			योग . .	112.560		
			शासकीय भूमि . .	37.400		
			कुल योग . .	149.960		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन (अ-82) 2016-2017-1264.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से खाने (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में ''सामाजिक समाधात रिपोर्ट'' से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा, इस आशय, की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	मनकी रै. प.ह.नं. . . .	194/1	0.420	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	डिण्डौरी मध्यम परियोजना.
			136/1	0.800		
			194/2	0.800		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			194/3	0.800		
			105	0.348		
			109	1.250		
			157	1.400		
			159	1.350		
			192	1.536		
			108	1.250		
			111	0.990		
			187	2.450		
			152	1.530		
			155	1.970		
			158	1.680		
			189	3.190		
			191	4.500		
			163	0.730		
			184/1/G	0.350		
			98/5	0.400		
			159	1.720		
			98/2	0.510		
			98/3	0.510		
			98/1	0.520		
			161	3.000		
			152/L	3.600		
			138	3.080		
			101/2	0.310		
			160	2.890		
			101/1	0.310		
			योग . .	44.194		
			शासकीय भूमि . .	5.867		
			कुल योग . . .	50.061		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन (अ-82) 2016-2017-1266.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से खाने (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में ''सामाजिक समाघात रिपोर्ट'' से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार

सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा, इस आशय, की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	जारासुरंग मा. प.ह.नं. . . .	211/1	0.240	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	डिण्डौरी मध्यम परियोजना शीर्ष कार्य.
			211/2	0.240		
			206	0.370		
			207	0.400		
			190	0.400		
			208	0.430		
			231/1	0.140		
			201	0.390		
			356	0.180		
			238	0.710		
			192	0.320		
			198	0.410		
			182/1	0.150		
			203/1	0.300		
			241	0.850		
			180	0.300		
			226/3	0.280		
			226/5	0.280		
			218	0.990		
			203/2	0.300		
			220	0.400		
			221	0.590		
			197	1.410		
			173	0.250		
			245	0.320		
			187	1.570		
			74/2	0.250		
			304/2	0.212		
			470/2	0.012		
			573/2	0.028		
			724/3	0.178		
			724/4	0.114		
			58	0.130		
			57/3	0.540		
			57/2	0.540		
			213	0.470		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			51	2.000		
			52	2.000		
			53	2.000		
			193	1.430		
			172	0.230		
			176	0.400		
			185	0.440		
			244	0.230		
			175	0.280		
			243	0.230		
			74/1	0.620		
			67	0.228		
			224	0.245		
			68	0.214		
			225	0.325		
			60	0.160		
			65			
			234	1.320		
			171	0.230		
			177	0.300		
			178			
			248	0.130		
			347	0.200		
			253	0.380		
			57/1	0.540		
			228	0.580		
			216/2, 227/2	0.530		
			212	1.100		
			223	0.760		
			229	0.320		
			202	2.690		
			184	1.190		
			247	1.190		
			170	1.240		
			191	0.530		
			204	5.220		
			254	0.890		
			183	0.950		
			217	1.610		
			236	1.160		
			237	1.260		
			249	0.790		
			66	–		
			181	0.710		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			195	1.260		
			219	1.200		
			210	4.680		
			348	0.400		
			239	2.950		
			242	0.470		
			56	3.280		
			216	1.060		
			216/1			
			227/1	0.530		
			335			
			योग . .	57.376		
			शासकीय भूमि . .	27.640		
			कुल योग . .	85.016		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन (अ-82) 2016-2017-1267.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से खाने (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में ''सामाजिक समाघात रिपोर्ट'' से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	बिठहदेह रैयत प.ह.नं.	164	0.040	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	डिण्डौरी मध्यम परियोजना शीर्ष कार्य.
			165	0.050		
			214	0.080		
			72/2	0.080		
			72/3	0.090		
			72/1	0.090		
			158	0.140		
			257/6	0.150		
			215	0.150		
			196	0.150		
			333/6	0.160		
			259	0.180		
			219/3	0.200		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			205	0.200		
			218/3	0.200		
			313/2	0.200		
			313/4	0.200		
			190	0.180		
			148/8	0.080		
			136	0.260		
			218/6	0.310		
			96/4	0.310		
			218/5	0.020		
			218/8	0.320		
			194	0.220		
			195	0.340		
			90	0.360		
			74	0.160		
			81/2	0.200		
			78	0.380		
			101/2	0.390		
			103/2	0.400		
			82/3	0.400		
			219/2	0.400		
			251/2	0.400		
			313/3	0.400		
			220	0.410		
			256/1	0.200		
			255	0.420		
			246	0.450		
			335	0.450		
			81/1	0.480		
			240/2	0.180		
			278/2	0.300		
			82/5	0.500		
			218/2	0.200		
			332/1	0.530		
			240/1	0.180		
			277	0.510		
			149/1	0.500		
			151/1	0.070		
			125	0.580		
			126	0.580		
			248/1	0.580		
			323/5	0.320		
			333/3	0.320		
			315	0.140		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			318	0.510		
			134/1	0.650		
			83	0.670		
			323/4	0.320		
			333/5	0.320		
			323/2	0.310		
			333/2	0.380		
			323/3	0.320		
			333/4	0.420		
			233	0.770		
			222	0.780		
			324	0.790		
			218/7	0.310		
			237	0.120		
			265	0.213		
			343/1	0.170		
			343/2	0.180		
			347/2	0.570		
			347/3	0.570		
			347/5	0.570		
			82/6	0.880		
			347/1	0.580		
			82/4	0.880		
			323/1	0.310		
			333/1	0.380		
			99	0.900		
			149/3	0.450		
			149/4	0.250		
			66	0.580		
			280	0.940		
			221	0.960		
			242	0.990		
			316	0.140		
			319	0.480		
			101/1	1.000		
			148/1	0.360		
			349	0.520		
			348	0.520		
			238	0.110		
			282	0.740		
			97	1.170		
			281	1.180		
			167/1	0.660		
			336/1	0.230		
			339/1	0.270		
			167/2	0.660		
			336/2	0.240		
			339/2	0.270		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			320	1.060		
			260	0.120		
			150	0.090		
			225/2	1.260		
			82/1	1.260		
			योग . .	45.173		
			शासकीय भूमि . .	16.397		
			कुल योग . .	61.570		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन (अ-82) 2016-2017-1268.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से खाने (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघाट रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	बाहरपुर रै.	312	0.570	कार्यपालन यंत्री,	डिण्डौरी मध्यम परियोजना.
		प.ह.नं. . .	310	0.700	जल संसाधन संभाग,	
			296	0.100	डिण्डौरी.	
			297	0.330		
			293	0.890		
			301/3	0.940		
			301/4	0.950		
			301/1	0.950		
			301/2	0.950		
			313	0.560		
			380/2	0.400		
			290	0.960		
			292	0.500		
			34	2.020		
			299	3.900		
			300	3.150		
			योग . .	17.870		
			शासकीय भूमि . .	34.720		
			कुल योग . .	52.590		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अमित तोमर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 12 अगस्त 2016

पत्र क्र. 2029-प्रका.-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) नगर/ग्राम—बघमड़ा
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.440 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकवा (हेक्ट. में)
(1)	(2)
200/1/1, 200/1/2	0.040
295/1/क/1 295/1/क/2 295/1/क/3 295/1/क/4 295/1/क/5 295/1/क/6 295/1/ख 295/1/ग 295/2	0.400
योग . .	0.440

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है —बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई नहर के अन्तर्गत बघमड़ा माइनर नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2031-प्रका.-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) नगर/ग्राम—बगदरी
(घ) क्षेत्रफल लगभग—1.88 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकवा (हेक्ट. में)
(1)	(2)
11	0.012
12	0.024
61	0.152
योग . .	0.188

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है —बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई नहर के अन्तर्गत बघमड़ा माइनर नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 9 सितम्बर 2016

पत्र क्र. 2234-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम—गभुआनी 125
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.022 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
49	0.022	-

(ब) शासकीय भूमि

	निरंक
महायोग . .	0.022

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "कटकी सब-माइनर नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2236-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—पटेहरा
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.270 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
585	0.180	-
199	0.090	-
	योग . .	0.270

(ब) शासकीय भूमि

	निरंक
महायोग . .	0.270

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "कटकी सब-माइनर नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2238-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—मुड़ियारी
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.010 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
438	0.010	-
	योग . . 0.010	

(ब) शासकीय भूमि

	निरंक
महायोग . .	0.010

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मुड़ियारी सब-माइनर नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. पी. राही, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 31 अगस्त 2016

क्र. 425-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन

के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम—रोयनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.179 हेक्टेयर.

खसरा सर्वे नम्बर	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
76/292/1	0.063
76/291	0.041
76/290/1	0.033
76/289/1	0.030
76/292/2	0.006
76/292/3/1	0.006
निजी खाता भूमि योग . .	0.179

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कोठी उदयसागर मनकहरी सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 426-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम—मनकहरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.031 हेक्टर.

खसरा सर्वे नम्बर	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
71/1/2क	0.031
निजी खाता भूमि योग . .	0.031

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कोठी उदयसागर मनकहरी सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 16 सितम्बर 2016

क्र. 5310-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि अनुसूची के कॉलम में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित भूमि अनुसूची के कॉलम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—पाली
(ग) ग्राम—छोट तुम्मी
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—3.473 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
680	0.337
424	0.113
477	0.101
480	0.084
677	0.414
679	0.618
678	0.283

(1)	(2)
475	0.350
589/1	0.453
589/2	0.460
744	0.060
730	0.064
736	0.024
739	0.064
742	0.048
कुल रकवा योग . .	3.473

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—छोट तुम्मी जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिषेक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 19 सितम्बर 2016

क्र. 5077-रीडर-भू-अर्जन-2016-कलेक्टर-रा. प्र. क्र. 13-ए-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—बड़वानी
(ग) ग्राम—पिपलाज
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.762 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
11/2	0.190
11/4, 11/5	0.305
12/3	0.052
13/2	0.085
14/2	0.080
14/3	0.197
14/4	0.380
16/1	0.175
16/2	0.130
16/6	0.040
17/1	0.110
17/2	0.138
17/3	0.090
20/1	0.100
20/2	0.320
20/5, 20/11	0.255
20/9	0.060
21/5	0.055
योग . .	2.762

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की तलुन वितरण शाखा एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक-11 बड़वानी के कार्यालय के कार्यालीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी, के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

(5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 5078-रीडर-भू-अर्जन-2016-कलेक्टर-रा. प्र. क्र. 14-ए-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—बड़वानी

(ग) ग्राम—लोनसरा खुर्द

(घ) क्षेत्रफल—6.016 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
(1)	(2)
9/1	0.040
11/1/1क	0.105
11/1/3, 11/2, 11/3	0.560
11/4, 13	0.140
11/5	0.040
11/8	0.165
11/9	0.032
14/1	0.250
43/2	0.075
44/1/1	0.308
14/2	0.105
21/3, 22/11	0.310
22/18	0.050
23/1	0.118
23/8	0.145
29, 30/2, 30/3, 30/4	0.335
30/6/2, 32/2	0.100
32/8	0.022
43/6	0.045
55/1	0.150
30/6/3, 32/2, 90/9	0.150
30/6/4	0.120
32/10	0.365
30/7, 31/4	0.052
32/9	0.062
32/11, 90/14	0.200
39/2	0.092
40/1	0.130
40/4	0.060
40/5	0.235
40/6	0.068
40/8	0.015
40/9	0.060
43/1	0.035
43/7	0.010
44/3	0.090
55/4	0.120
56/1	0.160
56/2, 57/2	0.260
56/4	0.160
57/1क	0.110
57/1ख	0.100
57/1 ग	0.105
57/1घ	0.097
93/1	0.065
योग . .	6.016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन —इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की लोनसरा खुर्द माइनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक-11 बड़वानी के कार्यालय के कार्यालीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी, के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

(5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 5079-रीडर-भू-अर्जन-2016-कलेक्टर-रा. प्र. क्र. 19-ए-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—बड़वानी

(ग) ग्राम—बजट्टा खुर्द

(घ) क्षेत्रफल—2.950 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
(1)	(2)
14/2/2क, 17/2/2क	0.040
15/2, 15/3, 16/1	0.015
16/3	0.020
15/4, 16/5	0.100
17/7	0.198
19/4	0.032
20/2, 20/3, 39/1	0.250
20/13, 39/2	0.200
21/2, 22/2, 23/2, 28	0.835
30	0.270
31/1, 31/2	0.250
33/3	0.070
40/1	0.170
40/2	0.040
40/3	0.220
40/4	0.200
41	0.040
योग . .	2.950

(2) सार्वजनिक प्रयोजन:—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की तलुन वितरण शाखा एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक-11 बड़वानी के कार्यालय के कार्यालीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी, के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 5080-रीडर-भू-अर्जन-2016-कलेक्टर-रा. प्र. क्र. 16-ए-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—बड़वानी

(ग) ग्राम—तलुन खुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.522 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
(1)	(2)
6/6, 18/4	0.092
10	0.305
16/2	0.165
17/1/क	0.310
17/1/ख	0.165
18/1/1क, 18/1/1ख	0.185
18/1/2	0.050
33/6, 36/2	0.180
80/2	0.070
योग . .	1.522

(2) सार्वजनिक प्रयोजन:—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की तलुन वितरण शाखा एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक-11 बड़वानी के कार्यालय के कार्यालीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी, के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 5081-रीडर-भू-अर्जन-2016-कलेक्टर-रा. प्र. क्र. 15-ए-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता

है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—बड़वानी
(ग) ग्राम—लोनसरा बुजुर्ग
(घ) क्षेत्रफल—11.097 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
5, 7, 8, 55/2, 55/3	0.100
11/1, 16/1	0.250
11/2, 12/1	0.340
11/3	0.320
11/4	0.530
11/5	0.270
11/6	0.300
11/7, 16/4	0.110
11/8	0.160
12/2, 13, 14/2, 14/3, 16/2	0.150
15/1	0.206
15/2, 16/3	0.080
15/3, 17, 18	0.460
20/1, 20/2, 23	0.140
21, 36/2	0.150
55/1/2, 55/1/3	0.450
56/1, 57/1	0.760
58/1, 59/2, 60/5	0.300
59/1	0.260
59/3, 60/6, 75/3, 76	0.835
59/5	0.030
59/6	0.250
68/7	0.160
71/1	0.020
71/3	0.120
72/3	0.090
72/12	0.060
127/1	0.040
127/4	0.020
152/1, 153/2	0.041
152/3	0.160
152/4	0.440
152/5	0.160
152/6	0.150
155/2, 156/3, 166/3	0.170
158/1	0.110
158/5	0.100
158/7	0.140
163/1	0.450
165/1	1.070
165/2	0.140
165/3	0.005
165/4	0.040
165/5	0.050
165/6	0.030
177/2, 178	0.200
177/3, 180/2	0.480
180/1, 181/6	0.200
योग . .	11.097

(2) सार्वजनिक प्रयोजन:—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की तलुन वितरण शाखा एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक-11 बड़वानी के कार्यालय के कार्यालीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी, के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 5082-रीडर-भू-अर्जन-2016-कलेक्टर-रा. प्र. क्र. 12-ए-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची

के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—बड़वानी
(ग) ग्राम—बजट्टा बुजुर्ग
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.677 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
38, 57/2	0.210
49/3, 50/1	0.250
49/4 क, 51/1	0.075
49/4 ख, 51/2	0.142
योग . .	0.677

(2) सार्वजनिक प्रयोजन:—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की तलुन माइनर की उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक-11 बड़वानी के कार्यालय के कार्यालीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी, के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 5083-रीडर-भू-अर्जन-2016-कलेक्टर-रा. प्र. क्र. 18-ए-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—बड़वानी
(ग) ग्राम—रेहगुन
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.834 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
139/2 पैकि	0.050
139/1/2, 140/1 पैकि	0.082
140/2/1 पैकि	0.075
140/2/2 पैकि	0.090
145/1/2 पैकि	0.152
145/2/2 पैकि	0.075
145/4 पैकि	0.310
योग . .	0.834

(2) सार्वजनिक प्रयोजन:—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की लोनसरा खुर्द माइनर-1 एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक-11 बड़वानी के कार्यालय के कार्यालीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी, के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

(5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 20 सितम्बर 2016

क्र.-भू-अर्जन-24(अ-82)2015-16-1258.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस लघु सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—शहपुरा

(ग) ग्राम—सारसडोली प.ह.नं. 22 रा.नि.म. कोहानी देवरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—33.710 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
452	0.61
453	0.41
454/1	0.36
454/2	0.36
455	0.37
456	0.36
457	0.64
458	0.66
464	2.59
465	0.10
393	0.40
394	0.25
396	1.25
395/1	0.15
395/2	0.15
459	0.67
461/3	0.06
461/1	0.06
532	0.23
450	0.36
442	0.19
443/1	1.46
461/2	0.08
443/2	1.47
(1)	(2)
443/3	0.73
444	0.54
445	1.24
534	0.33
446/1	0.09
448/1	0.53
446/2	0.09
448/2	0.53
446/3	0.09
448/3	0.52
449	1.63
517	0.20
518	0.40
520	0.59
523	0.21
525	0.57
528	1.24
526	0.23
527	1.20
490	0.58
योग . .	24.78
शासकीय भूमि	
451	0.64
462	0.03
441	0.40
447	0.08
519	0.07
521	0.20
522	3.05
524	0.20
516	3.80
531	0.35
533	0.11
योग . .	8.93
सकल योग . .	33.710

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-25(अ-82)2015-16-1259.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद

(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस लघु सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.

अत: भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—शहपुरा

(ग) ग्राम—कौंडिया प.ह.नं. 22 रा.नि.म. कोहानी देवरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—22.440 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
202	0.67
203/1	0.28
206/1	0.32
206/5	0.63
213	0.29
203/2	0.29
206/4	0.65
204/1	0.42
207/1	0.73
198/1	0.25
204/2	0.43
207/3	0.73
212/3	0.21
198/2	0.26
204/3	0.43
207/4	0.72
212/1	0.23
198/3	0.25
204/4	0.43
207/2	0.73
212/2	0.21
198/4	0.26
206/2	0.23
205	0.45
208	0.85
200	1.10
206/3	1.95
210	0.69
211	0.72
194/1	0.24
191	0.27
192	0.64
87/1	0.16
199	0.20
योग . .	16.92

शासकीय भूमि

201	3.70
209	0.65
193	1.17
योग . .	5.52
सकल योग . .	22.44

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित तोमर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2016

प्र. क्र. 6132-10-भू-अर्जन-प्र. क्र.-एफ-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अनूपपुर

(ख) तहसील—अनूपपुर

(ग) ग्राम—देवरी (मुख्य नहर)

(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—5.930 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल रकवा	अजर्नीय रकवा
(1)	(2)	(3)
192/1/क/1	0.304	0170
195/1/क	0.258	0.039
195/1/ख	0.128	0.039
195/1/ग	0.128	0.039
195/2/क	0.255	0.039
195/2/ख	0.259	0.039
195/3	0.514	0.039
206/1	0.036	0.126
206/2	0.568	0.030
207	1.214	0.060
208	2.023	0.210
209	1.619	0.190
211/2/1	1.258	0.145
211/2/2	1.258	0.105
211/2/3	1.258	0.105
211/2/4	1.254	0.105
214/1	0.279	0.105
214/2	1.093	0.105
277	0.324	0.020
280/1/क	0.328	0.046
280/1/ख	0.128	0.046
280/1/ग	0.128	0.046
280/2/क	0.255	0.046
280/2/ख	0.259	0.046
280/3	0.514	0.046
289/1	3.415	0.115
294/1	0.551	0.160
316	0.348	0.025
317	0.551	0.180
319	0.388	0.235
320	0.401	0.195
321/1	0.495	0.020
331/1/1	0.640	0.060
333/1	1.945	0.122
333/3	0.486	0.122
334	0.425	0.040
335/1/1/क	0.336	0.120
375/1/क	0.208	0.040
377	0.214	0.080
378	0.206	0.055
380/2	0.190	0.080
381	0.352	0.080
383	1.955	0.300
387	0.656	0.150
388	0.393	0.075
389/1/1/1	0.016	0.048
389/1/1/2	0.016	0.048
389/1/2	0.206	0.048
389/1/3	0.207	0.048
389/2	0.170	0.048
392/1	1.254	0.470
523/1/ख	0.169	0.020
524	0.898	0.175
525/2/1/3	0.630	0.100
529/1	0.630	0.093
529/2	0.316	0.093
529/3	0.304	0.093
530/3	0.107	0.088
530/6	0.067	0.088
573/1/क/1	0.288	0.130
573/1/ग/4	0.220	0.100
कुल रकवा निजी भूमि. .	35.295	5.930

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—गोहरारी डायवर्सन योजना के नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनूपपुर के कार्यालय में नि:शुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 6132-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र.-एफ-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अनूपपुर

(ख) तहसील—अनूपपुर

(ग) ग्राम—अमलाई (मुख्य नहर)
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—3.852 हे.

खसरा नम्बर (1)	कुल रकवा (2)	अजर्नीय रकवा (3)
459	2.016	0.118
465/1	1.926	0.344
466/1ग	0.405	0.104
467/4	0.316	0.136
470	1.870	0.065
468/1	0.430	0.112
468/2	0.430	0.112
443/1	0.194	0.144
443/6	0.214	0.052
498/1	0.201	0.140
497/1	0.892	0.085
503/1	0.360	0.028
508	0.579	0.048
502/1/ख/3	0.154	0.028
504	2.314	0.308
509/1/ख	0.109	0.023
509/3/ख	0.163	0.038
509/5	0.163	0.038
510	0.101	0.020
524	0.951	0.081
523	0.146	0.036
522/1/क	0.850	0.065
520/2	0.191	0.081
520/1	0.376	0.081
519	0.397	0.180
532/1/क	0.284	0.128
534/2	0.405	0.032
536/1	0.782	0.048
537	0.308	0.064
538	0.417	0.064
539/1/ग/3	0.405	0.081
553/2/क	0.405	0.081
553/2/ख	0.304	0.036
551/1/क	1.247	0.202
550/1	0.888	0.161
870/1/ग	0.809	0.020
870/1/ख	0.521	0.024
870/1/ग/1/च	0.565	0.036
873	0.227	0.061
872/2/ग	0.072	0.008
876/2	0.162	0.020
877/1/क	0.174	0.061
878	1.133	0.181
879/2/क	0.099	0.016
887/1/क	0.541	0.061
कुल रकवा निजी भूमि. .	25.496	3.852

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—अनूपपुर
(ग) ग्राम—अमलाई (माइनर नं. 1)
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—0.989 हे.

खसरा नम्बर (1)	कुल रकवा (2)	अजर्नीय रकवा (3)
509/1/ग	0.109	0.044
508	0.405	0.050
911/1/क/2	1.212	0.056
909/1/क/1/ख	1.234	0.053
909/1/क/2	0.162	0.044
909/1/ख	0.231	0.053
909/2/ख	0.231	0.020
909/3	1.278	0.053
902/1/क/2/2	0.540	0.081
909/2	0.372	0.081
901/3/ख	0.208	0.081
899/1	0.563	0.161
964/1	2.530	0.128
964/2	2.530	0.064
898/1/क/2	0.405	0.020
कुल रकवा निजी भूमि. .	12.010	0.989

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—अनूपपुर

(ग) ग्राम—अमलाई (सब माइनर)

(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—0.590 हे.

खसरा नम्बर	कुल रकवा	अजर्नीय रकवा
(1)	(2)	(3)
909/1/क/2	0.162	0.076
948/1	0.052	0.018
948/2	0.053	0.018
946	0.731	0.036
947	0.959	0.104
945/1/क/2	0.303	0.104
955/1/क	1.444	0.062
955/1/ख	0.722	0.062
957/3/ख	0.510	0.110
कुल रकवा निजी भूमि. .	4.936	0.590
महायोग. .	42.442	5.431

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—गोहरारी डायवर्सन योजना के नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनूपपुर के कार्यालय में नि:शुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 6131-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र.-एफ-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अनूपपुर

(ख) तहसील—अनूपपुर

(ग) ग्राम—कदमटोला (मुख्य नहर)

(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—2.587 हे.

खसरा नम्बर	कुल रकवा	अजर्नीय रकवा
(1)	(2)	(3)
128	0.129	0.048
147/1	1.658	0.320
150/2/क	0.457	0.120
150/1	0.162	0.041
175/1	0.498	0.112
154/1	0.443	0.120
167/1/क	0.940	0.032
165/1	0.813	0.072
381	0.737	0.192
390/1	0.355	0.060
390/2	0.354	0.060
382/1	0.234	0.032
382/2	0.160	0.112
388	2.213	0.179
455/1/क	0.677	0.120
359/2/क	0.567	0.041
359/2/ख	0.567	0.041
358	0.259	0.032
457/1/क	0.133	0.083
352	0.701	0.112
353	0.781	0.096
319	0.445	0.064
320	0.348	0.058
317	0.316	0.064
366	0.073	0.032
252/1/क	0.333	0.640
252/1/ख	0.333	0.020
252/1/ग	0.333	0.020
257/1/क	0.459	0.061
257/1/ख	0.458	0.061
257/2	0.457	0.061
कुल रकवा निजी भूमि. .	16.393	2.587

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अनूपपुर

(ख) तहसील—अनूपपुर

(ग) ग्राम—कदमटोला (माइनर नं. 1)

(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—0.492 हे.

खसरा नम्बर	कुल रकवा	अजर्नीय रकवा
(1)	(2)	(3)
422/1/क	0.521	0.056
422/2	0.263	0.056
423	0.170	0.040

(1)	(2)	(3)
429	0.384	0.056
430/1	2.433	0.120
431/1	0.097	0.018
431/2	0.093	0.018
432/1	0.073	0.020
433/1	0.162	0.020
630/1/क	0.075	0.029
630/1/ख	0.553	0.029
630/2	0.311	0.030
कुल रकवा निजी भूमि. .	5.135	0.492

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—अनूपपुर
(ग) ग्राम—कदमटोला (माइनर नं. 2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—0.883 हे.

खसरा नम्बर	कुल रकवा	अजर्नीय रकवा
(1)	(2)	(3)
471	0.704	0.136
461/1	0.283	0.088
461/2	0.251	0.088
464/2	0.131	0.044
465/1	0.109	0.028
465/2	0.101	0.028
486/1	0.394	0.037
486/2/क	0.101	0.037
486/2/ख	0.048	0.037
493	0.267	0.036
494/1	0.854	0.028
494/2/क	0.202	0.027
494/2/ख	0.202	0.027
494/2/ग	0.202	0.027
494/2/घ	0.202	0.027
541/3	0.502	0.048
541/4	0.057	0.020
542	1.611	0.072
557/1	0.219	0.024
557/2	0.267	0.024
कुल रकवा निजी भूमि. .	6.707	0.883
महायोग. .	28.235	3.962

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—गोहरारी डायवर्सन योजना के नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनूपपुर के कार्यालय में नि:शुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 6131-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र.-एफ-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—अनूपपुर
(ग) ग्राम—पयारी (माइनर नं. 2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—0.200 हे.

खसरा नम्बर	कुल रकवा	अजर्नीय रकवा
(1)	(2)	(3)
867	0.304	0.028
865/1	0.600	0.076
861	0.352	0.056
871	1.153	0.040
कुल रकवा निजी भूमि. .	2.409	0.200

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—गोहरारी डायवर्सन योजना के नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनूपपुर के कार्यालय में नि:शुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 6132-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र.-एफ-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—अनूपपुर
(ग) ग्राम—चिल्हारी (डबू क्षेत्र एवं शीर्ष कार्य)
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—9.622 हे.

खसरा नम्बर (1)	कुल रकवा (2)	अजर्नीय रकवा (3)
259/2/3	0.220	0.220
259/2/2	0.219	0.219
259/2/3	0.219	0.219
259/2/4	0.219	0.219
259/2/5	0.219	0.219
259/2/6	0.219	0.219
259/3	0.494	0.294
259/8	0.607	0.307
259/9	0.607	0.607
260/1/ख	2.217	0.459
260/1/घ	0.809	0.409
260/1/ड	1.809	0.409
260/1/च	0.809	0.405
260/1/छ	0.405	0.314
358/1/क	2.457	0.457
358/1/ख	1.500	0.500
358/2	0.806	0.306
359/1/ख	1.214	0.514
359/1/ग	1.940	0.884
359/1/ग/2	1.940	0.884
359/2	0.809	0.809
359/3	0.405	0.405
359/4	0.142	0.142
359/5	0.202	0.202
कुल रकवा निजी भूमि. .	20.487	9.622

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बकान डायवर्सन योजना निर्माण के शीर्ष कार्य एवं डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनूपपुर के कार्यालय में नि:शुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 6132-10-भू-अर्जन-प्र. क्र.-एफ-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—अनूपपुर
(ग) ग्राम—मौहरी (मुख्य नहर)
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—8.259 हे.

खसरा नम्बर (1)	कुल रकवा (2)	अजर्नीय रकवा (3)
58/3	0.478	0.468
57/2	0.298	0.160
54/339	0.398	0.225
55	0.668	0.108
41	0.607	0.086
42	0.101	0.014
40/1	0.227	0.042
34/1	1.269	0.226
34/2	0.700	0.125
34/3	0.700	0.101
35	0.891	0.092
36	0.951	0.074
37/1	1.331	0.240
37/2	0.886	0.096
16/2	1.213	0.534
11/1	0.875	0.264
10/2	3.776	0.780
105	4.355	0.660
106	0.437	0.036
126/1	5.957	1.260
129/2	1.821	0.648
130/2	0.101	0.036
138/2	1.651	0.426
138/3	1.647	0.426
137/2/क	0.032	0.036
145/2/ख	1.075	0.420
146/2/क	0.089	0.048

(1)	(2)	(3)
145/1	1.414	0.120
163/1/क/2	0.405	0.064
152/1	0.611	0.090
152/2	0.206	0.090
154/1	0.878	0.264
कुल रकवा निजी भूमि. .	36.048	8.259

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—अनूपपुर
(ग) ग्राम—मौहरी (मुख्य नहर)
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—0.699 हे.

खसरा नम्बर (1)	कुल रकवा (2)	अजर्नीय रकवा (3)
10/2	3.776	0.090
105	4.355	0.150
106	0.437	0.015
107/1	1.109	0.069
107/2	1.109	0.072
108/2	0.081	0.015
107/3	1.109	0.069
109/1	0.702	0.114
111/1	0.148	0.105
कुल रकवा निजी भूमि. .	12.826	0.699
महायोग. .	48.874	8.958

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बकान डायवर्सन योजना के नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनूपपुर के कार्यालय में नि:शुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 6132-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र.-एफ-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—अनूपपुर
(ग) ग्राम—परसवार (मुख्य नहर)
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—6.248 हे.

खसरा नम्बर (1)	कुल रकवा (2)	अजर्नीय रकवा (3)
642	1.886	0.072
641/1	2.227	0.280
641/3	0.849	0.104
641/2	1.011	0.120
651	0.101	0.016
653/1	1.554	0.160
654	0.146	0.016
656	1.076	0.160
657	1.078	0.320
691/2	0.812	0.048
666	1.157	0.102
667	1.534	0.152
668	0.105	0.016
669/3	1.775	0.310
669/1	1.807	0.140
670/3	0.056	0.020
671/3	0.122	0.032
511/1/क	0.861	0.100
511/1/ख	1.104	0.200
511/1/ग	0.809	0.140
510/2	0.032	0.016
509/1	0.640	0.216
503/1	0.040	0.016
502/2	0.061	0.040
383	1.327	0.264
385	0.579	0.080
386	0.628	0.020
387	0.668	0.140

(1)	(2)	(3)
388	2.351	0.320
354/1	1.504	0.348
347/2/2	0.809	0.080
347/2/1/ख	0.223	0.120
347/2/1/क	0.909	0.040
349/1	0.602	0.024
150/2	1.519	0.110
150/1	1.222	0.104
150/3	0.833	0.118
150/8	1.096	0.142
150/5	1.638	0.154
152/6	1.744	0.164
152/5	0.854	0.276
152/4	0.882	0.072
153/1	0.093	0.016
154/1	1.126	0.216
155/1	0.105	0.016
166	1.935	0.220
165/5	0.178	0.080
165/4ख	0.089	0.070
165/2	0.178	0.038
165/3	0.178	0.038
165/1	0.352	0.038
174	0.360	0.144
कुल रकवा निजी भूमि. .	44.825	6.248

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—अनूपपुर
(ग) ग्राम—परसवार (माइनर नं. 1)
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—2.406 हे.

खसरा नम्बर	कुल रकवा	अजर्नीय रकवा
(1)	(2)	(3)
556/2/क	0.405	0.066
556/1/क/1/क	1.939	0.216
555/2/ख	0.202	0.053
555/2/क	0.607	0.054
555/2/घ	0.405	0.053
555/1	1.398	0.165
554/1	0.400	0.015
554/2	0.283	0.042
553/1/घ	0.749	0.075
553/5/ख	0.129	0.075
553/1/च	0.324	0.081
553/1/क	1.315	0.105
546/2	1.234	0.135
546/1	0.842	0.069
545/2	0.922	0.162
545/1	1.910	0.090
544/1/ख	1.572	0.045
544/2/क/2	1.052	0.045
544/2/ख	1.040	0.156
543/1/क	0.886	0.072
548/3/2/क	0.405	0.101
548/2	0.963	0.045
485/2/ख	1.234	0.075
485/2/क/1	0.809	0.033
485/2/क/2	0.810	0.033
485/2/च	1.658	0.048
485/2/छ/2	1.315	0.053
485/2/ङ/1	0.829	0.051
485/1/ख	1.740	0.045
485/1/क/1	4.124	0.090
485/1/क/2	4.050	0.060
कुल रकवा निजी भूमि. .	35.551	2.406

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—अनूपपुर
(ग) ग्राम—परसवार (माइनर नं. 2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—2.396 हे.

खसरा नम्बर	कुल रकवा	अजर्नीय रकवा
(1)	(2)	(3)
383	1.327	0.015
384/2	1.348	0.192

(1)	(2)	(3)
393/1/क	0.395	0.042
393/1/ख	0.395	0.026
393/1/ग	0.395	0.042
393/1/ख	0.395	0.026
394/1	0.581	0.120
394/6	0.510	0.018
399/2	0.425	0.035
391/1/ख	0.607	0.056
405	0.291	0.048
404	0.129	0.006
403/1/क	0.096	0.021
403/1/ख	0.134	0.021
403/2	0.065	0.018
402/2	0.105	0.075
457/2	0.227	0.120
458/1	0.085	0.054
460/1/ख	0.652	0.069
472/2	0.671	0.096
472/1	0.672	0.113
450/1/क/1	1.336	0.275
450/2	0.219	0.080
439/1	0.593	0.075
439/1क	0.314	0.041
439/1ख	0.663	0.078
436	1.651	0.240
435	0.624	0.022
437/2/क	1.303	0.282
420/3	1.173	0.090
कुल रकवा निजी भूमि. .	17.381	2.393

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—अनूपपुर
(ग) ग्राम—परसवार (माइनर नं. 3)
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—1.725 हे.

खसरा नम्बर	कुल रकवा	अजर्नीय रकवा
(1)	(2)	(3)
383	1.327	0.102
379/1	1.080	0.096
379/2	1.081	0.096
377/2/क	1.051	0.113
377/3	0.501	0.114
370/1/ख/4	0.041	0.018
370/1/ख/5	0.041	0.018
370/1/ख/6	0.041	0.018
370/1/ख/7	0.040	0.018
370/1/ख/8	0.040	0.018
370/1/ख/9	0.041	0.018
370/1/क/2	0.239	0.105
366/1	0.485	0.096
366/2/क	0.159	0.062
365	1.254	0.090
361	0.101	0.030
360	1.161	0.099
355/1	0.371	0.065
355/2	0.153	0.065
355/3	0.370	0.030
354/2/ख/2	0.359	0.057
354/2/ख/3	0.359	0.057
354/2/ख/4	0.360	0.057
354/2/ख/1	1.079	0.150
316/1/क	0.809	0.075
316/1/ख	1.619	0.060
कुल रकवा निजी भूमि. .	14.162	1.725
महायोग. .	111.919	12.772

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बकान डायवर्सन योजना के नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनूपपुर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 26 अगस्त 2016

क्र. 403-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामनगर
(ग) नगर/ग्राम—धनवाही
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.098 हे.

खसरा सर्वे नम्बर	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
339	0.049
340	0.049
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	0.098

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—अधियारी सागर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 30 अगस्त 2016

क्र. क-भू.अ.अ.वि.अ.-14-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन एवं भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013, की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(अशासकीय भूमि का अर्जन)

(क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—दमोह
(ग) ग्राम—अभाना
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.1 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
516	0.05
541/1	0.015
541/2	0.015
542/1, 542/2	0.01
543	0.01
योग . .	0.1

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बस ले बाय का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दमोह एवं संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड जबलपुर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 6 सितम्बर 2016

क्र. 7805-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा,

यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-भुतेरा, प.ह.नं. 31/42, ब.नं. 435, रा.नि.मंडल-छिन्दवाड़ा-1
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.729 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)	
422/1	0.729	
योग . .	0.729	हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http:/www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील-छिन्दवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक-1, सिंगना तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 8 सितम्बर 2016

क्र. 549-भू-अर्जन-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची (1)

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—गोगांवा
(ग) ग्राम—निमवाड़ी (वन परिक्षेत्र खरगोन)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.597 हेक्टेयर.
(दिनांक 13-12-2005 को अतिक्रमित वन भूमि जो वन अधिकार मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है).

कक्ष क्रमांक	वनाधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त वन भूमि का रकबा (हे. में)
(1)	(2)
657 पैकी	0.115
657 पैकी	0.482
योग. .	0.597

अनुसूची (2)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—अपरवेदा परियोजना की मुख्य नहर एवं उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्य हेतु.

(3) नहर निर्माण कार्य पूर्व से प्रचलित है, अधिकांश भूमियों का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. आंशिक भूमि का ही अर्जन किया जाना है. इस कारण पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन पुनर्वास अधिकारी, अपरवेदा परियोजना, भीकनगांव मुख्यालय खरगोन, वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19 भीकनगांव के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार वर्मा, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 12 सितम्बर 2016

प्र. क्र. 10991-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—धार
(ग) ग्राम—एकलदुना (दिग्ठान)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.527 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
557/2/1/1	0.220
557/2/1/2	0.180
557/2/2/1	0.177
557/2/2/2	0.177
557/2/2/3	0.177
576	0.732
572	0.042
575	0.082
573/1	0.152
573/2	0.120
571	0.800
570	0.105
569/2ब	0.105
569/1	0.105
549/2	0.080
634/578	0.523
432	0.590
433	0.160
योग . .	4.527

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—"इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेल्वे लाईन कार्य हेतु."

(3) भूमि का नक्शा (प्लान), का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा कार्यपालक इंजिनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे धार-इन्दौर के कार्यालय में कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 16 सितम्बर 2016

पत्र क्र. 1465-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की सारणी के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—मझौली
(ग) नगर/ग्राम—रूपईडोल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—16.290 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

(1)	(2)
6	0.530
7	0.500
8	0.470
13	0.040
14	0.300
20	0.220
22	0.350
10	0.600
63	0.016
64	0.011
11	0.230
12	0.770
15	0.620
61	0.054
18	0.420
19	1.220
77/1	0.032
21	0.600
30	0.495
31	0.020
36	0.150
37	0.510
38	0.210
39	0.020
41	0.259
46	0.280
47	0.150
48	0.230
49	0.840
50	0.060
40	0.020
44	0.387
45	0.240
51	0.539
54/1	0.251
57	0.037
58	0.130
53	0.089
71/1	0.140
75/5	0.030
54/2	0.050
68	0.015
71/2	0.250
75/2	0.060
56	0.230
60	0.022
181	0.358
67	0.077
75/1	0.020
106	0.170
76/1	0.330
77/3	0.020
76/2	0.160
77/2	0.076
78	0.043
55	0.062
180	0.879
185	0.127
269	0.299
186	0.024
275	0.085
266	0.109
205	0.012
280	0.011
282	0.011
283	0.017
268	0.032
272	0.149
270	0.371
271	0.100
42	0.051
योग. .	16.290

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—महान बांध के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय मझौली में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 1467-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की सारणी के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनवार्सन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—मझौली

(ग) नगर/ग्राम—करमाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.627 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
678	0.069
680	0.113
681	0.180
682	0.010
683	0.076
690	0.202
692	0.035
688	0.199
740/1	0.050
745/1	0.040
744/1	0.020
742/1	0.040
750/1	0.010
733/1	0.010
734/1	0.090
735/1	0.060
737/1	0.120
736/1	0.030
729/1	0.050
712/1	0.080
700/1	0.010
748	0.036
751	0.008
711	0.034
701/1	0.100
708/1	0.190
745/2	0.030
744/2	0.020
742/2	0.030
750/2	0.010
740/2	0.050
733/2	0.010
734/2	0.080
735/2	0.070
737/2	0.120
736/2	0.020
729/2	0.060
712/2	0.080
700/2	0.010
701/2	0.100
(1)	(2)
708/2	0.180
745/3	0.010
744/4	0.020
742/4	0.010
750/4	0.010
740/4	0.050
733/4	0.010
734/4	0.070
735/4	0.030
737/4	0.040
736/4	0.010
712/4	0.080
700/4	0.010
701/4	0.040
708/4	0.060
745/4	0.020
744/5	0.020
742/5	0.010
750/5	0.010
740/5	0.050
733/5	0.010
734/5	0.070
735/5	0.020
737/5	0.040
736/5	0.010
729/3	0.010
712/5	0.080
700/5	0.010
701/5	0.040
708/5	0.060
745/5	0.300
744/6	0.020
742/6	0.010
750/6	0.010
740/6	0.050
733/6	0.010
734/6	0.080
735/6	0.020
737/6	0.040
736/6	0.010
712/6	0.080
700/6	0.010
701/6	0.030
708/6	0.060
745/6	0.010

(1)	(2)
742/7	0.020
747/7	0.010
750/7	0.010
740/7	0.080
733/7	0.010
734/7	0.080
735/7	0.020
737/7	0.040
736/7	0.010
712/7	0.080
700/7	0.010
701/7	0.030
708/7	0.060
745/7	0.010
744/8	0.020
742/8	0.010
750/8	0.010
740/8	0.050
733/8	0.010
734/8	0.080
735/8	0.020
737/8	0.040
736/8	0.010
712/8	0.060
700/8	0.070
701/8	0.030
708/8	0.070
745/8	0.170
744/9	0.020
737/9	0.050
736/9	0.050
744/3	0.020
742/3	0.010
750/3	0.010
740/3	0.040
733/3	0.010
734/3	0.070
735/3	0.030
737/3	0.050
736/3	0.010
712/3	0.060
700/3	0.010
701/3	0.040
708/3	0.060
672	0.327
754	0.087
753	0.026
755	0.013
757	0.140
758	0.033
728	0.466
727	0.300
726	0.120
730	0.100
725	0.080
723	0.030
724	0.060
731	0.200
702	0.247
707	0.846
703	0.425
702	0.085
योग. .	9.627

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—महान बांध के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय मझौली में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 1469-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की सारणी के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनवार्सन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—मझौली

(ग) नगर/ग्राम—चुनगुना

(घ) लगभग क्षेत्रफल—33.469 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
48	0.178
49	0.039
47	1.685

(1)	(2)
54	0.600
96	0.400
126	0.305
46	1.705
55	0.750
61	0.724
51	0.100
127	0.200
68	0.136
67	0.032
60	0.344
261	0.188
59	0.140
573	0.100
572	0.012
260	0.172
603	0.130
713	0.230
712	0.370
58	0.170
77	0.960
76	0.009
57	0.470
84	0.160
85	0.114
86	0.098
91	0.140
56	0.080
97	0.540
95	0.400
94	0.610
302	0.147
304	0.080
301	0.530
299	0.020
298	0.183
297	0.064
293	0.138
292	0.084
290	0.052
301	0.060
296	0.110
279/1021	0.310
294	0.660
275	0.076

(1)	(2)
655	0.028
295	0.363
276	0.036
272	0.317
596	0.248
696	0.030
690	0.031
710	0.130
271	0.186
270	0.009
118	1.040
117	0.986
128/1023	0.005
116	0.304
120	0.749
128	0.600
133	0.200
571	0.261
570	0.160
566	0.031
669	0.180
569	0.080
668	0.052
702	0.280
567	0.072
564	0.001
694	0.112
667	0.094
695	0.064
560	0.060
558	0.060
658	0.161
659	0.157
660	0.160
661	0.118
662	0.126
575	0.164
556	0.108
557	1.070
561	0.012
553	0.090
597	0.084
600	0.202
606	0.290
604	0.162
607	0.050

(1)	(2)
608	0.172
609	0.193
610	0.488
613	0.137
722	0.390
720	0.020
700	0.630
706	0.490
707	0.066
745	0.350
657	0.047
656	0.738
664	0.042
611	0.416
612	0.699
665	1.590
689	0.021
699	0.592
701	0.791
704	0.630
736	0.048
739	0.096
753	0.008
741	0.080
772	0.130
724	0.013
725	0.024
592	0.040
योग. .	33.469

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—महान बांध के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय मझौली में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 1471-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (1) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 19 के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—मझौली

(ग) नगर/ग्राम—गजरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.545 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
468	0.420
465	0.040
446	0.240
448	0.182
451	0.171
452	0.861
453	0.180
450/2	0.020
454/1	0.020
449/1	0.050
479	0.480
477/1	0.020
4772	–
478	0.014
471	0.600
761	0.570
460	0.140
472	1.480
597	0.057
योग. .	5.545

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—महान बांध के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय मझौली में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 1473-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (1) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 19 के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—मझौली

(ग) नगर/ग्राम—कोटरो

(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.826 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
432	0.067
433	0.006
444	0.025
442	0.254
462	0.732
439	0.170
436	0.810
437	0.027
440	0.810
441	0.323
745	0.737
749	0.128
750	0.103
443	0.180
207	0.310
252	0.600
12	1.620
298	0.020
171	0.044
269	0.130
524/2	0.080
485/2	0.040
539/2	1.310
540/2	0.350
545	0.040
548	0.170
528	0.420
539/1	2.810
525	0.510
484/1	1.000
योग. .	13.826

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—महान बांध के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय मझौली में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 1475-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (1) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 19 के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—मझौली

(ग) नगर/ग्राम—तिलवारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.639 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
375	0.021
372	0.036
382	0.129
383	0.087
479	0.034
384	0.129
393	0.028
395 मिन-4	0.155
460	0.050
473	0.154
476	0.217
478	0.040
484	0.068
509	0.010
510	0.197
511	0.206
573	0.061
515/1	0.017
योग. .	1.639

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—महान बांध के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय मझौली में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 1477-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (1) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 19 के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—मझौली

(ग) नगर/ग्राम—सेंधवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—40.143 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
37	0.370
74	0.070
92	0.450
118	0.035
135	0.715
115	0.002
135/1	0.307
90	0.849
93	0.018
88	1.150
111	0.330
109	0.200
110	0.390
94	0.430
107	0.353
116/1	0.130
117/1	0.230
117/2	0.081
137	0.300
19	0.280
297	0.040
298	0.910
141	0.083
140	0.320
134	0.265
124	0.570
129	0.307
126	0.230
(1)	(2)
152	0.030
153	0.300
156	0.250
125	0.321
128	0.340
149	0.300
147	0.261
17	1.400
31	0.940
142	0.340
139	0.120
160	0.294
315	0.549
144	0.270
157	0.340
158	0.476
165	0.183
173	0.050
310	0.357
311	0.883
164	0.108
174	0.711
203	0.050
204	0.035
208/1	0.129
208/2	0.129
170	0.031
290	0.205
289	0.550
288	0.100
207	0.102
287	0.340
241	0.170
273	0.049
271	0.570
305	2.084
304	1.051
294	0.590
260	0.983
265	0.050
263	0.074
261	0.295
375/1	0.200
375/2	0.200
374	0.037

(1)	(2)
372	0.070
373	0.009
369	0.014
371	0.155
256	0.010
306	0.310
1	0.598
303	0.107
429	0.357
489	0.349
453	0.910
425	0.510
86	0.883
124	0.549
87	0.107
85	0.205
25	0.350
145	0.280
151	0.440
395	0.340
409	0.280
18	0.574
20	0.230
132	0.290
299	0.274
21	0.280
24	0.280
154	0.290
22	0.020
87	0.325
631	1.420
634	0.130
636	0.680
638	0.038
675	1.880
676	0.270
287	0.342
योग. .	40.143

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—महान बांध के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय मझौली में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 1479-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (1) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 19 के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—मझौली

(ग) नगर/ग्राम—खन्तरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.820 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1359/1	0.150
1359/2	0.110
1372/1	0.680
1371	0.010
1358	0.020
1357	0.200
1370	0.007
1356	0.020
1376	0.152
1375	0.248
1389	0.128
1380	0.244
1381	0.082
1383/1	0.400
1383/2	0.400
1383/3	0.120
1383/4	0.120
1383/5	0.110
1383/6	0.120
1383/7	0.120
1378	0.265
885	0.047
884	0.056
883	0.011
योग. .	3.820

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—महान बांध के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय मझौली में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 5014-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (1) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 19 के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—गोपद बनास

(ग) नगर/ग्राम—बढ़ौरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.97 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1927	0.01
1928	0.02
1929	0.02
1913	0.04
1914	0.05
1770/1	0.05
1770/2	0.06
1779	0.02
1780	0.01
1781/1	0.01
1781/2	0.01
1782/1	0.02
1782/2	0.02
1782/3	0.01
1782/4	0.02
1782/5	0.02
1791	0.05
235/मी.1	0.09
234/1	0.04
234/2	0.04
234/3	0.01
229/1	0.01
229/2	0.01
1346	0.04
1347	0.03
1348	0.05
1349	0.02
1350	0.01
1351	0.02
1352	0.03
1375	0.01
1376	0.02
1377	0.04
1378	0.02
योग.	0.97

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय गोपद बनास सीधी में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 5016-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (1) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 19 के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—गोपद बनास

(ग) नगर/ग्राम—सोनवर्षा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.74 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
383	0.20
415	0.01
403	0.30
409	0.08
411	0.02
410	0.01
406	0.01
350	0.01
359	0.02
360	0.02
357	0.01
361	0.02
352	0.20
364	0.21
349	0.01
347	0.02
348	0.01

(1)	(2)
232	0.02
233	0.01
234	0.02
235	0.02
236	0.01
237	0.04
213	0.01
239	0.04
240	0.01
209	0.40
202	0.01
योग.	1.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय गोपद बनास सीधी में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 5018-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—गोपद बनास
(ग) नगर/ग्राम—तेन्दुआ
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.06 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
704	0.01
763	0.02
762	0.02
761	0.01
760	0.04
759	0.03
793	0.11
794	0.01
756	0.03
495	0.03
753	0.04
754	0.08
435	0.07
454	0.09
445	0.03
417	0.01
446	0.07
447	0.02
448	0.01
578	0.01
449	0.01
451	0.02
477	0.03
358	0.03
476	0.10
455	0.02
356	0.08
350	0.02
363	0.02
361	0.08
362	0.02
367	0.01
368	0.03
369	0.02
370	0.04
409	0.02
373	0.07
274	0.02
282	0.03
265	0.09
271	0.07
244	0.08
245	0.02
241	0.02
242	0.04
239	0.03
226	0.02
238	0.05
237	0.13
157	0.04
310	0.06
योग.	2.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय गोपद बनास सीधी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभय वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसंचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2016

क्र. B-4591-दो-2-41-2010.—श्री राजीव शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को दिनांक 13 जून से 27 अगस्त 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छिहत्तर दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव शर्मा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-2701-दो-2-46-2010.—श्रीमती दुर्गा डावर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को दिनांक 30 अगस्त से 9 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके हुए ग्यारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 एवं 11 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डावर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डावर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. E-2703-दो-2-28-2016.—श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 6 से 17 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 एवं 5 सितम्बर 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एंव सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-2706-दो-2-19ए-2009.—सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को दिनांक 30 अगस्त से 2 सितम्बर 2016 तक चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भारती बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. E-2708-दो-3-44-2013.—श्रीमती पारो रायजादा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 29 अगस्त से 3 सितम्बर 2016 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती पारो राजयादा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पारो रायजादा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. E-2710-दो-2-42-2016.—श्रीमती राधा सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)-19-03-21-

ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2016

क्र. 960–गोपनीय–2016–II–2–36–61—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश एतद्द्वारा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम 9 (घ) के अंतर्गत निम्नलिखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उच्चतर न्यायिक सेवा में स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण इस आशय का प्रमाण–पत्र जारी करता है कि उन्हें स्थायी कर दिया गया होता, किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका है और जैसे ही कोई पद उपलब्ध होता है, उन्हें स्थायी कर दिया जावेगा:—

क्रमांक	उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)
1	श्री संजीव श्रीवास्तव	टीकमगढ़
2	कुमारी जसवीर कौर सासन	उज्जैन
3	श्री सिकंदर सिंह परमार	जबलपुर
4	श्री अखिलेश शुक्ला	जबलपुर
5	श्री महेन्द्र सिंह तोमर	मुलताई (बैतूल)
6	श्री सतीष चन्द्र राय	सतना
7	श्री कमल जोशी	इंदौर
8	श्रीमती माया विश्वलाल	जावरा (रतलाम)
9	श्री चन्द्र देव शर्मा	मैहर (सतना)
10	श्री भगवत प्रसाद पाण्डेय	पवई (पन्ना)
11	श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव	जबलपुर
12	श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा	शाजापुर
13	श्री पुरन चन्द्र गुप्ता	महिदपुर (उज्जैन)
14	श्री काशीनाथ सिंह	भोपाल
15	श्री विजय चन्द्रा	रायसेन
16	श्री श्रीपाल यादव	अमरपाटन (सतना)
17	श्री दिलीप कुमार मित्तल	इंदौर
18	श्री शिवकांत पाण्डेय	सतना
19	श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव	खाचरौद (उज्जैन)
20	श्री हरीश कुमार कौशिक	मुरैना
21	श्री अनिल कुमार सिंह	सोनकच्छ (देवास)
22	श्री संजय कुमार द्विवेदी	ग्वालियर
23	श्री विवेक कुमार गुप्ता	ग्वालियर
24	श्री किसना अतुलकर	भोपाल
25	श्री प्रकाश चन्द्र	खण्डवा
26	श्री प्रकाश चन्द्र आर्य	गोहद (भिण्ड)
27	श्री भूरेलाल प्रजापति	इंदौर
28	श्री गोपाल सिंह नेताम	देवसर (सिंगरौली)
29	श्री रवीन्द्र कुमार भद्रसेन	भोपाल
30	श्री नथ्थू सिंह डावर	खरगोन (मण्डलेश्वर)
31	श्री प्रयाग लाल दिनकर	सिहोरा (जबलपुर)
32	श्री राजाराम बदोदिया	जबलपुर
33	श्रीमती ऊषा गेड़ाम	सतना
34	श्री भारत सिंह रावत	छतरपुर
35	श्रीमती प्रवीणा व्यास	मंदसौर
36	श्रीमती शशिकांत वैश्य	जबलपुर
37	श्री राम प्रसाद सोनकर	निवाड़ी (टीकमगढ़)
38	श्री कालू सिंह बारिया	धरमपुरी (धार)
39	श्रीमती गीता सोलंकी	डिण्डोरी
40	श्री दगडू सिंह चौहान	जोबट (अलीराजपुर)
41	श्रीमती कृष्णा परस्ते	उमरिया
42	श्री शेख सलीम	जबलपुर
43	श्री मनोज कुमार मण्डलोई	लखनादौन (सिवनी)
44	श्री शरत् चन्द्र सक्सेना	भोपाल
45	श्री प्रियदर्शन शर्मा	रतलाम
46	श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल	सरदारपुर (धार)
47	श्री अशवाक अहमद खान	झाबुआ
48	श्री सुनील कुमार जैन (जूनियर)	दमोह

(1)	(2)	(3)
49	श्री अशोक कुमरा शर्मा (जूनियर-1)	सारंगपुर (राजगढ़)
50	श्री संजय कुमार चतुर्वेदी	कुक्षी (धार)
51	श्री संजीव जैन	खातेगांव (देवास)
52	श्री मोहम्मद मूसा खान	नसरूल्लागंज (सीहोर)
53	श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा	जबलपुर
54	श्री प्रशांत कुमार निगम	वारासिवनी (बालाघाट)
55	श्री रमेश चन्द्र चौरसिया	पिपरिया (होशंगाबाद)
56	श्री प्रमोद कुमार	बीना (सागर)
57	श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर	शिवपुरी
58	श्री शमरोज खान	ब्यावरा (राजगढ़)
59	श्री ओमप्रकाश सिंह रघुवंशी (सीनयर).	सबलगढ़ (मुरैना)
60	श्री सुधीर सिंह चौहान	बड़नगर (उज्जैन)
61	श्री धीरेन्द्र सिंह	इंदौर
62	कुमारी नीता गुप्ता	शाजापुर
63	श्री संजय कुमार पाण्डेय	भोपाल

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2016

क्र. C-3876-दो-2-41-2007.—श्री संजीव कालगांवकर, इंचार्ज डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2016 के एवं पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2016 व 1 जनवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव कालगांवकर, इंचार्ज डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव कालगांवकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो इंचार्ज डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-3880-दो-2-31-2016.—श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़, रजिस्ट्रार (सतर्कता), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 30 अगस्त से 3 सितम्बर 2016 तक पांच दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम दिनांक 4 से 20 सितम्बर 2016 तक सत्रह दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़, रजिस्ट्रार (सतर्कता), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (सतर्कता) के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

Jabalpur, the 30th August 2016

Endt. No. E-2641-III-19-8-70 Part II-D

No. 225-21-2015-AVD-II
GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
(Department of Personnel and Training)

New Delhi. dated the 13th July 2016

To,

The Director,
Central Bureau of Investigation,
New Delhi.

Subject.—Amendment in the Notifications of Special Public Prosecutors appointed for conducting trial of various Vyapam related cases as Senior Advocates and Junior Advocates vide file No. 225-19-2015-AVD-II dated 1st October 2015 file No. 225-21-2015-AVD-II dated 28th December 2015 and file No. 225-22-2015-AVD-II dated 28th December 2015 as per DoPT Letter No. 225-30-2005-AVD-II-reg.

Sir,

With reference to CBI's I.D. No. 131-2-CBI-Vyapam-BPL-2016 dated 14th June 2016, on the above mentioned subject. I am directed to convey the approval of the Competent Authority for the amendment (categorization of advocates) of following orders of this Department:—

1. Order No. 225-19-2015-AVD-II dated 1st October 2015:—

Sl. No.	Name of Advocate	Categorized as
(1)	(2)	(3)
1.	Shri Satish Dinkar	Senior Advocate
2.	Shri Nathi Mal Chhatriwal	Senior Advocate
3.	Shri Ranjan Sharma	Senior Advocate
4.	Shri S. S. H. Rizavi	Senior Advocate
5.	Shri Mukesh Kumar Mishra	Senior Advocate
6.	Shri Pawan Kumar Pathak	Senior Advocate
7.	Shri Rama Shankar Tiwari	Senior Advocate

2. Order No. 225-21-2015-AVD-II dated 28th December 2015:—

Sl. No.	Name of Advocate	Categorized as
(1)	(2)	(3)
1.	Shri Avdhesh Kumar Sharma	Senior Advocate
2.	Shri Brij Kishore Kulsherestha	Senior Advocate
3.	Shri Manoj Bhargava	Senior Advocate
4.	Shri Suman Pandey	Senior Advocate
5.	Shri Bharat Bhushan Sharma	Senior Advocate
6.	Shri Chandra Pratap Singh	Junior Advocate
7.	Shri Ram Pathak	Junior Advocate
8.	Shri Kaushal Kishor Mishra	Senior Advocate
9.	Shri Sourabh Verma	Junior Advocate
10.	Shri Raj Kumar Bansal	Senior Advocate
11.	Shri Nirmal Kumar Sharma	Senior Advocate
12.	Shri Raghvendra Singh Tomar	Senior Advocate

3. Order No. 225-22-2015-AVD-II dated 28th December 2015:—

Sl. No.	Name of Advocate	Categorized as
(1)	(2)	(3)
1.	Shri Bhupendra Kumar Srivastava	Senior Advocate
2.	Shri Raj Kumar Ramnani (Neemuch).	Senior Advocate
3.	Shri Manoj Kumar Dube	Senior Advocate
4.	Shri Ashish Bargle	Senior Advocate
5.	Shri Chandra Shekhar Gurjar	Senior Advocate
6.	Shri Krishan Kant Parashar	Junior Advocate
7.	Shri Amit Mazumdar	Junior Advocate
8.	Shri Rajesh Gogle	Senior Advocate
9.	Shri Avdesh Sharma	Junior Advocate
10.	Shri Roop Singh Yadav	Senior Advocate
11.	Shri Rajesh Trivedi	Senior Advocate
12.	Shri Alkesh Bhargav	Junior Advocate
13.	Shri Jitender Kumar Shukla	Junior Advocate
14.	Shri Dhinendra Singh	Junior Advocate
15.	Shri Rajendra Kumar Gupta	Senior Advocate
16.	Shri Pankaj Khare	Senior Advocate
17.	Shri Alok Kumar Srivastava	Senior Advocate
18.	Shri Pratish Jain	Senior Advocate
19.	Shri Sudir Kumar Sharma	Junior Advocate
20.	Shri Pankaj Kumar Rahtore	Senior Advocate
21.	Shri Amit Purohit	Senior Advocate

2. Other parts of this Department's letter No. 225-19-2015-AVD-II dated 1st October 2015, 225-21-2015-AVD-II dated 28th December 2015 and 225-22-2015-AVD-II dated 28th December 2015 will remain unchanged.

Yours faithfully,
Sd./-

MD. NADEEM
Under Secretary to the Government of India.

Sd./-

SANAT KUMAR KASHYAP
Registrar (D.E.).